C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 22, Thursday, March 30, 2017/Chaitra 09, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 401 to 406	2-90
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 407 to 420	91-138
Unstarred Question Nos. 4601 to 4830	139-637

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 638-649

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the Recommendations contained in the 228th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Shipping

Shri Pon Radhakrishnan 650

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 148 DATED 02 FEBRUARY, 2017 REGARDING CONNECTIVITY OF TOURIST CENTRE 651-653

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Failure of the Government to address agrarian distress leading to alarming increase in farmer suicide 654-659

MATTERS UNDER RULE 377 663-692

(i) Need to probe the issue of alleged overpayment to a company entrusted with the task of construction of fourlane road from Baghpat to Saharanpur in Uttar Pradesh

Shri Raghav Lakhanpal 664

(ii) Need to set up sugar, timber and food processing industries in Balrampur and Shravasti districts of Uttar Pradesh

Shri Daddan Mishra 665

(iii) Need to release balance fund to Government of Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

Shri Ashok Mahadeorao Nete 666

(iv)	Need to expand the airport at Buxar in Bihar and also set up a new international airport at Buxar	
	Shri Ashwini Kumar Choubey	667
(v)	Need to permit Ayush doctors to practice Allopathy after one-year certificate course in Allopathy	
	Shri Kapil Moreshwar Patil	668
(vi)	Need to conduct skill development programmes and set up small scale industries in hill states	
	Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	669
(vii)	Regarding setting up of AIIMS at Deoghar, Jharkhand	
	Shri Nishikant Dubey	670
(viii)	Need to create a new State of Poorvanchal	
	Shri Chhedi Paswan	672
(ix)	Regarding polluted water bodies in Begusarai district, Bihar	
	Dr. Bhola Singh	673
(x)	Need to improve the service condition of Aanganwadi workers in the country	
	Shri Nana Patole	674
(xi)	Need to provide environmental clearance for construction of Memorial of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Arabian Sea in Mumbai, Maharashtra	
	Shri Gopal Shetty	675

(xii)	Need to provide environmental clearance for construction of road from Maharajpur to Tendukhera in Madhya Pradesh		
		Shri Prahlad Singh Patel	676
(xiii)	Need to ensure free admission of children belonging to economically weaker sections in private schools in Uttar Pradesh particularly in Bundelkhand region		
		Shri Bhanu Pratap Singh Verma	677
(xiv)	Need to ban cow slaughter in the country		
		Dr. Virendra Kumar	678
(xv)	Need to extend Bundelkhand region like benefits to areas along river Yamuna in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh		
		Shri Devendra Singh Bhole	679
(xvi)	Regarding pending railway projects in Bangalore Rural Parliamentary Constituency of Karnataka		
		Shri D. K. Suresh	680
(xvii)	Need to set up a CGHS Wellness Centre in Calicut district of Kerala		
		Shri Mullappally Ramachandran	681
(xviii)	Need to rename the Central University of Kerala after Sree Narayan Guru, a great social reformer		
		Shri Kodikunnil Suresh	682
(xix)	Need to establish Kendriya Vidyalayas in Salem and Villupuram districts of Tamil Nadu		
		Dr. K. Kamaraj	683

(xx)	Need to develop and upgrade Royapuram railway station, Tamil Nadu as a railway terminus	
	Shri T.G. Vankatesh Babu	684-685
(xxi)	Need to curb the increasing air pollution in the cities	
	Prof. Saugata Roy	686
(xxii)	Need to build a flyover at level crossing between Adra and Joychandi pahar in Purulia district of West Bengal	
	Dr. Mriganka Mahato	687
(xxiii)	Need to establish a Venom Research Institute and Snake Park in Ramsai, Jalpaiguri in West Bengal	
	Shri Bijoy Chandra Barman	688-689
(xxiv)	Need to set up a Super Speciality hospital at Paradip in Odisha	
	Dr. Kulmani Samal	690
(xxv)	Need to provide clean drinking water in villages in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra	
	Shri Prataprao Jadhav	691
(xxvi)	Need to handover the land occupied by Indian Rare Earths Ltd. for mining beach sand mineral to the land owners in Kollam district of Kerala	
	Shri N. K. Premachandran	692

FINANCE BILL, 2017
(Amendments made by Rajya Sabha) 693-748

Motion to Consider 693-695

Shri Deepender Singh Hooda 696-703

Dr. Kirit Somaiya	704-707
Prof. Saugata Roy	708-712
Shri Bhartruhari Mahtab	713-719
Shri Jayadev Galla	720-721
Shri A.P. Jithender Reddy	722
Shri Md. Badaruddoza Khan	723-724
Shri N.K. Premachandran	725-728
Shri Anandrao Adsul	729
Shri Y.V. Subba Reddy	730-731
Shri Asaduddin Owaisi	732-733
Shri Arun Jaitley	734-747
Amendments – Rejected	747-748

DISCUSSION UNDER RULE 193
Sustainable Development Goals -
Way forward for Health and Well-Being for All 749-809

Shri Anurag Singh Thakur	753-773
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	774-786
Prof. Saugata Roy	787-799
Shri Tathagata Satpathy	800-809

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	827
Member-wise Index to Unstarred Questions	828-833

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	834
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	835

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 30, 2017/Chaitra 09, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : मैडम, एक बहुत महत्वपर्ण मुद्दा है।

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour, not now. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour, not now. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question No. 401. Shri Rajesh Kumar Diwakar.

(Q. No. 401)

श्री राजेश कुमार दिवाकर : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ह्रदय से आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदया, मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनसे प्रभावित हूं। वह दूरगामी परिणाम को दर्शाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार जब कोयला ब्लॉक आबंटन करने की प्रक्रिया आरंभ करती है, उस समय जो तकनीकी समिति बनाई जाती है। उसका गठन किस आधार पर किया जाता है एवं पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत इजाफा ब्लॉक आबंटन प्रक्रिया के तहत हो रहा है?

श्री पीयूष गोयल : मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि तकनीकी समिति, तकनीकी एक्सपट्‌र्स को लेकर बनाई जाती है। इसमें अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्‌स को भी सहयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए स्टील है, सीमेंट है या जो अलग-अलग विभाग हैं, जिनमें कोयला लगने वाला है। उन अलग-अलग विभागों के अधिकारी भी उस कमेटी में बैठते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कौन से ब्लॉक को किस एन्ड्यूस के लिए दिया जाए। यह टेक्निकल कमेटी एक बहुत वैल डिफाइन्ड प्रक्रिया से तय करती है कि कौन सा ब्लॉक कहां जाएगा। ऑक्शन की प्रक्रिया करने के बाद दो परिणाम हुए हैं। एक तो पारदर्शिता आने से नए निवेशकों में इच्छा जागी है कि वे इस क्षेत्र में आएं। हमने पुराने कोल इण्डिया के प्रोडक्शन को भी बहुत बड़े रूप में बढ़ाया है, उसके कारण भी कोयले के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि आयी है। आज तो समस्या यह हो गई है कि कोयले को हम बेचना चाहते हैं, उतना बिकता नहीं है। कोल के स्टाक्स बढ़ गये हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर कोयले का जो ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, वह हम कम कर पायेंगे।

श्री राजेश कुमार दिवाकर : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोल ब्लाक आबंटन के उपरांत कंपनी सभी मानकों के आधार पर कर्मचारियों की सुरक्षा करती है? कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती। इससे निपटने के लिए क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री पीयूष गोयल : मैडम, कर्मचारियों की सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता है और कोल माइंस के कानूनी रुप से जो वर्कर्स हैं, उनके लिए यह कानूनी प्रावधान है कि उनकी सुरक्षा भी की जाए, उनकी सेफ्टी पर भी ध्यान दिया जाए। अलग-अलग उनके जो बेनिफिट्‌स हैं, वे सब वैल डिफाइंड हैं। जहां तक

प्राइवेट माइंस का सवाल है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो सेफ्टी की कमेटी है, उसमें प्राइवेट माइंस को सम्मिलित किया जाता है और जब माइन की ऑक्शन की जाती है तो उसमें एक कोल माइंस डैवलपमैन्ट एंड प्रोडक्शन एग्रीमैन्ट बनता है, यह प्रावधान पहले नहीं था, नई सरकार ने इसे शुरू किया है। सी.एम.डी.पी.ए. के आधार पर उसमें प्रावधान किये गये हैं कि कोयला मजदूरों की सुरक्षा हो और उनके रोजगार की भी सुरक्षा हो।

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN : I would like to draw your attention to two issues. How many open cast projects have been outsourced by ECL in the last three years and whether the target of production has been achieved in those OCPs?

How many projects in coal mines are running behind their target production in the country?

SHRI PIYUSH GOYAL: I would like to assure the hon. Member that there is no shortage of coal today. So, obviously every company is performing quite well and we are producing more than the demand for coal. Coal stocks are going up.

As regards the specific MDO contract in ECL, which he has referred to, I would provide the information to the hon. Member.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि जो पारदर्शी और युक्ति-युक्तिकरण आप अपनी योजना में लेकर आए हैं, जो सरकार की कोयले की नीति है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के समय पहले कैप्टिव ब्लाक और मीथेन ब्लाक आबंटित हुए थे, जिन पर 10-10, 12-12 सालों तक कोई काम नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई नीति में आपने पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम रखा है, युक्ति-युक्तिकरण किया है और उसका बाकायदा लाभ भी हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछली गलतियां हुई हैं, जिनके कारण नुकसान हुआ है, क्या उसकी समीक्षा करके आप फिर से अपनी इस योजना के तहत उसे ठीक करने का काम करेंगे?

श्री पीयूष गोयल : महोदया, बीती बातों पर बार-बार जाने से कोई लाभ नहीं है, अब आगे की तरफ ही देखें, लेकिन आगे के लिए कोयले की सभी खदानों को हम पारदर्शिता से, नीलामी के माध्यम से प्राइवेट सैक्टर को देंगे। सरकारी क्षेत्र में कभी माइन लगती है, फर्टिलाइजर को, किसी पावर कंपनी को, जो

सरकारी हो, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन हो, उसे हम डायरेक्ट अलाटमैन्ट के माध्यम से जरूर आबंटन करते हैं।

जहां तक कोल बैड मीथेन का सवाल है, उसके लिए भी शायद अभी तक एक प्रोजैक्ट शुरू हुआ है, बाकी और प्रोजैक्ट्स भी आए हैं, उनमें नई टैक्नोलोजी का इस्तेमाल हो, उसके लिए हम निरंतर चर्चा में रहते हैं और कोई भी खदान जो सी.बी.एम. के लिए टैक्निकली वॉयबल पाई जायेगी, उसका भी ऑक्शन करके ही हम आगे अलाटमैन्ट करेंगे।

(Q. 402)

SHRI Y.S. AVINASH REDDY : Madam, thanks for this opportunity.

In order to resolve the Krishna Water disputes, the Central Government has introduced the Bachawat Tribunal in 1969 and the Brijesh Kumar Tribunal in 2004 in accordance with the Interstate River Water Disputes Act, 1956. Madam, both these tribunals, while sharing water to different projects in different riparian States, have allotted assured water to only then existing projects and only focused on existing ayacut protection. Both these tribunals have completely ignored ongoing projects in the lowest rainfall districts or drought-affected districts like Rayalaseema, Prakasam, Nellore etc, where getting drinking water itself is a very big challenge. We cannot blame these tribunals for this mistake. It is because the Inter-State River Water Disputes Act itself talks about sharing of water to different projects in different States but, it does not take drought-affected or lowest rainfall areas into consideration.

Madam, the situation in our Rayalaseema, Nellore and Prakasam districts is very alarming. Thousands of villages and towns do not have proper drinking water. The lives of our farmers are also miserable. The outcome of the crops, sown by the farmers, is entirely dependent on the rainfall. Rainfall is very low there. So, over the last several years there has been a demand from our farmers to allocate assured waters to the projects like GNSS, HNSS and Veligonda, and also provide drinking water for these severely drought-affected districts and ID crop for the livelihood of farmers.

Madam, the Central Government can give special endorsement to the Brijesh Kumar Tribunal. This is possible. If giving special endorsement to the Brijesh Kumar Tribunal to this effect is legally not possible, then the Government must issue an Ordinance to that effect to consider water allocation to these drought-affected areas and to protect the very primary right of these people, that is, ‘Right to Live’. My question is this. Is the Government prepared to give such

special endorsement to Brijesh Kumar Tribunal before the official Gazette notification is issued by the Government of India?

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, वर्ष 1976 में पहले ट्रिब्यूनल का अवार्ड आया था, जिसके बेस पर यह वाटर का डिस्ट्रिब्यूशन हुआ था। उसके बाद दूसरा अवार्ड, जिस ब्रिजेश की ये बात कर रहे हैं, 30-12-2010 को इन्टरिम ऑर्डर पास किया था, जिसके ऊपर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्टे लिया। उसके बाद पहले अवार्ड के बेस पर ही अभी तक डिस्ट्रिब्यूशन चल रहा है। अगर विदइन स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलना चाहिए और किस डिस्ट्रिक्ट को पानी नहीं मिलना चाहिए, अभी-अभी केन्द्र सरकार ने ट्रिब्यूनल को कहा है कि इसमें जल्दी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार पहले इसमें दोनों पक्षों आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना से बात करे। पिछले वर्ष 11वें महीने में एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। जब दोनों सरकारों का सॉल्यूशन नहीं हो सका, तो हमने दोबारा ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है और ट्रिब्यूनल को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। विद इन स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलना चाहिए, किस परियोजना का पानी मिलना चाहिए, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार का काम है कि वे अपनी प्रायोरिटी निश्चित करें।

SHRI Y.S. AVINASH REDDY: My second question is this.

HON. SPEAKER: Now, only ask the question. The Minister knows the things.

SHRI Y.S. AVINASH REDDY : During 1970s, when the Bachavat Tribunal awarded allotments, the calculation that was taken into consideration was that one TMC of water is used to irrigate 6500 acres of land. But, with new technologies coming into place like sprinkler, drip irrigation, etc. and with new seed technology also coming into place, the crop duration has come down, and with one TMC of water today, we can irrigate 10,000 to 11,000 acres of paddy. If it is ID crop (Irrigated Dry Crop), we can irrigate nearly 15,000 to 16,000 acres of land.

So, keeping this in view, will the Government of India give a special endorsement to the present Brijesh Kumar Tribunal to study on this and to redistribute the Krishna Water by adding new projects and by allocating assured waters to these projects in these drought-affected districts?

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, 800 टीएमसी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुआ है, 299 टीएमसी तेलंगाना और 500 टीएमसी आंध्र प्रदेश को हुआ है। इसके साथ-साथ जो माइनर इर्रीगेशन

के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए अलग से कहा गया है। जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नये प्रोजेक्ट्स में मदद हो रही है, उनमें स्पेसिफिकली हमने कहा है कि माइनर इर्रीगेशन को बढ़ावा दिया जाए।

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, in part (c) of the question, it was asked whether Telangana has raised certain objections and made complaints to the Government over the issue and if so, the details thereof. The hon. Minister has replied that no such objection or complaint has been received regarding the functioning of KRMB. However, certain issues have been raised by Telangana State over some matters.

Madam, after the formation of the State of Telangana, within a month, the new State Government of Telangana had filed a petition before the Government of India under Section 3 of the Inter-State Water Disputes Act. We had requested the Government of India to refer our complaint to the Krishna Water Dispute Tribunal-II headed by justice Brijesh Mishra.

Madam, till now the Government has not taken any steps to refer that petition. Moreover, the Minister of Law had endorsed that it should be referred to the Tribunal. I would like to know from the Government whether they are going to refer it to the Tribunal. In the undivided State of Andhra Pradesh, the people of Telangana fought for their due share of Krishna river.

Madam, they have their own rivers called Pennar and Krishna, which have its own territorial jurisdiction where the water should be given. But because of various pressures from the other parts of the then Andhra Pradesh, water which was to be allocated to Telangana has not been allocated to it.

HON. SPEAKER: You ask the question.

SHRI B. VINOD KUMAR : So, this has to be re-visited. The water of Krishna should be shared among Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. So, this should be referred once again to the new Tribunal… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not quarrel like this. Otherwise, the river may change its course.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. This is not proper. Please sit down.

...(Interruptions)... [*]

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : महोदया, जो अब सवाल है, वह सवाल आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बँटवारे को लेकर है, न कि अन्य प्रदेश को लेकर। जो ऑब्जेक्शन आया था, उसमें 21-09-2016 को ऐपेक्स कमेटी की मीटिंग माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। जब सहमति नहीं बन पाई तो एक बजाज कमेटी 09-01-2017 को बनायी गयी है। इस कमेटी को तीन महीने का समय दिया गया था कि वाटर डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होना चाहिए, वह इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदया, मुझे इसी से सम्बन्धित एक सवाल पूछने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नदियों से झगड़ा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह ऑलरेडी एक बिल के अन्दर लिस्ट हुआ है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के अन्दर लिस्ट हुआ है और उसके अन्दर आपने लिखा है कि यह पूरा ट्रिब्यूनल्स जो है, जितने भी ट्रिब्यूनल्स एक-एक रिवर के ऊपर हैं, कृष्णा रिवर के ऊपर हैं, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर हैं, इन्हें सबको खारिज करते हुए आप एक ही नया ट्रिब्यूनल बनायेंगे और उसके अन्दर मेंबर्स बनायेंगे। क्या इस डिस्प्यूट को आप उसके अन्दर ले जाकर वहाँ से इसका हल निकालेंगे या ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के साथ ही इसका हल निकालने वाले हैं?...(व्यवधान)

डॉ. संजीव बालियान : एक तैयारी है कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाये और जो बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं, वे एक मेन ट्रिब्यूनल की बेंच की तरह काम करेंगे। पूरे देश का एक ट्रिब्यूनल बनाया जाये और अलग-अलग बेंच के रूप में छोटे-छोटे ट्रिब्यूनल्स एक मेन ट्रिब्यूनल की बेंच के रूप काम करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस पर ज्यादा झगड़ा मत कीजिए। ज्यादा झगड़ा करोगे तो कहीं सरस्वती जैसी नदियाँ लुप्त न हो जायें।

---

[*] Not recorded.

(Q. 403)

SHRI B.V. NAIK : Hon. Speaker, Madam, according to news report of *The Statesman*, dated 17th March, 2017 under the heading "Government to modernize all power plants" it has been mentioned that "in its aim to provide 24x7 supply of electricity the Centre plans to modernize all power plants in the country to increase their capacity as well as reduce pollution levels".

I would like to mention the pathetic condition of the people of my Raichur Parliamentary Constituency in Karnataka. In Raichur, there are two thermal power stations – (i) Raichur Thermal Power Station (RTPS); (ii) Yeramarus Thermal Power Station. The RTPS is producing 1720 MW of power and YTPS is likely to produce 1600 MW of power which is a super critical thermal power station. Both are situated near Raichur. RTPS plant is an old one which was established some 25 years back.

HON. SPEAKER: Please ask your question.

SHRI B.V. NAIK : RTPS is a very old unit and causing a lot of pollution. Modernisation of this plant is expensive for the State Government. Even though the power station is meant to supply power to all the districts of the State, the people of Raichur is facing high level pollution. The people of this area are facing a lot of health related problems due to this high level pollution.

HON. SPEAKER: Do you have any question to ask?

SHRI B.V. NAIK : Keeping in view the above, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will ensure that modernisation of RTPS would take place immediately.

My second question is this. I would like to know whether the Central Government would provide financial assistance to the State in this regard or not.

HON. SPEAKER: If you do like this, then I will go to the next Question. This is not the way.

Mr. Minister, इसका जवाब एक मिनट में दे दें तो मान लेंगे।

SHRI PIYUSH GOYAL: It is a very good question. This Government has appreciated the serious concerns that the local people face when there is a thermal plant, especially when these plants which are 25 years old create pollution levels which are far more than the modern super critical plants. In the earlier days, when a plant became 25 years old, there was a system of modernizing those plants and expanding its life from 25 years to maybe 35 to 40 years. But in the process, the pollution levels were not reducing. It was only extending its useful life. Pollution continued to be there. This Government has taken a decision that we should not encourage any more of R&NM of these old plants. NTPC, which is a central utility, has taken a decision to replace 11000 MW of such 25 years old plants. State Governments also have been advised that wherever their plants have become more than 25 years old, instead of modernizing them, they should replace them with modern super critical 600 MW or 800 MW plants which will not only increase the capacity to serve the people, but also will reduce pollution level.

SHRI B.V. NAIK : Madam, the Government of India has launched a scheme by providing support from Power System Development Fund (PSDF) for operationalization of stranded gas based generation.

HON. SPEAKER: Just put the question.

SHRI B.V. NAIK : The Karnataka Power Corporation Limited has identified Sharavathy Hydro Project for capacity enhancement from 700 MW to 1000 MW; and Varahi Hydro project with a capacity of about 700 MW. The preliminary estimated cost for implementation of the Sharavathy project is about Rs. 4,000 crore and for the Varahi project it is about Rs. 2,800 crore. The State Government requires funds from the Central Government for implementation of these two projects. I would like to know whether the Central Government would give support from PSDF to the State of Karnataka.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, PSDF is a fund which helps to strengthen the power system. So far, there is no proposal that the hydro projects should also be covered under PSDF.

As regards these two particular projects that the hon. Member is referring to, they are free to approach the financial institutions like REC, PFC for financial assistance. The Government is also very keen to promote more hydro capacity and I am sure if the projects are viable and State Government is willing to buy that power, there shall be no problem in financing any project. We are looking to encourage the hydro sector. Several ideas are under consideration of the Government to bring down the cost of hydro power generation, particularly amortizing depreciation over a much longer period, allowing financing for a much longer period than the traditional 12 or 15 years.

Also, we are looking at escalating tariffs. Rather than front ending the entire cost of hydro projects, we are looking at a gradual escalation so that we can back end some of the costs and make hydro power more viable in the current scenario where we are trying to keep affordability of power as the central theme of all our projects.

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, it is reported that amendments have been proposed to the Mega Power Policy in order to push around 31 gigawatt stuck projects entailing an investment of Rs.1.5 lakh crore.

Is it correct that the Government is contemplating a change in the Mega Power Policy to help the ailing thermal power plants, may be because of age or any other technological problem, to improve its capacity?

As far as Karnataka is concerned, he has detailed out many projects. He is doing an excellent job. In spite of that, many of the State Government-owned projects are going out of schedule or going beyond schedule. What is the reason for it?

The Ministry of Petroleum and Natural Gas invested more than Rs. 6000 crore as far as gas pipeline is concerned, KPTCL was in agreement with GAIL India Limited to start a gas-based power project in Bidadi of Karnataka but they are now going back. That Rs. 6000 crore of money is going to be wasted.

Is the hon. Minister going to have a talk with the Government of Karnataka and convince them to start that project so that the investment that is made by the Ministry of Petroleum and Natural Gas will not go waste?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I am delighted to inform the House and the people of Karnataka through you that despite the fall in hydro power in the last two years, it has come down to almost to half of what it was three years ago, and we have been able to supply sufficient power to the people of Karnataka. In fact, in the last three years, because of the major thrust given to transmission capacity, we have been able to give special allocation of additional Central sector power to Karnataka to overcome these shortages.

I am happy to share with the hon. Members that as against significant power shortage that existed before this Government at the Centre came in, today the power shortage in Karnataka, despite hydro falling to half, is less than one per cent. It is probably about 0.6 per cent.

Having said that, we are also looking at Ultra Power Projects, which is a new regime and a new framework where there will be more bidders. In the last framework, almost all the bidders had dropped out and the bidding documents were found to be not bankable, as discussions with the bankers explained to us.

Therefore, we are looking at revising the UMPP documents but we are not doing it in a hurry. As I have given in the written reply, there is almost 68,000 plus MW of thermal power projects which are in the pipeline. We have already added about 50,000 MW of conventional capacity in the last two and a half years. A lot of it is not getting enough supply or sale because the installed capacity base is increasing faster than the demand. At some point of time, I think, wrong calculations or planning was done and too much capacity has been expanded even beyond what the nation requires.

Even the gas based plants that you are referring to, to my mind, is not viable. India's own domestic gas production started falling around four to five

years back and today, it is at abysmally low level that we will not be able to feed even the existing plants.

Therefore, I would recommend that the Karnataka Government should not invest any further in a gas based plant. Rather, they may use that money to give piped gas connections to the people of Karnataka using that pipeline to get benefits.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का निर्माणाधीन जल-विद्युत प्रकल्प की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कोयना जल-विद्युत प्रकल्प सबसे पुराना और भारी मात्रा में विद्युत निर्माण करने वाला प्रकल्प है। उसके अगले फेज़ में विद्युत निर्मित करने का जो प्रकल्प है, वह पिछले कई वर्षों से प्रलम्बित है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगला फेज़ अभी तक शुरू न होने का क्या कारण है? कोयना डैम में बहुत से लीकेज़ेज हैं। लीकेज़ेज की वजह से पानी रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए कोयना डैम की मरम्मत करने की भी जरूरत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोयना डैम से जल-विद्युत निर्माण करने का काम क्या सही वक्त पर चालू हो पाएगा?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, जहां तक कोयले के पुराने होने का सवाल है, यह बात सही है कि देश में कई ऐसे हाइड्रो प्रोजैक्ट्स हैं जो कई वर्ष पहले लगे थे। हमने एनएचपीसी की एक टैक्नीकल टीम डायरैक्टर (टैक्नीकल) की अध्यक्षता में शुरू की है कि सब पुराने हाइड्रो प्रोजैक्ट्स की स्टडी करके कुछ नई टैक्नोलॉजीस लग सकें। जैसे आपने लीकेज के बारे में बताया, यह बहुत सही बात बताई।

मैं सलाल गया था। वहां मालूम हुआ कि 21 किलोमीटर लम्बा जो डैम के पीछे रिजरवॉयर था, आज वह एक किलोमीटर ही रह गया है। उसमें 40-50 सालों में डीसिल्टिंग का काम ही नहीं किया गया। इस प्रकार एक-एक प्रोजैक्ट को लेकर, उसमें सुधार करके, नई टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, इक्विपमैंट्स रिप्लेस करके हमने लक्ष्य रखा है कि ऐग्ज़िस्टिंग हाइड्रो प्रोजैक्ट्स के आउटपुट को बढ़ाया जाए। आज के दिन नए प्रोजैक्ट्स लगाने में खर्च ज्यादा होता है, पुनर्वास के कार्यक्रम जैसे लैंड ऐक्विजिशन, रिलीफ, रीहैबिलिटेशन में भी तकलीफें आती हैं। अगर देशभर में नए हाइड्रो प्रोजैक्ट्स देखें, तो फॉरैस्ट क्लीयरैंस, इकोलॉजिकल बैलैंस, ऐनवायर्नमेंटल स्टडीस आदि अलग-अलग कारणों से कई हाइड्रो प्रोजैक्ट्स रुके हुए हैं।

(Q. 404)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। पूरे देश में एक अजीब विडम्बना है। जहां एक तरफ मंत्री महोदय और यह सरकार कहती है कि पूरे देश में पावर सरप्लस की स्थिति है, वहां वास्तविकता कुछ और है। पावर मंत्रालय पावर सरप्लस को डिस्कॉम की डिमांड के आधार पर मेजर करता है। आज भी पूरे देश में इतने उपभोक्ता हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती। पूरे देश में ऐसे 6 करोड़ हाउसहोल्ड हैं जिनमें 80 प्रतिशत बिहार में, 45 प्रतिशत आपके और मेरे राज्य मध्य प्रदेश में, 70 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में और 65 प्रतिशत झारखंड में हैं। एक तरफ इन प्लांट्स का प्लांट लोड फैक्टर 60 प्रतिशत तक गिर चुका है, दूसरी तरफ डिस्कॉम कहती है कि जो लॉस में हैं, 'उदय' के अंतर्गत कोल जो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, अभी मंत्री महोदय ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा, उसके आधार पर भी आज पीपीए साइन नहीं हो रहा है। 'उदय' जो इन्होंने झारखंड जैसे राज्य में लॉन्च किया था, जहां ऐवरेज लॉस 90 पैसे पर किलोवाट था, आज बढ़कर ढाई रुपये हो गया है। 'उदय' के बाद 7 राज्यों में लॉसेज़ बढ़ चुके हैं। एटी एंड सी लॉसेज़, ट्रांसमिशन लॉसेज़ जो 15 प्रतिशत तक घटने वाले थे, वे आज साढ़े सोलह प्रतिशत बन गए हैं। देश में पावर सरप्लस का मायाजाल, उपभोक्ता को बिजली नहीं मिलती, बिजली की कटौती हो रही है, एसईबी पीपीए साइन नहीं कर रहा है, कोल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और हमारे एटी एंड सी लॉसेज़ बढ़ते जा रहे हैं। यह मंत्रालय किस तरह देश की बिजली की व्यवस्था और डिस्कॉम्स को सुदृढ़ बनाएगा ताकि उपभोक्ता को हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल पाए?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही अच्छा हुआ कि पूर्व ऊर्जा मंत्री ने अपनी खुद की सरकार के काम के बारे में विस्तार से बताया कि इस देश में कांग्रेस की 50 वर्ष सरकार रहने के बावजूद देश की हालत इतनी बदतर थी कि जब मैं मंत्री बना, तो करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी।...(व्यवधान) हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी।...(व्यवधान) डिस्कॉम्स में सालाना 60-65 हजार करोड़ रुपये का लॉस होता था।...(व्यवधान) कांग्रेस के कारनामों का, उनके काम का बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ।...(व्यवधान) कांग्रेस ने इस देश में दस वर्ष तक किस प्रकार लोगों को बिजली से वंचित रखा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, दो युवाओं के बीच मत पड़िए।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : इसके बारे में आपने बहुत सही बातें कीं। आपने यह भी बहुत अच्छा कहा कि डिस्कॉम्स की हालत बहुत खराब है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आप पावर सरप्लस की बात कीजिए।...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अभी बता रहे हैं। आपको विस्तार से बताएंगे।...(व्यवधान) आपको अध्यक्ष महोदया का संरक्षण है।...(व्यवधान) आपको विस्तार से समझाएंगे कि संवेदनशील सरकार का काम कैसा होता है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record.

...(Interruptions) ... [*]

श्री पीयूष गोयल : जब इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, तब पाया ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बात सुनिए। प्रश्न-उत्तर की पद्धति समझिए। प्रश्न पूछें तो उत्तर सुनिए। बीच में टोका-टाकी अच्छी नहीं लगती।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : मैडम, जब वास्तविक स्थिति बाहर आती है तब चोट लगती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चोट कीजिए पर न लगे।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : आज परिस्थिति यह है कि देश में जिस राज्य में बिजली चाहिए, उस राज्य में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हमने जानकारी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से देश के समक्ष है। जब डिस्कॉम्स बहुत आर्थिक संकट में थे, उनको आर्थिक संकट से निजात दिलाने के लिए हमने उदय योजना की घोषणा की, लेकिन उदय योजना में ऐसा नहीं किया जब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार आईं तो सालाना 15000 करोड़ रुपये का लॉस पिछली कांग्रेस सरकार छोड़ कर गई थी। उस बोझे को राज्य सरकार ने अपने बजट में 75 प्रतिशत लिया, आगे इतने अच्छे से योजना बनाई जिससे यह 15000 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष साढ़े चार-पांच हजार करोड़ रुपये ही लॉस रह गया, इतना अच्छा काम एक-एक सरकार कर रही है। यह बात भी सच है, जब मैं मंत्री बना तो मुझे वर्ष 2011 के आंकड़े भी मिले, सेन्सस मिला। अगर मैं पानी पीता हूं तो आपको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि आपको और ज्यादा सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पानी पीजिए, पिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन शांति से।

श्री पीयूष गोयल : महोदया, जनता ने इनको पानी पिला दिया है, मुझे पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना निर्णय इन्हें दे दिया है। जब मैं मंत्री बना, हजारों मेगावाट के प्लांट अलग-अलग स्थिति में

[*] Not recorded.

स्ट्रैन्डेड थे, स्टॉल्ड थे, लग नहीं पा रहे थे, कुछ न कुछ समस्या से गुजर रहे थे। हमने लगभग पचास हजार के पॉवर प्लांट को चालू कर दिया। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मेरे आने से पहले 32 वर्षों से था, पहले डिपार्टमेंट था बाद में मंत्रालय बना, उसमें धीमी गति से काम हो रहा था, सौर ऊर्जा की क्षमता 250 मेगावाट थी जो 10 मार्च को 10,000 मेगावाट हो गई। देश भर में इतनी बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ गई है कि आज अगर 50 प्रतिशत भी देश की डिमांड बढ़ती है तो हमारे पास इनफ कैपेसिटी है कि डिस्कॉम उसे खरीद कर जनता को दे सके।

उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने निर्णय लिया है, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग बिजली के साथ जुड़ नहीं पाए थे हम उन सब घरों तक वर्ष 2019 के पहले बिजली पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि 24 घंटे बिजली मिलने के लिए जो विद्युतीकरण का ढांचा है, आधारभूत सुविधाएं हैं उसे सुधारना है। हमें 68 वर्षों की परिस्थिति मिली है, जिसे हमने मात्र तीन वर्षों में हर डिस्कॉम को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करा दी।

इन्होंने पीपीए साइनिंग की बात की, पीपीए साइनिंग तब होगा जब पूरा एग्जिसटिंग पीपीए का इस्तेमाल हो। पहले की सरकारों ने किन कारणों से इतने सारे पीपीए साइन किए, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, उन राज्य सरकारों को ही जवाब देना पड़ेगा। राज्य सरकारों के कुछ न कुछ अवैध कारण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कि किस कारण इतने पीपीए साइन किए।

आज फिक्सड कॉस्ट भर भरकर बिजली के दाम बढ़ाने की तकलीफ आ गई है। डिस्कॉम को लॉस हो रहा है क्योंकि फिक्सड चार्ज भरना पड़ता है क्योंकि पीपीए ऑलरेडी साइन हो गया है। जिस राज्य को जितनी बिजली चाहिए उसके लिए पीपीए साइन करने के लिए उसे पूरी छूट है। केन्द्र सरकार किसी की नाक दबाकर साइन नहीं कराएगा, राज्य सरकार की अपनी इंडिपेन्डेंट सोच और डिसीजन है।

आज पूरा देश जानता है कि बिजली पर्याप्त मात्रा में है, दो तिहाई थर्मल पॉवर प्लांट में कोयले की किल्लत रहती थी, क्रिटिकल स्टॉक थे। आज देश में एक भी पॉवर प्लांट नहीं है जिसमें क्रिटिकल स्टॉक ऑफ कोल है, सभी में 20-25 दिनों का स्टॉक है।

पीपीए के दस वर्षों में 2004 से 2014 सीएजीआर 6.3 परसेंट करोड़ थी, पहले दो वर्षों में 6.6 पॉवर डिमांड की ग्रोथ हुई है और आगे यह बढ़ती रहेगी। माननीय सदस्य ने सात करोड़ का आंकड़ा दिया, आज घटकर 4.7 करोड़ हो गया है। सभी राज्यों ने जानकारी दी है, अगर यह जानकारी चाहिए तो यह भी मिल जाएगी कि हर राज्य में कितनी है? मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की निगरानी में जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने इस विद्युतीकरण को जिम्मेदारी से उठाया है, उससे जो लक्ष्य प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जी ने ...(व्यवधान) देश के सामने रखा था कि वर्ष 2022 तक, जब देश की आजादी को 75 वर्ष होंगे, तब तक हर घर, हर किसान को जितनी बिजली चाहिए, उतनी बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलेगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला कि ये किस तरह से डिसकॉम्स को सुदृढ़ बनायेंगे, क्योंकि आज तक देश में हर घर को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। आप किसान से पूछ लीजिए, ग्रामीण अंचल में पूछ लीजिए, हर गांव में आज भी चार से आठ घंटे तक पावर सप्लाई की कटौती होती है। ...(व्यवधान) आप किसी भी राज्य की स्थिति देख लीजिए। ...(व्यवधान) कृपा करके ऊर्जा मंत्री दौरे पर जायें और गांव में देखें कि वास्तविकता क्या है। ...(व्यवधान) मैं प्रश्न तो पूछ लूं। आप क्यों इतने ... * रहे हैं? आप थोड़ा सब्र रखिये, प्रश्न तो सुन लीजिए। आप थोड़ा पानी पी लीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि आपके शहर इंदौर में ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्टेट की भी जिम्मेदारी है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आज सरकार द्वारा इंदौर में अनइंटरप्टिड पावर की बात की जाती है। वहां पावर कट्स रोज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 हजार मेगावाट की क्षमता है, लेकिन 7 हजार मेगावाट की डिमांड है। वहां आज भी पावर कट्स हो रहे हैं। इन्होंने सही कहा कि जिन राज्यों में इल्लीगल तरीके से पीपीए साइन की गयी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये के पीपीए साइन छः कम्पनीज के साथ हुए हैं। हर साल पावर लिये बिना उन कम्पनीज को तीन हजार करोड़ रुपये दिये जाते हैं। यह सीएंडएजी की रिपोर्ट में आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उनके विरूद्ध एक्शन लेंगे?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को अभी तक यह ध्यान में नहीं आ रहा है कि यह जो स्थिति निर्मित हुई है, उसके पीछे कारण क्या है? सालों-साल से जो विद्युतीकरण का ढांचा सुधारना चहिए था, वह काम नहीं किया गया। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 के बाद जिस प्रकार से तेजी से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इंटीग्रेटिड पावर डेवलपमैंट्स स्कीम्स से सुधर रहा है ...(व्यवधान) उसके कारण डिसकॉम में एटीएंडसी लॉसेज कांग्रेस के समय में 25-26 प्रतिशत थे ...(व्यवधान) अब कटकर 22-23 प्रतिशत आ गये हैं। ...(व्यवधान) हमने एक योजना बनायी है कि उसे 15 प्रतिशत तक लाया जाये। ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि पीपीए साइनिंग के बारे में भी माननीय सदस्य को अभी तक ध्यान नहीं आया है। ...(व्यवधान) जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण कुछ राज्यों में हुआ है, उसके हिसाब से उन राज्यों ने अपना पीपीए साइन किया है। ...(व्यवधान) लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी सरकार, जहां पर इनका

* Not recorded.

काम बोलता था, जहां पर ये और इनके मित्र बंधु मिलकर काम करते थे, वहां उन्होंने अभी भी कोशिश की कि पीपीए साइन किये जायें, जबकि पर्याप्त मात्रा में बिजली थी। वह तो अच्छा हुआ कि चुनाव घोषित हो गये और उसे रोक पाये। ...(व्यवधान)

दूसरा, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो वह एक ऐसा राज्य है, जो पर्याप्त मात्रा में बिजली दे रहा है। ...(व्यवधान) पूरे प्रदेश में बिजली दे रहा है। ...(व्यवधान) शायद इन्हें अपने क्षेत्र की भी जानकारी नहीं है कि गुना में भी सबको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुमारी सुष्मिता देव - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप सब पानी, वाटर कन्जर्वेशन की बात करें।

प्रश्न नम्बर 405, श्री महेश गिरी।

(Q. 405)

श्री महेश गिरी: अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की स्वप्नलक्षी योजना है कि घर-घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं वहीं पर आ रहा हूं कि नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा। आज देश में जल की गंभीर समस्या है। पीने के पानी के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वह बहुत ही पीड़ादायक होता है। जब मैं ग्रामीण यात्रा पर जाता हूं, तो यह देखकर दर्द होता है कि वहां हर जगह गड्ढ़े खुदे हुए हैं। इस बारे में पूछने पर पता चला कि मनरेगा के तहत ये गड्ढ़े खुदवाये गये। अब यह पता नहीं कि गड्ढ़े किसलिए खुदवाये गये, लेकिन वे खुदवाये गये हैं। वहां का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि 'यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, इस ज़मीन पर जहां नजर डालो, वहां खुदा ही खुदा है।' हमें यह पता चला कि पिछली सरकार ने केवल गड्ढ़े खोदने का काम मनरेगा के माध्यम से किया। घर-घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जल संरक्षण के लिए सरकार कौन सी तकनीक अपना रही है? क्या इस पर कोई रिसर्च हो रही है? घर-घर तक पानी पहुंचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? जिस संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गरीब के घर तक पानी पहुंचे, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी को पेयजल मिले, यह निश्चित रूप से सभी सदस्यों और सरकार की चिन्ता है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने पूर्व में लक्ष्य तय किए थे कि वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत बसावटों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक 53 प्रतिशत बसावटों को पाइप्ड वाटर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। हर घर में स्वच्छ पेयजल मिले, हर घर में पानी का घरेलू कनेक्शन हो और पेयजल की स्वच्छता की गारंटी हो, ऐसी स्थिति लाने में निश्चित रूप से अभी समय लगने वाला है। इस मामले में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है।

पिछले दिनों हम लोगों ने सभी राज्यों के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ एक बड़ी कांफ्रेस की थी। उसमें हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इस दृष्टि से राज्यों की ओर से क्या प्रयास हो सकते हैं, उसमें केन्द्र सरकार कैसे सहायक हो सकती है, नई तकनीकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और जल संरक्षण के लिए क्या प्रयत्न हो सकते हैं, ये सभी विषय आए थे। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य भी काफी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य ने पिछले दिनों भागीरथी मिशन का आरम्भ किया और उनका लक्ष्य है कि स्वच्छ पेयजल हर घर तक पहुंचे।

इसी दृष्टि से, जल संरक्षण की बात माननीय सदस्य ने कही है। हर घर में पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक, पेयजल की उपलब्धता समुचित मात्रा में हो। पिछले दिनों केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने एक अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 9,42,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को चिन्हित किया, जहां पर भूजल की उपलब्धता नहीं है। हम पेयजल की आदर्श स्थिति तब मानते हैं, जब सतही जल से लोगों को पानी ट्रीट करके दिया जाए। भूजल से पेयजल देना एक तरह से उचित नहीं है, लेकिन सतही जल की उपलब्धता उतनी नहीं है, इसलिए भूजल और सतही जल, दोनों को मिलाकर पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से, उन लोगों ने एक प्लान और पूरा सन्दर्भ दस्तावेज बनाकर दिया है। वह सन्दर्भ दस्तावेज सभी संबंधित विभागों, जैसे कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, को दिया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी ने इसके लिए संयुक्त रणनीति बनाई है।

आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब सूखा पड़ा था, तब प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रीगण को बुलाकर बातचीत की थी और उस समय जो कुछ काम किया जा सकता था, वह किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्देश भी दिया था कि अगले वर्ष के लिए अगर सूखे की संभावना दिखे तो हमें उसकी एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि वह एडवांस प्लानिंग प्रारम्भ हो गयी है।

मनरेगा के बारे में जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जगह-जगह पर गढ्ढे खुदे हुए दिखाई दिए और उनका कोई फायदा नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 और वर्ष 2015-16 में इस प्राकृतिक संसाधन के प्रबन्धन की दृष्टि से जो काम हुए हैं, उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5,43,000 तालाब और 1,54,000 तालाब निर्मित किए गए हैं। इनमें जलभराव होगा तो निश्चित रूप से नीचे के जल का भी प्रबन्धन होगा। केन्द्रीय भूजल बोर्ड का जो दस्तावेज है, उसके आधार पर वर्ष 2,264 विकास खण्डों को चिन्हित किया गया है। इन विकास खण्डों में जल संरक्षण की दृष्टि से, मनरेगा के अंतर्गत बृहद स्तर पर काम किए जा रहे हैं। मनरेगा की कुल राशि का 67 प्रतिशत हिस्सा जल संरक्षण पर खर्च करें, इस दृष्टि से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जलभराव और जल संरक्षण की दृष्टि से अनेक रिसर्च एवं तकनीकें सामने आई हैं, जिनका प्रयोग सभी लोग विभिन्न राज्यों में करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका फायदा भी इस कार्यक्रम में होने वाला है।

श्री महेश गिरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय जी का उनके विस्तृत जवाब और प्रयासों के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। घर-घर तक पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने जवाब दिया है। मैं गुणवत्ता के लिए

पूछना चाहूंगा। आपने कई बार टी.वी. पर देखा होगा कि ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पीने का पानी अमृत जीवन कहा जाता है, परंतु जहां पर गंदे नाले से पानी पीने के लिए लिया जाता है, उसमें गुणवत्ता कभी-कभी नहीं मिल पाती, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पेयजल की जो गुणवत्ता है, उसके सुधार के लिए क्या कोई सख्ती से और तीव्रता से कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे जल की गुणवत्ता सुधारी जाए?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल में गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और देश में 63968 ऐसी बसावटें हैं जिनमें पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनमें कहीं आर्सेनिक है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं नाइट्रेट वगैरह है, लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्यत: 5 और 3 प्रतिशत राशि लोग राज्य को देते हैं जिससे गुणवत्ता और उसकी मोनीटरिंग का काम कर सकें, लेकिन मैं समझता हूं कि यह राशि भी अपर्याप्त होती है। क्योंकि आर्सेनिक और फ्लोराइड ये दो चीजें मनुष्य के लिए बहुत ही घातक हैं। आर्सेनिक से मनुष्य को केंसर तक हो सकता है और जहां फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, वहां पर दांतों का टूट जाना, हड्डी कमजोर हो जाना, विकलांगता हो जाना, ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है और राजस्थान में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। गंगा जी के किनारे और भी जो क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, लेकिन ये दो राज्य बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इसलिए जब यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में आई तो क्योंकि आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बसावटें देश में 28000 हैं, इसलिए इन 28000 बसावटों को वर्ष 2021 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, सब जानते हैं, आप बैठिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, जल गुणवत्ता उप-मिशन की घोषणा की गई और उसका काम आरम्भ हो गया। राज्यों को राशि देना हम लोगों ने प्रारम्भ कर दिया। काम शुरु हो गया। वर्ष 2021 तक फ्लोराइड और आर्सेनिक से देश मुक्त हो सके, यह हमारा प्रयत्न है।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि खासकर कोसी एरिया जो हमेशा बाढ़ प्रभावित रहता है, इसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, खासकर कोसी 9 जिलों को पानी देता है, लेकिन बाढ़ और बरसात में उसका पानी वेस्ट हो जाता है, हम उस जल को संचय नहीं कर पाते हैं। क्या कोसी के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान है क्योंकि वहां आयरन और फ्लोराइड बहुत ज्यादा

है। बार-बार यह प्रश्न उठता है। उस जल में आयरन बहुत ज्यादा होने के कारण जो भी पेयजल के फिल्टर के लिए जो भी प्लान अभी तक चल रहा है, वे सब फेल हो चुके हैं क्योंकि इतना ज्यादा आयरन है कि उस फिल्टर को, उस जाली को वह तोड़ देता है।

दूसरे, पानी के संचय के लिए, जो जेटली साहब भी कह रहे थे कि 10 लाख तालाब बनाये गये हैं। मुझे शंका है, मैं चाहूंगी कि क्या सरकार उसकी जांच करेगी कि 10 लाख तालाब जमीन पर बने हैं या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, रंजीत जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिहार क्षेत्र में यह समस्या है, लेकिन जब हम राज्य को पैसा देते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य को उस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजना बनानी चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि बिहार का जो हिस्सा है, उससे अधिक 50 करोड़ रुपया हमने बिहार को दिया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी से चर्चा करके, उस क्षेत्र में योजनाएं बनवाएं और उनको कार्यान्वित करवाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संतोष अहलावत जी, आपका पीने के पानी से संबंधित प्रश्न है, इन्हें पूछने दीजिए।

श्रीमती संतोष अहलावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में माना कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पेयजल की गंभीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है। पीने के पानी की अनुपलब्धता तो है ही, लेकिन साथ में दूषितता के उच्चतम स्तर को भी पार कर दिया गया है। यानी जो पानी हम पी रहे हैं, वह हम बीमारियों को पी रहे हैं और दो विधान सभा क्षेत्र पलायन की स्थिति में हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि क्या भविष्य में मेरे संसदीय क्षेत्र में सतही जल की कोई व्यवस्था आप कर पाएंगे?

माननीय अध्यक्ष : कोई प्रोजेक्ट दिया हो तो बता दें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में ही यह व्यक्त किया था कि जल संरक्षण के लिए 'मनरेगा' के अन्तर्गत 2264 विकास खंड़ों को हमने चिन्हित किया है। उसमें राजस्थान के भी विकास खंड हैं और देश भर के भी हैं। उन क्षेत्रों में 'मनरेगा' के माध्यम से हम जल संरक्षण का काम करने वाले हैं।

जहां तक दूषित पेयजल का सवाल है, निश्चित रूप से बहन जी के क्षेत्र में भी फ्लोराइड की समस्या होगी तो फ्लोराइड के लिए जो 25000 करोड़ रुपये की परियोजना बनाई गई है, उसमें जो सर्वाधिक पैसा है, फ्लोराइड और आर्सेनिक के लिए पश्चिम बंगाल और राजस्थान को ही मिलने वाला है। राजस्थान की सरकार उस प्रोजेक्ट को भेजेगी तो निश्चित रूप से वह मंजूर होगा।

श्रीमती शताब्दी राय : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि कितने मिनिस्टर को कितनी बार चिट्ठी देने से, कितनी बार प्रोजेक्ट देने से, कितनी बार मिलने के बाद वे काम करेंगे? यह आपसे जानना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। जैसे ही उनके पास पैसा होगा, समय होगा, उसके अनुसार वे काम करेंगे। This is not the way.

...(व्यवधान)

(Q. 406)

श्रीमती रेखा वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अच्छा उत्तर दिया है, फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2011 से अभी तक ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रोजगार सृजन किया गया है, कृपया इसका वर्षवार ब्यौरा बता दें।

श्री राम कृपाल यादव: माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत जो राशि आबंटित की गई है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, खासकर जो गरीबी उन्मूलन पर अपना एक दृष्टिकोण रखता है और कार्रवाई करता है, कुल मिलाकर 5 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे गरीबी उन्मूलन होता है- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। विस्तार से प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि विभिन्न राज्यों को दी गई है, उसकी एक सूची माननीय सदस्या को उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'मनरेगा' के माध्यम से कराये जा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूं कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आकलन किया है, जिसमें 34 प्रतिशत गरीबी सिर्फ 'मनरेगा' में जो राशि आबंटित की जा रही है, उससे गरीबी उन्मूलन हुआ है।

जो अन्य कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से उसके असर हो रहे हैं। भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012-13 में जहां 52000 करोड़ रुपया था, 2013-14 में 59000 करोड़ रुपया बढ़कर हुआ। वर्ष 2014-15 में 68000 करोड़ रुपये से अधिक आबंटित हुआ। 2015-16 में 77000 करोड़ रुपये से कुछ अधिक आबंटित हुआ। 2016-17 में 96000 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी गई। इस वित्तीय वर्ष में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में कुल मिलाकर 1,05000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्रामीण विकास मंत्रालय में गरीबी उन्मूलन के लिए और गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हो, उनकी बेरोजगारी दूर हो, इस हेतु यह धनराशि हमने आबंटित करने का काम किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की हमेशा चिन्ता है कि गांव, गरीब और किसानों की तरफ पूर्ववर्ती किसानों ने जो पैसा दिया, उससे लगभग दुगुना पैसा हमने इस वित्तीय वर्ष तक तीन साल के कार्यक्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी की चिन्ता और निर्देश के बाद आबंटित करने का काम किया है। हमारी प्राथमिकता गांव की गरीबी को दूर करना है और गांवों को उन्नत बनाना है ताकि गांवों के लोग गांवों मे रह सकें और वे शहरों की ओर न जाने का काम करें।

श्रीमती रेखा वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, दि वर्ल्ड, एन.आर., एल.एम. की महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011-17 तक कुल 11 प्रस्ताव भेजे हैं जिसमें से केवल एक ही अनुमोदित हुआ है। इसका क्या कारण है?

<u>12:00 hours</u>

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकारों के माध्यम से सही समय पर अगर प्रस्ताव आते हैं तो केन्द्र की सरकार यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई करती है। निश्चित तौर पर, उत्तर प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसका भगवान ही मालिक था, मगर मैं समझता हूं कि अब जो नयी सरकार आयी है, वह सही समय पर प्रस्ताव भेजेगी और केन्द्र सरकार पूरी तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और देश की अन्य जनता के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर धन राशि देगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर समय पर प्रस्ताव भेजती है तो डिपार्टमेंट के माध्यम से उचित समय पर उचित निर्णय ले कर राशि दी जायेगी, ताकि वहां की कार्रवाई हो जाये।

HON. SPEAKER: Venugopal Ji, you put a short question.

SHRI K.C. VENUGOPAL : The hon. Minister replied to the previous question that conservation of water can be done by MGNREGA. I am totally agreeing with that. But the problem is that in Kerala, water, water everywhere but not a drop to drink anywhere. This is the situation. There are a lot of ponds and lakes. We have to conserve that water. Now in MGNREGA, a lot of jobs have been cut off. Man days have been cut off by the Government of India. I raised this issue in 'Zero Hour' also. Is the Government rethinking on this? Will the Government allow all the job days, which was proposed by the Government of Kerala?

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदया, मांग के आधार पर मनरेगा के अंतर्गत धनराशि दी जाती है, उसके लिए लेबर बजट बनता है, मांग की जाती है। कहीं से कोई राज्य सरकार की मांग के आधार पर हमने धन राशि देने का काम किया है।...(व्यवधान) I am just telling you. ...(व्यवधान)

मुझे खुशी है कि केरल अन्य राज्यों की अपेक्षा गरीबी कम होने के कारण मांग कम होती है, इसलिए वहां धन राशि कम जाती है।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : What is this answer?

HON. SPEAKER: The Question is on poverty alleviation.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: He is misleading the House. What is this?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.39(E) in Gazette of India dated 17th January, 2017.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Sixth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. L-1(3)/2009-CERC in Gazette of India dated 10th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6781/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

(i) G.S.R.211(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2017, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

(ii) G.S.R.212(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2017, approving the Mormugao Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

(iii) G.S.R.213(E) published in Gazette of India dated 9th March, 2017, approving the New Mangalore Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6782/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958:-

(i) The Merchant Shipping (Limitation of Liability for Maritime Claims) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.153(E) in Gazette of India dated 21st February, 2017.

(ii) The Merchant Shipping (Levy of Seamen's Welfare Fee) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.232(E) in Gazette of India dated 10th March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6783/16/17]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(i) S.O. 3424(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(ii) S.O.3510(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, entrusting National Highway No. 44 (Sabroom-Indo/Bangladesh Border Section) in the State of Tripura to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.

(iii) S.O.3511(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(iv) S.O.3512(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, entrusting stretches of National Highways, mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Karnataka.

(v) S.O.3513(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(vi) S.O.3514(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, declaring new National Highway No. 365B in the State of Telangana.

(vii) S.O.3515(E) published in Gazette of India dated 23rd November, 2016, declaring new National Highway No. 716 in the State of Andhra Pradesh.

(viii) S.O.3586(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 689(E) dated 4th April, 2011.

(ix) S.O.3587(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2016, entrusting stretches of National Highways, mentioned therein, to National Highways Authority of India.

(x) S.O.3588(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xi) S.O.3590(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 689(E) dated 4th April, 2011.

(xii) S.O.3673(E) published in Gazette of India dated 7th December, 2016, declaring new National Highways No. 21 in the State of Uttar Pradesh.

(xiii) S.O.3688(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2016, declaring new National Highway No. 516D in the State of Andhra Pradesh.

(xiv) S.O.3689(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xv) S.O.3690(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2016, entrusting stretches of National Highways, mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Uttar Pradesh.

(xvi) S.O.4149(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1760(E) dated 13th May, 2016.

(xvii) S.O.4150(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xviii) S.O.4151(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, entrusting National Highway No. 31A (Rangpo-Gangtok Section) in the State of Sikkim to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.

(xix) S.O.4152(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xx) S.O.4153(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 815(E) dated 25th May, 2007.

(xxi) S.O.4154(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, entrusting National Highway No. 53 (Imphal-Jiribam Section) in the State of Manipur to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited.

(xxii) S.O.4155(E) published in Gazette of India dated 23rd December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxiii) S.O.4171(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2016, declaring new National Highway No. 363 in the State of Telangana.

(xxiv) S.O.4172(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxv) S.O.4173(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2016, entrusting the stretches, mentioned therein, of new National Highway Nos. 21 and 22 to National Highways Authority of India in the state of Himachal Pradesh.

(xxvi) S.O.4174(E) published in Gazette of India dated 27th December, 2016, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxvii) S.O.13(E) published in Gazette of India dated 3rd January, 2017, declaring new National Highways, mentioned therein, in the State of Maharashtra.

(xxviii) S.O.14(E) published in Gazette of India dated 3rd January, 2017, declaring new National Highways, mentioned therein, in the State of Maharashtra.

(xxix) S.O.28(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2017, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxx) S.O.29(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2017, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxxi) S.O.30(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2017, entrusting the stretches, mentioned therein, of new National Highway Nos. 5 and 6 to National Highways Authority of India in the States of Odisha and Jharkhand.

(xxxii) S.O.376(E) published in Gazette of India dated 9th February, 2017, entrusting the stretches, mentioned therein, of new National Highway No. 166A to National Highways Authority of India in the state of Maharashtra.

(xxxiii) S.O.377(E) published in Gazette of India dated 9th February, 2017, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(xxxiv) S.O.95(E) published in Gazette of India dated 11th January, 2017, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 2 (Kanpur-Varanasi Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxxv) S.O.167(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2017 regarding rounding off fee to nearest Rs. 5/- in nearly 45 BOT (Toll) Project, mentioned therein.

(xxxvi) S.O.168(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2017, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 112 (Bagundi-Barmer Section) in the State of Rajasthan.

(xxxvii) S.O.169(E) published in Gazette of India dated 17th January, 2017, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 11B (Karauli-Bari-Dholpur Section) in the State of Rajasthan.

(xxxviii) S.O.478(E) published in Gazette of India dated 16th February, 2017, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 458 (Ladnu-Khatu-Degna-Merta City-Lambia-Jaitaran-Raipur Section) in the State of Rajasthan.

(xxxix) S.O.479(E) published in Gazette of India dated 16th February, 2017, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 15 (Bikaner-Phalodi Section) in the State of Rajasthan.

[Placed in Library, See No. LT 6784/16/17]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002:-

(i) S.O.3423(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2016, rescinding Notification No. S.O.1301(E) dated 4th April, 2016.

(ii) S.O.3691(E) published in Gazette of India dated 9th December, 2016, regarding delegation of powers of Highway Administration.

(iii) S.O.378(E) published in Gazette of India dated 9th February, 2017, appointing the Officers, mentioned therein, of the National Highways Authority of India to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 within the limits and jurisdiction, mentioned therein, in respect of National Highways specified in the Notification.

[Placed in Library, See No. LT 6785/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SANJEEV BALYAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6786/16/17]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 6787/16/17]

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 6788/16/17]

(ग) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6789/16/17]

(3) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6790/16/17]

(5) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 4157(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 14 जनवरी की अधिसूचना सं. का.आ. 126 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6791/16/17]

(6) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 472(अ) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लोक सभा के दो सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6792/16/17]

12.03 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the Recommendations contained in the 228th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Shipping*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 228th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of Shipping.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6793/16/17.

<u>1203½ hours</u>

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 148 DATED 02 FEBRUARY, 2017 REGARDING CONNECTIVITY OF TOURIST CENTRE*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay the statement correcting the reply given on 02 February 2017 to Unstarred Question No. 148 by Adv. Narendra Keshav Sawaikar, MP regarding ‘Connectivity of Tourist Centre’.

Annexure to the reply of the above question has been revised and a copy of the same is placed below.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6794/16/17.

Statement

The State /UT -wise details of funds allocated for development of NHs during 2016 -17

(Amount in Rs. crore)

Sl. No.	State/Agency/Particulars	Allocation[$]
1.	Andhra Pradesh	2,010
2.	Arunachal Pradesh	100
3.	Assam	247
4.	Bihar	1,397
5.	Chhattisgarh	1,323
6.	Goa	700
7.	Gujarat	251
8.	Haryana	150
9.	Himachal Pradesh	250
10.	Jammu & Kashmir	49
11.	Jharkhand	200
12.	Karnataka	983
13.	Kerala	262
14.	Madhya Pradesh	1,725
15.	Maharashtra	1,851
16.	Manipur	30
17.	Meghalaya	41
18.	Mizoram	30
19	Nagaland	50
20.	Odisha	983
21.	Punjab	2,675

22.	Rajasthan	1,276
23.	Sikkim	0
24.	Tamil Nadu	430
25.	Telangana	475
26.	Tripura	40
27.	Uttar Pradesh	2,334
28.	Uttarakhand	342
29.	West Bengal	1,355
30.	Chandigarh	2
31.	Delhi	2
32.	Puducherry	20
33.	Other projects under NH (O)*	2,142
34.	National Highways Authority of India (NHAI)-Cess	7,476
35.	NHAI-Toll	7,500
36.	NHAI –NH (O)	3,750
37.	Special Accelerated Road Development Programr for North-East Region (SARDP-NE) includi Arunachal Package*	4,520
38.	Special Programme for development of Roads in L Wing Extremism affected Area (LWE) includi Development of Vijayawada-Ranchi Road*	760
39.	Externally Aided Projects -Head Quarters	116
40.	IEBR/Borrowings by NHAI	59,279
$ - Provisional till December, 2016		
*-State/UT wise allocations are not made		

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कुछ कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

12.05 hours

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Failure of the Government to address agrarian distress leading to alarming increase in farmer suicide

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, यह सर्वविदित है कि जब तक हमारे देश का अन्नदाता सुखी नहीं होगा, तब तक देश सुखी नहीं हो पाएगा। यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में 71 हजार करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना लाई थी। इससे साढ़े तीन करोड़ किसानों को राहत मिली थी और साथ ही साथ समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की थी।

महोदया, आज की सरकार कहती है कि 'सबका साथ सबका विकास', लेकिन किसान आज आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि कर्ज़ में किसान डूब चुका है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में किसान की जो पीड़ा है, किसान पर जो भीषण संकट है, उसके समाधान के लिए किसान कराह रहा है। सरकार द्वारा किसानों की पूरी अनदेखी की जा रही है। आप तमिलनाडु के किसानों की दुर्दशा देखिए। तमिलनाडु भीषण सूखे के दौर से गुजर रहा है। वहां 62 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। दिल्ली में तमिलनाडु के किसान मृत शरीर के सिर को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इन्होंने 40 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन सरकार दो हजार करोड़ रुपये भी नहीं दे पाई है।

महोदया, उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखा था कि ऋण माफी योजना शुरू की जाएगी और दो करोड़ किसानों को ऋण से राहत दी जाएगी, लेकिन आज भी सरकार सिर्फ जुमले पर अटकी है और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में पन्द्रह हजार किसानों ने आत्महत्या की है।...(व्यवधान) वहां किसान संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी है, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। हम मांग करते हैं कि ऋण माफी योजना जल्द लागू की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री जी नया भारत और नये साल की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए ऋण माफी की योजना कब लागू की जाएगी?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जय प्रकाश नारायण यादव।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, एससी और एसटी आयोग के गठन पर माननीय मंत्री जी जवाब दिया है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने समय में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा।...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह सदन में उपस्थित हैं, वे माननीय सदस्य की बात का उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाएं। कृषि मंत्री जी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग मुझे पोस्टर न दिखाएं, मंत्री जी जो कहने जा रहे हैं, उसे आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दिन भर कागज दिखाते रहोगे, सदन में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, पिछले दिनों कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान अधिकतर माननीय सदस्य मौजूद थे और मैंने अपनी बातें सदन में रखी थीं। आज तमिलनाडु या देश में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई सदन में इधर से या उधर से बैठे-बैठे कमेंट करे, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, मैंने कहा कि तमिलनाडु एवं देश और महाराष्ट्र हमारे देश का ही हिस्सा है। माननीय सदस्य ने तमिलनाडु और देश के किसानों की प्रमुखता से चर्चा की है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य आपदा कोष के अंतर्गत राज्यों के पास पैसा होता है। मोदी सरकार से पहले राज्य आपदा कोष में पांच वर्ष के लिए पूरे देश का आबंटन 24 हजार करोड़ रुपये का था। मोदी सरकार ने इस राशि को बढ़ा कर 47 हजार करोड़ रुपए किया, यह राशि अपने में रिकार्ड है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनकी बात का उत्तर सदन में नहीं दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : ठीक है, महोदया।

तमिलनाडु को पांच वर्षों में राष्ट्रीय आपदा कोष में 1083 करोड़ रुपए की राशि दी गई और मोदी सरकार के आने के बाद पांच वर्षों के लिए इस राशि को बढ़ाकर तीन हजार करोड़ रुपए किया गया। जैसा मैंने बताया कि पूरे देश के लिए पांच वर्षों का आबंटन 24 हजार करोड़ रुपए का था और उसे बढ़ाकर 47 हजार करोड़ रुपए किया, तो स्वाभाविक है कि सभी राज्यों में आबंटन बढ़ाया गया। इसके बाद यदि आपदाएं ज्यादा होती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से मांग आती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में राष्ट्रीय आपदा कोष से राज्यों को बारह हजार करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन उनकी मांग 92 हजार करोड़ रुपये की थी। मैं चार साल की बात बता रहा हूं। यदि केवल वर्ष 2014-15 की बात करूं, तो राष्ट्रीय आपदा कोष में नौ हजार करोड़ रुपये दिए गए। चार वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपए और एक वर्ष 2015 में नौ हजार करोड़ रुपये और 2015-16 में 15 हजार करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा कोष से दिए गए।वर्ष 2016-17 में हमारे पास राज्यों से जो डिमांड आई हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश को 518 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 1748 करोड़ रुपये की स्वीकृति एनडीआरएफ से हुई है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार के बारे में भी बता दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप लोग फिर वही कर रहे हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : उसके बारे में डिटेल हम आपको दे देंगे।

जहाँ तक मांग के मुताबिक तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु ने वर्ष 2012-13 में 19 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से उसे छः सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस बार हमने उसे 1700 करोड़ रुपये दिये हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी सहायता राशि है। वहाँ के जो किसान धरना पर

बैठे हैं, वहाँ के माननीय मंत्री श्री राधाकृष्णन जी के साथ एक बार मिल चुका हूँ और सम्माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ भी मैं वहाँ के किसानों के साथ मिल चुका हूँ।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली): एक बार मैं भी मिला हूँ।

श्री राधा मोहन सिंह : हमारे वित्त मंत्री जी मिले हैं, उमा भारती जी मिली हैं, निर्मला सीतारमन जी मिली हैं। ...(व्यवधान) जहाँ तक कर्ज माफी का सवाल है, ...(व्यवधान) राजनाथ जी मिले हैं, ...(व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ भारत सरकार की पूरी सहानुभूति और समर्थन है और हम सहायता भी कर रहे हैं।

जहाँ तक कर्ज माफी का सवाल है, आपके ध्यान में होगा कि पहले किसान ऋण लेते थे, तो नौ प्रतिशत ब्याज देते थे। जब आदरणीय राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, तो उस समय ब्याज-दर में दो प्रतिशत की कमी की गयी और राज-खज़ाने से राशि दिया जाने लगा। फिर बाद तीन प्रतिशत और राज-खज़ाने से राशि गयी। किसान मात्र चार प्रतिशत ब्याज-दर का भुगतान करते हैं। लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपने राज-खज़ाने से, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ...(व्यवधान) कर्नाटक में आपकी सरकार भी है, वह भी अपने राज-खज़ाने से राशि देती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात भी देती है और अब महाराष्ट्र ने भी अपने राज-खज़ाने से तीन प्रतिशत ब्याज-दर देना शुरू किया है। ...(व्यवधान) एक प्रतिशत ब्याज-दर किसान को देना पड़ता है।

आपके ध्यान में यह भी होगा कि 14वें वित्त आयोग ने कितनी राशि बढ़ायी है, इसके आँकड़े भी मेरे पास हैं। मेरे पास पूरे देश के आँकड़े हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मंत्री जी, वह केवल सहकारिता बैंकों के आँकड़े हैं। आप बाकी बैंकों के ऋण की बात कीजिए, क्योंकि 80 प्रतिशत किसान अन्य बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : कोई भी किसान, चाहे सहकारिता बैंक से ऋण लेता हो, चाहे किसी भी बैंक से ऋण लेता हो, उसको पाँच प्रतिशत सहायता भारत सरकार के खज़ाने से और चार प्रतिशत किसान किसान देता था। कई राज्य सरकारों ने अपने खज़ाने से सहायता देना शुरू किया है। वित्त आयोग ने राज्यों के लिए जो राशि बढ़ायी है, उसके बाद कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उस दिन माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी, तो हम लघु-सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे खुशी होगी कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज-खज़ाने से सहायता करेगी, चूंकि 14वें वित्त आयोग में राज्यों की राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है, यदि राज्य सरकारें सहायता करती हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। भारत

सरकार न केवल किसानों के साथ खड़ी है, बल्कि कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की गयी है। उनके परिणाम सामने आएंगे।

जहाँ तक आपने कर्ज माफी की बात कही, तो आपने वर्ष 2008 में कर्ज माफ किया। वर्ष 2005 में देश में जो कुल आत्महत्याएं हुईं, उनमें 15 प्रतिशत किसान और कृषि कार्य से संबंधित काम करने वाले थे। वर्ष 2008 में जितनी आत्महत्याएं हुईं, उनमें 13 प्रतिशत किसान और कृषिकर्मी-मजदूर थे। जब आपने कर्ज माफ किया, उसके बाद वर्ष 2009 में इसके आँकड़े 13.7 प्रतिशत हो गये। आज की तारीख में यह घटकर 9.4 प्रतिशत हुआ है।

मेरा आग्रह है कि सरकार ने जितनी योजनाएं चलायी है, मेरे पास तमिलनाडु के आँकड़े हैं, वहाँ माइक्रो-इरिगेशन के लिए पैसे गये। जब राशि दी गयी, तो वर्ष 2014-15 में नौ करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए, वर्ष 2015-16 में 22 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए, वर्ष 2016-17 में अभी तक 51 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं।

किसानों की मजबूती के लिए राज्यों में जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उस पर राशि खर्च नहीं हो रही है। 31 मार्च के बाद मैं इस विषय को भी लाऊँगा। मेरा कहना है कि हम सब लोग मिलकर किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनका क्रियान्वयन तेजी से करें, ताकि किसानों की हालत सुधरे। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग और एस.सी. एस.टी. आयोग के गठन ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : एक मिनट भाई। एक मिनट आप बैठिए।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्या कर रहे हैं? जयप्रकाश जी आप बोलिए। आप अभी आए हैं। इस बात पर विस्तृत उत्तर दिया जा चुका है। बार-बार एक ही बात मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मैं बार-बार नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो अभी आया हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अभी आए हैं, पर आपकी पार्टी बोल चुकी है। आप अभी आए, इसलिए आपको यह बात मालूम नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी बोल रहे हैं, वे भी बोल रहे हैं। कौन-कौन बोलेगा। आप बैठिए। ऐसा नहीं होता है, आई एम सॉरी। अभी जीरो आवर में यह चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, इस विषय पर मैं दो-तीन बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिला हूँ। मैंने होम मिनिस्टर से भी बात की है, लेकिन इन्होंने इसका जो असेस्मेंट किया है उसके तहत ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

12.16 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने इस पर जवाब दिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कितने दिनों में किया जाएगा? ...(व्यवधान) हमें जानकारी मिली है कि मंडल कमीशन में शामिल जातियों के अलावा अन्य संपन्न जातियों को इसमें जोड़ने की साजिश हो रही है। ...(व्यवधान) यदि ऐसा किया जाएगा, तो संसद से लेकर सड़कों तक लड़ाई होगी। आरक्षण हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। यदि मंडल कमीशन में कोई भी छेड़-छाड़ कर,

संपन्न जातियों को इसमें घुसाया जाएगा, तो संसद से लेकर सड़कों तक एक बड़ी लड़ाई होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, युवा, विश्वविद्यालयों के छात्र, किसान, मजदूर के लिए मंडल कमीशन में जो जातियाँ हैं, उनके अलावा किसी भी संपन्न जाति को पिछड़े वर्ग के आरक्षण में न जोड़ा जाए। ...(व्यवधान) मुझे आपसे यही निवेदन करना है, नहीं तो एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एम.बी. राजेश जी।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Madam, in my Constituency, farmers are committing suicide. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, do you want to say something?

… (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, we fully agree with what the hon. Minister has stated in the House. … (*Interruptions*) Madam Speaker, our humble request to the Government is that in Kerala more than 30,000 hectares of crop has simply vanished because of the severe drought. … (*Interruptions*)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Yes, Madam, they are committing suicide. … (*Interruptions*) It has become a big crisis situation in Kerala. … (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH: Madam, now, the banks including the public sector banks are hesitant to give agriculture loan to the poor farmers. … (*Interruptions*) How can they go in for farming? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record about the farmers.

…(Interruptions)… *

माननीय अध्यक्ष : आपका अलग विषय था, यदि आपको उस पर बोलना हो तो बोलिए, नहीं तो बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded. .

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, let the hon. Minister respond on the drought situation. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बचा हुआ जीरो आवर बाद में करेंगे।

12.18 hours

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to probe the issue of alleged overpayment to a company entrusted with the task of construction of four-lane road from Baghpat to Saharanpur in Uttar Pradesh

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में कागजों पर फोरलेन का निर्माण होने के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर होते हुए यमुनोत्री को जाने वाले मार्ग के 206 कि.मी.लम्बे भाग का फोरलेन मार्ग के रूप में निर्माण कराने का निर्णय लिया। जिसके अंतर्गत दिनाँक 01 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश हाइवे अथॉरिटी ने 1735 करोड़ रूपए की लागत से निर्माण कराने हेतु एक कंपनी के साथ अनुबंध किया, जिनकी समय-सीमा 900 दिन निर्धारित की गई।

इस मार्ग के निर्माण हेतु उक्त अनुबंधित कंपनी ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया। जबकि दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को कंपनी ने कार्य प्रारंभ कर नवम्बर, 2013 में कार्य बंद कर दिया और कुल कार्य का केवल 13.33 प्रतिशत कार्य कंपनी ने सम्पन्न कराया। कंपनी ने निर्माण कार्य बंद करने का कारण मार्ग पर आने वाले हरे पेड़ों के कटाव हेतु पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलने को बताते हुए उपशा (उ.प्र. स्टेट अथॉरिटी) से कार्य की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर उपशा ने 721 दिनों की समय-सीमा और बढ़ा दी।

यहीं से उक्त अनुबंधित कंपनी और उपशा के अधिकारियों व उन 14 बैंकों के अधिकारियों की कथित मिलीभगत का खेल शुरु हुआ। जिसके अंतर्गत कंपनी ने बैंकों से अपने कराए गए कार्यों के सापेक्ष 603 करोड़ रु. का भुगतान प्राप्त कर लिया। जबकि उक्त कंपनी ने कुल निर्माण कार्य का 13.33 प्रतिशत कार्य ही किया था, जिसकी लागत 148 करोड़ रूपए थी। यानि कंपनी ने अपने किए गए कार्य के मूल्य से 455 करोड़ का अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया, जिसके बाद कंपनी ने निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले अपने उपकरण आदि धीरे-धीरे उक्त निर्माण साइट से हटाने शुरु कर दिए और एक दिन अपना बोरिया-बिस्तर पूर्ण रूप से समेट कर चम्पत हो गई, लेकिन राज्य सरकार या उपशा से अधिकारी चुपचाप इस मामले को देखते रहे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की जाँच कराई जाए।

(ii) Need to set up sugar, timber and food processing industries in Balrmapur and Shravasti districts of Uttar Pradesh

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद श्रावस्ती की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ, जो अति पिछड़ा जिला है। भारत-नेपाल की सीमा पर बसा यह जनपद विकास की असीम संभावनाओं को समेटे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकारों की लगातर उपेक्षा से इस जिले में आज तक कोई ऐसा उद्योग स्थापित नहीं हो सका है जिससे स्थानीय जनता को रोज़गार मिले और क्षेत्र के संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके। श्रावस्ती जिले में गन्ने की खेती वृहद रूप से होती है। श्रावस्ती का गन्ना बहराइच, बलरामपुर, बढ़नी, चिलवरिया, कैसरगंज, तुलसीपुर, नानपारा नेपाल तक जाता है। यदि श्रावस्ती में गन्ना मिल की स्थापना होती है तो किसानों को दूर-दराज तक अपना गन्ना बेचने नहीं जाना पड़ेगा। सही समय से मिल को गन्ना मिलेगा और किसानों को गन्ने की सही कीमत समय से मिलेगी।

वन क्षेत्र की अधिकता के कारण श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जिलों में लकड़ी की प्रचुर मात्रा है। अतः लकड़ी आधारित उद्योग भी श्रावस्ती और बलरामपुर की दशा और दिशा बदलने में भारी सहायक होगा। संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में न तो भूमि की कमी है और न ही श्रमिकों की कमी है। जल भी प्रचुर मात्रा में जमीन के अंदर मौजूद है। उद्योग धंधे के लिए आवश्यक सभी अनुकूलता के बावजूद केंद्र सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी ने आज तक श्रावस्ती और बलरामपुर को पिछड़े क्षेत्र से आगे आने में मदद नहीं किया है।

अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि सक्षम टीम से सर्वे करवाकर बलरामपुर और खासकर श्रावस्ती में चीनी उद्योग/लकड़ी उद्योग/फूड प्रोसेसिंग उद्योग आदि की स्थापना करवाने की कृपा करें।

(iii) Need to release balance fund to Government of Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर) : महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू-संसाधन विभाग को दिनांक 11.08.2016 एवं 19.09.2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास योजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 648 करोड़ रूपए आवंटित किए जाने हेतु अनुरोध किया था।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को अब तक केवल 186.95 करोड़ रूपए की राशि का आवंटन किया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अभी भी 461.05 करोड़ रू. का आवंटन किया जाना लंबित है। इस राशि का आवंटन न किए जाने से राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास योजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) से संबंधित प्रस्ताव लंबित है। अतः इस राशि का शीघ्र आवंटन किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य का विकास संभव हो सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास योजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से की जिस 461.05 करोड़ रू. का आवंटन करना शेष है। इस राशि को राज्य सरकार को शीघ्र जारी करने का कष्ट करें।

(iv) Need to expand the airport at Buxar in Bihar and also set up a new international airport at Buxar

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम की दीक्षा भूमि, हमारा संसदीय क्षेत्र बक्सर, जो महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि तथा माता अहिल्या के अवतरण स्थल एवं वामन भगवान की भी जन्म स्थली है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी मिनी काशी को चरितार्थ करते हुए सभी दृष्टिकोण से विकसित करने की बात कही थी। मुख्य केन्द्र होने के कारण इसको केन्द्र सरकार द्वारा रामायण परिपथ में जोड़ने का निश्चय भी किया गया है। साथ ही आजादी की लड़ाई की एक क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक भूमि चौसा, बक्सर के रूप में सुप्रसिद्ध रहा है। ज्ञातव्य हो कि बक्सर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के साथ-साथ व्यापार केन्द्र भी है जहाँ केंद्र सरकार द्वारा मेगा पावर प्रोजेक्ट (1360 मेगावाट विद्युत उत्पादन) का कार्य भी प्रगति पर है। अतः मेरा सरकार से विशेष रूप से आग्रह है कि बक्सर स्थित राज्य सरकार की हवाई पट्टी के विस्तार एवं सौंदर्यीकरण की अति आवश्यकता है एवं छोटे सेवा विमानों द्वारा बक्सर से पटना, भागलपुर, देवघर (झारखण्ड), पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया तथा बनारस के गैर सेवा या फिर कम सेवा वाले हवाई अड्डों के जरिए छोटे-छोटे शहरों और बड़े शहरों के बीच हवाई सम्पर्क शुरू करवाया जाए। साथ ही बक्सर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी निर्माण किया जाए।

(v) Need to permit Ayush doctors to practice Allopathy after one-year certificate course in Allopathy

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : आज देश के जिला स्तर के अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों में डॉक्टरों, नर्सों और सपोर्ट स्टाफ की भारी कमी है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी व तपेदिक के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। यदि इसकी समय पर रोकथाम नहीं की गई तो इसके परिणामस्वरूप देश की गरीब जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नई स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत आयुष डॉक्टरों को एक साल का सर्टीफिकेट कोर्स (एलोपैथी) में कराकर, आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी इलाज का अधिकार देते हुए सैन्य अस्पतालों, जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया जाए जिससे देश की ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।

(vi) Need to conduct skill development programmes and set up small scale industries in hill states

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों से समूचा पर्वतीय क्षेत्र पलायन की विकट समस्या का सामना कर रहा है। अनियंत्रित पलायन से जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रयासों को अप्रत्याशित क्षति हो रही है। पलायन का मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की अत्यधिक कमी है। मौसम परिवर्तन, मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव तथा समय-समय पर आने वाली भीषण प्राकृतिक आपदाओं ने क्षेत्र के लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। पिछले वर्षों में केदारनाथ की भीषण त्रासदी और उसके पश्चात् जम्मू-कश्मीर में आयी भीषण जल-प्रलय इसका जीता-जागता उदाहरण है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि देश और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनेक प्रकार के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाएं जाएं जो कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस श्रृंखला में जड़ी-बूटी उत्पादन, ऑर्गेनिक खेती, फ्लोरीकल्चर, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, ईको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, आयुर्वेदिक उत्पादन को विशेष महत्व दिया जाये ताकि हिमालय क्षेत्र की इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके।

(vii) Regarding setting up of AIIMS at Deoghar, Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar is one of the centre points of Santhal Pargana region and as you are aware the entire Santhal Pargana region is backward, poor and deprived. This area does not have any medical facilities at all and needless to say the reduction on public health spending and the growing inequalities in health and health care are taking its toll on the marginalized and socially disadvantaged population of Santhal Pargana. This area is prone to malnutrition, with an estimated 75 per cent of children and mothers being anemic.

A recent report says that “a child in the low standard of living” economic group is almost four times more likely to die in childhood than a child in the ‘High standard of living’ group. Children born in the tribal belt are one and half times more likely to die before the fifth birthday than children of other groups. Children below 3 years of age in scheduled tribes and scheduled castes are twice as likely to be malnourished than children in other groups. A tribal mother is over 12 times less likely to be delivered by a medically trained person. A tribal woman is one and a half times more likely to suffer the consequences of chronic malnutrition as compared to women from other social categories.

The State Government of Jharkhand has worked towards the AIIMS plan by allotting land including the availability of 200 acres of land available at Deogarh, which is a district in the state and home to the famous Dwadash Jyotirling and Shaktipeeth, where 5 crore pilgrims visit every year, as well as the site for an upcoming international airport.

My insistence for setting up the AIIMS at Deogarh is mainly on account of its geographically central location and ease of communication on Kolkata - Patna main rail route and also connected with three National Highways.

Accordingly, I would like to once again request that given the availability of earmarked land, the central location, transportation infrastructure and the needs

of the people of Jharkhand- it is eminently desirable that the AIIMS be located at Deoghar, Jharkhand and a decision to this effect be taken at the earliest.

(viii) Need to create a new State of Poorvanchal

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : देश के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु पूर्वांचल राज्य के गठन के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। भारत संघ के लिए नए राज्य के गठन की जरूरत का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। संप्रति भारत संघ में 29 राज्य एवं 7 संघ क्षेत्र हैं। भारतवर्ष दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी कम होते हुए भी वहां राज्यों की संख्या 50 है। देश का समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक आवश्यकता होती है।

देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता होती है जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां की अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं निकट से शासन के सुन्दर प्रयास के माध्यम से उन क्षेत्रों को उन्नत बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की भोजपुरी भाषा-भाषी जिलों यथा बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, छपरा, जिला क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, बलिया तथा सोनभद्र जिला क्षेत्रों को मिलाकर आज पूर्वांचल राज्य का गठन अनिवार्य है जिसकी राजधानी वैश्विक सांस्कृतिक स्थल वाराणसी में हो। पूर्वांचल राज्य की चिर-प्रतीक्षित मांग अब शीघ्र ही पूरी होने की उम्मीद है तथा पूर्वांचल क्षेत्र के नागरिकों ने इस उम्मीद के साथ पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है।

अतः मेरा विशेष आग्रह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भोजुपरी भाषा-भाषी जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य का गठन शीघ्र करने हेतु सदन के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई की जाए।

(ix) Regarding polluted water bodies in Begusarai district, Bihar

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैंती, वाया और बागमती नदियों के किनारे 2/3 हिस्से में मानव आबादी है। इन नदियों के किनारे सैंकड़ों गांव जो बसे हुए हैं रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से उनका आंतरिक जलस्रोत विषैला हो गया है। आर्सेनिक प्रदूषण से लाखों लोगों के सामने पेयजल की भीषण समस्या हो गई है। वन प्राणी तो पहले से ही त्रस्त है अब पशु और मानव समाज उसके जहर से भीषण रूप से आक्रांत ही नहीं है बल्कि कई भयानक रोगों के शिकार हो रहे हैं। गंगा किनारे के इस भू-भाग में बरौनी प्रखंड का राष्ट्रकवि की जन्मभूमि सिमरिया, मल्हीपुर, विषणपुर, जगतपुरा, रचियाही, उलाव, कैलाशपुर, रामदीरी सिंहमा, मटिहानी चौक छितरौर, मनिअप्पा, नयागांव, सोनापुर, भराठ, महेन्द्रपुर, दरियापुर, गोदरगामा, खडगपुर, मथायर, लाल दियारा, गोखले नगर, नौरंगा, भगतपुर, पहाड़पुर, मनेसरपुर, परमानंदपुर, शादीपुर दियारा और तेघड़ा प्रखंड के बरौनी सोकहरा, फलवरिया, मधुरापुर, बजलपुरा, अयोध्या, झमटिया, दादुपुर, चिरयाकोट, चमथा, फतेहा, रानी, नारेपुर और विरपुर प्रखंड नावकोठी एवं बखरी प्रखंड के दर्जनों गांव यानी बेगूसराय जिला का तीन हिस्सा आर्सेनिक जल से आक्रांत है। नदियों का जल न मवेशियों के लिए है, न पेयजल है, न भोजन बनाने के लिए है। चापाकल भी आर्सेनिक जल से भरा हुआ है। बेगूसराय जिले में दर्जनों उद्योग लग रहे हैं।

अतः भारत सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल बेगूसराय जिला की नदियों के किनारे के पेयजल की जांच करें और एक व्यापक योजना बनाकर कार्रवाई करें।

(x) Need to improve the service condition of Aanganwadi workers in the country

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : देश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली आंगनवाड़ियों की दशा में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। देश में लगभग 12 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए इमारतों का अभाव है। हालांकि सरकार ने इमारत निर्माण वास्ते निर्माण नियमावली में संशोधन करके केन्द्र वास्ते इमारत बनाने की योजना बनाई है, जिसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इमारत निर्माण वास्ते सरकार द्वारा मनरेगा व आई.सी.डी.एस. से मदद लेने की बात सामने आई है।

देश की इन आंगनवाड़ियों में ग्रामीण क्षेत्र व दुर्गम क्षेत्रों के छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं को 6-6 महीने से वेतन भुगतान से वंचित रखा जाता है। आंगनवाड़ियों में काम करने वाले कार्यकर्ता समय से वेतन भुगतान न होने के बावजूद भी अपनी पूरी दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते रहते हैं। इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। कभी-कभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दिये जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगते रहते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन आंगनवाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों को अच्छे वेतनमान, नियमित पद व्यवस्था व समय पर वेतन भुगतान की व्यवस्था हो, जिससे यह कर्मचारी और अधिक परिश्रम के साथ देश के छोटे-छोटे बच्चों को सेवा प्रदान कर सकें।

(xi) Need to provide environmental clearance for construction of Memorial of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Arabian sea in Mumbai, Maharashtra

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एम.सी.जेड.एम.ए.) ने मुम्बई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक का निर्माण किये जाने के बारे में सी.आर.जेड. नोटिफिकेशन, 2011 के अधीन विशेष छूट प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 5.2.2014 में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया है लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

मेरा माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मुम्बई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक का निर्माण किये जाने के बारे में सी.आर.जेड. नोटिफिकेशन, 2011 के अधीन विशेष छूट प्रदान करें और महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एम.सी.जेड.एम.ए.) को अधिकार प्रदत्त करते हुए परियोजना प्रस्तावक/योजना प्राधिकरण को राज्य स्तर पर देखने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(xii) Need to provide environmental clearance for construction of road from Maharajpur to Tendukhera in Madhya Pradesh

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मध्य प्रदेश के दमोह एवं सागर जिले के बीच में चीता अभ्यारण्य की बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन चीता अभ्यारण्य की अधिसूचना से पूर्व दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील एवं सागर जिले के महाराजपुर के बीच एक पक्का डामरीकृत सड़क से आवागमन होता रहा है लेकिन अधिसूचना के बाद तेंदूखेड़ा से झभारा तक दमोह जिले की सीमा में सड़क के पुनर्निर्माण की अनुमति वन विभाग नहीं दे रहा है जबकि उसके आगे सागर जिले की सीमा में वन विभाग की अनुमति मिल गई है परिणामस्वरूप महाराजपुर से तेंदूखेड़ा रोड पूर्ण रूप से नहीं बन पा रहा है।

मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे अंतर जिला या अंतर्राज्यीय मार्गों पर सम्पूर्ण रूप से अनुमति की योजना पर विचार करें ताकि निर्माण कार्यों में विलम्ब न हो।

(xiii) Need to ensure free admission of children belonging to economically weaker sections in private schools in Uttar Pradesh particularly in Bundelkhand region

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठा-भोगनीपुर बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है, जिसमें अशिक्षा, पूरे क्षेत्र के विकास की बाधक है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह नियम है कि प्रत्येक निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। मगर उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में कमाई के अड्डे बन चुके निजी विद्यालयों में इस कैटेगरी के प्रवेश में भारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण इस देश के गरीब मजदूर, किसान और दलित वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुन्देलखण्ड में एक जांच कमेटी गठित कर निजी विद्यालयों में ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी के प्रवेशों की जांच की जानी चाहिए ताकि गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित न रह सकें।

(xiv) Need to ban cow slaughter in the country

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : जिस तरह संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शराब और उन अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है, उसी तरह गौ-वध पर पाबंदी के बारे मं भी कहा गया है। अनुच्छेद 47 में शराब और अन्य हानिकारक मादक पदार्थों पर पाबंदी की बात कही गई है तो अनुच्छेद 48 में गौ-वध पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है, ताकि गौ-वंश को संरक्षण मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अधीन भारतीय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के तहत गौ-पशु परीरक्षण ऐसा मामला है, जिस पर राज्यों की विधायिका को कानून बनाने की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए राज्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कानून बनाकर लागू करें।

हमारे देश में आम जनमानस गाय को माता के रूप में आदर देता है और उसी भावना से उसकी और संतति की देखभाल करता है। गाय हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उपयोगी पशु है। वह अमृतरूपी दूध ही नहीं बल्कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर के रूप में खाद भी प्रदान करती है तथा गो-मूत्र का प्रयोग भी तमाम गंभीर बीमारियों के उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा गाय के बछड़े जब बड़े होकर बैल बन जाते हैं तब ये कृषि कार्यों में खेत जोतने तथा बैलगाड़ी आदि में प्रयोग में लाये जाते हैं। गाय एक बहुत ही सीधा और ममतामयी पशु है। कई बार हमें देखने को मिला है कि गौ माता पीड़ितों के दुःख से द्रवीभूत होकर आंखों में आंसू भर लेती है। यह हमारी संस्कृति ही नहीं बल्कि हिन्दू धर्म की एक महती विशेषता है कि हमारे तमाम यशस्वी राष्ट्र नेताओं ने गौ-संरक्षण पर बल दिया है। हमारे देश के ऋषितुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी गौ-संरक्षण के पुरज़ोर समर्थक रहे हैं। आज भी गौ-संरक्षण उनकी चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी गौ-संरक्षण के लिए तत्काल पहल की है तथा गौ-वध पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गौ-संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाकर गौ-वंश की रक्षा सुनिश्चित करें।

(xv) Need to extend Bundelkhand region like benefits to areas along river yamuna in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमुना पट्टी के इलाके को बुंदेलखण्ड जैसी स्थितियाँ होने के कारण बुंदेलखण्ड जैसी सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मैं कानपुर नगर एवं देहात के वृहद एवं विस्तारित संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। उसका बड़ा भू-भाग यमुना, गंगा, रिहन्द, सेंगुर, पाण्डु, सई नदियों के तटीय बीहड़ों से जुड़ा हुआ है। यूँ कहें कि यमुना नदी बुंदेलखण्ड से इस क्षेत्र की सीमा को विभाजित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुंदेलखण्ड की परिस्थितियाँ निहायत विषम और चिंताजनक है, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात है कि वर्ष 1954 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में यह प्रस्ताव आया था कि बुंदेलखण्ड से सटे युमना के तटवर्ती इलाकों की भू-भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ एक सी है एवं यमुना की गहरी धारा से 16 कि.मी. दक्षिण की ओर जोत सीमा का मानक एक समान होने के उपरान्त भी सुविधाएं पृथक हैं जिसका जिक्र मैं कई बार सदन में कर चुका हूँ। अतः बुंदेलखण्ड के साथ इस क्षेत्र के विकास और कल्याण के समान पैमाने एवं कार्यक्रम अपनाए जाने जरूरी है। महज चन्द मीटर की यमुना की गहरी धारा के इस पार समान दुर्गति में जी रही कानपुर नगर व देहात और यूँ कहें की आगरा और इलाहाबाद के बीच की पूरी पट्टी के बेबस और बेसहारा किसानों की सुध ली जानी अत्यंत आवश्यक हो गई है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि आगरा से इलाहाबाद तक की इस दुर्गम यमुना पट्टी के बुंदेलखण्ड के समतुल्य विकास की पहल राज्य सरकार के माध्यम से कराई जाए और इस साझेदारी में केन्द्र सजग निगरानी की भूमिका निभाकर जमीनी हालात को बदलने की पहल करे।

(xvi) Regarding pending railway projects in Bangalore Rural Parliamentary Constituency of Karnataka

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Three major railway routes which connect Bangalore with different destinations pass through my Constituency i.e. Bangalore Rural Parliamentary Constituency. There is a long pending demand from the people for construction of several ROBs and RUBs across these routes and they are pending approval from the Railway Board since long. The main works which are pending are construction of new ROBs at Yarab Nagar LC 37 & 38 on Mysore Line. Aldenahalli Village LC 112, Samanduru Village LC 109 and Marasuru Village at LC 116, Iggaluru Depo at LC 117, are on Bangalore—Chennai Line and widening of five RUBs in Maranayakanahalli village LC 108, Channena Agrahara LC 110, Bidaregere Village LC 111, Aravantigepura Village LC 114, and Avaradenahalli Village LC 115 are on Bangalore-Chennai Line in Anekal Taluk. Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to sanction and release necessary funds to execute these pending works.

(xvii) Need to set up a CGHS Wellness Centre in Calicut district of Kerala

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): CGHS is a commendable scheme offering comprehensive healthcare facilities to Central Government employees, pensioners and their dependents. But its benefits are not reaching majority of those entitled to be covered by the scheme. Kerala is having CGHS clinic only in Thiruvanathapuram in the southernmost tip of the State. Thousands of Central Government employees and pensioners are spread across the State and it is impossible for them to reach Thiruvanthapuram to avail the CGHS facilities or claim reimbursement under the scheme.

There is an urgent requirement for CGHS facility when one is sick and advanced in age. There is a genuine long pending demand to set up a CGHS clinic in the Malabar region of Kerala.

Time and again I have taken up the matter with successive Ministers but CGHS facility is yet to reach Malabar.

I request that a CGHS wellness centre may be established anywhere in Calicut District of Kerala to help beneficiaries of Malabar.

(xviii) Need to rename the Central University of Kerala after Sree Narayan Guru, a great social reformer

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The Sree Narayana Dharma Paripalana (SNDP) Yogam in Kerala has demanded to name the Central University after Sree Narayana Guru, one of the greatest social and spiritual reformers in India. He stood for one caste, one religion and one God.

From the date of inspection of the University in 2009, SNDP Yogam is urging the Government of India in this regard. During the election period the NDA had committed to people of Kerala that University will be named after Sree Narayana Guru, but so far no action has been taken.

I would like to urge upon the Government to take immediate steps and name the Central University of Kerala after Sree Narayana Guru.

(xix) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Salem and Villupuram districts of Tamil Nadu

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): The total tribal population in Tamil Nadu is about 8 Lakh. Of this nearly 25% ie., 2 Lakh tribal people live in Salem and Villupuram districts of Tamil Nadu particularly in my Kallakurichi Parliamentary Constituency. They are traditional inhabitants of Kalvarayan Hills, Chinna Kalvarayan Hills, Shervaroys Hills and Pachamalai Hills of the Eastern Ghats. More than 60 per cent of the tribal people are living below poverty line.

Article 46 of the Constitution requires the State to promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as well as to protect them from social injustice and all forms of exploitation. To improve the literacy rate and educational standards of the tribal students especially the girls, Government of Tamil Nadu is running many schools including Ashram and Eklavya Schools. In order to provide quality CBSE system of education and to make tribal students match with the students in cities and towns, they require Kendriya Vidyalayas.

Therefore, I urge upon the Union Minister of Tribal Affairs to sponsor for establishment of two Kendriya Vidyalayas, one each at Shervaroys (Yercaud) Hills and Kalvarayan Hill of Salem and Villupuram District respectively to impart quality education to the tribal students.

(xx) Need to develop and upgrade Royapuram railway station, Tamil Nadu as a railway terminus

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): In my North Chennai Lok Sabha Constituency, south India's first Railway station Royapuram is located just about 5 kms. from Chennai Central Railway Station. It has the potential to be developed into a third terminal after Chennai Central and Egmore. The station has large stretch of land spread across 72 acres, in which 16 platforms can be constructed and presently it is lying with under-utilised platforms, unutilized !ands/buildings, shrubs and dilapidated buildings. Parking bays for both public and private vehicles can also be created in north and south blocks of Royapuram. At present, 16 long distance express trains bound for eastern and western parts of the country are passing through Royapuram Railway Station. People from all walks of life, passenger organizations, Chambers and various Associations have since long been demanding that Railways should consider developing Royapuram as the third major terminal of Chennai.

Chennai Central Railway Station is already over-crowded. Congestion at Chennai Egmore station is due to shifting of departure of about ten north bound trains from Chennai Central besides about the same number of trains bound for northern States are passing through Egmore. To overcome this problem, Royapuram is the ideal place for declaration as New Modern Third Rail Terminus. Hon'ble Madras High Court has also suggested that the Railways expand the Royapuram Railway Station by preserving its heritage portion and such expansion is always possible even while preserving the heritage portion, the Bench said.

Keeping in view of the above, I humbly urge upon the Hon'ble Minister of Railways that Royapuram Railway Station should be developed and upgraded as the Third Terminus of Chennai.

(xxi) Need to curb the increasing air pollution in the cities

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): A recent report of Greenpeace India shows that deadly air pollution is not a problem confined to Delhi-NCR (National Capital Region or to India's Metros. It is a national problem that is ailing 1.2 million Indians every year and costing the economy an estimated three per cent of Gross Domestic Product. If country's development is important, fighting the pollution has to be a priority.

Data gathered from the State Pollution Control Boards shows that there are virtually no place in India complying with WHO and National Ambient Air Quality (NAAQ) Standards and most cities are critically polluted. To meet this problem it is necessary to:-

(1) institute robust maintenance of air quality across the country;

(2) implement pollution reduction strategies to improve public transport and reduce petrol/diesel vehicle use and to get polluting vehicles off the road etc.

(xxii) Need to build a flyover at level crossing between Adra and Joychandi pahar in Purulia district of West Bengal

DR. MRIGANKA MAHATO (PURULIA): Between Adra and Joychandi pahar in Purulia disrict of West Bengal, there is a level crossing which remains closed for hours together frequently causing great problems to the people and movement of vehicles on both sides of the crossing. This crossing is crucial in connecting both sides where a large number of people reside. Joychandi pahar is also a renowned tourist place in that area. A large number of tourists visit this place but they face a lot of problem due to this level crossing.

So, I urge the Government of India to build a flyover at the above mentioned level crossing for smooth and speedy traffic movement.

(xxiii) Need to establish a Venom Research Institute and Snake Park in Ramsai, Jalpaiguri in West Bengal

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN (JALPAIGURI): I wish to draw the attention of the House towards an issue which is both ecologically and economically important.

Apart from many creatures that dwell in its vast range of forests, Jalpaiguri is also very famous for the multiple species of snakes that are hugely available in the entire district. Today, snakes and few species of wild lizards have gained a huge market value internationally for their venom and different body parts. But mostly it is an unorganized market in the hands of international smugglers of snake venom. Alone in my constituency, there are two recent cases of recovery of venom that grossly had a market value of Rs.250 crore and which was being carried from France. Today all over India, snakes and wild lizards are on the verge of extinction because of the poachers and illegal merchants of venom. What is most alarming and unfortunate is the fact that local snake charmers are also involved in this illegal trade of venom ever since their occupation has been banned.

Ramsai, a small Gram Panchayat in Jalpaiguri is always in the headlines because of the availability of hundreds of species of naturally bred poisonous and deadly venomous snakes and also the home of thousands of snake charmers. Madam Speaker, through you, I would like to request the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change to establish a Venom Research Institute and a Snake Park at Ramsai, Jalpaiguri on the line of similar establishments like Haffkine Institute in Pune and CMC Venom Research Centre in Visakhapatnam. The logic of this proposal is multiple: it will not only curb or rather stop the illegal poaching of snakes and wild lizards but will also be a revenue generating source; it will help in restoring the ecological balance which is already imbalanced there; it will save the lives of the snakes which die by the unscientific method of venom extraction.

(xxiv) Need to set up a Super Specialty hospital at Paradip in Odisha

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Paradip Port region in my Constituency Jagatsinghpur is an industrial area. The pollutants emitted from the industrial set ups here are very harmful and employees of all the industrial set ups as well as local inhabitants do suffer from cardiovascular and other serious diseases. On many occasions in the past, employees working in industries have faced industrial accidents or suffered pre-mature heart attacks resulting into loss of their lives due to lack of immediate life saving medical care facilities in the locality. Though Paradip Port is a major port and the surrounding area is mushroomed with many world- class industries having workers from all parts of the country, hospitals namely port hospital and state hospital which are existing in this port area are not equipped with modern infrastructure, technology and intensive care units.

Hence, I urge upon the Minister of Shipping as well as the Minister of Health and Family Welfare to take urgent step to set up a Super Speciality Hospital in Paradip, Odisha at the earliest.

(xxv) Need to provide clean drinking water in villages in Buldhana Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा के तीन तहसील शैगांव, संग्रामपुर एवं जलगांव (जामौद) के 200 गांवों के लोगों को टी.डी.एस. 500 से ऊपर ग्रेड का नमकीन पानी पीना पड़ रहा है जिससे हजारों लोगों की किडनी खराब होने से मौत हो चुकी है। हज़ारों की संख्या में जो लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। बुलढाणा जिले में डायलिसिस सेंटर में जो मशीन है वह खराब पड़ी है। सरकार ने 140 गांव में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार की है जिस पर तुरन्त काम होना चाहिए और प्रत्येक तहसील में डायलिसिस सेन्टर बनाकर वहां मशीन और डॉक्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में नमकीन पानी से प्रभावित गांवों में शुद्ध पेय जल की योजना पर शीघ्र काम किया जाये।

(xxvi) Need to handover the land occupied by Indian Rare Earths Ltd. for mining beach sand mineral to the land owners in Kollam district of Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Indian Rare Earths Ltd. (IRE) has taken over the land for mining beach sand mineral. The land was taken over for mining with specific condition that the land will be given back to the owners after mining. The IRE agreed for rehabilitation also. The land in Puthenthura in Neendakarra Village, Karithura and Kovilthottom in Chavara Village, Vellanathuruth in Alappattu Village in Kollam District, Kerala were taken over by IRE. It is pertinent to note that the Puthenthura School land was also taken for mining. Though the mining process was completed decades back, but, IRE failed to handover the land to the owners and implement the rehabilitation scheme as per the agreed terms and conditions. The local people have been put to untold hardships due to the violation of agreement condition by IRE. It is highly necessary to give back the land and implement the rehabilitation to safeguard the interests of the local people.

12.19 hours

*FINANCE BILL, 2017
(Amendments made by Rajya Sabha)

HON. SPEAKER: Now, we are taking Item No. 8. The hon. Minister to move the Amendments.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move :

> "(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– "

CLAUSE 51

1. That at page 26, Clause 51 be ***deleted***.

CLAUSE 52

2. That at page 27, Clause 52 be ***deleted***.

CLAUSE 53

3. That at page 27, Clause 53 be ***deleted***.

CLAUSE 154

4. That at page 52, line 34, ***after*** the word "section", the words "which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years," be ***inserted***.

---

* **The Bill was passed by Lok Sabha on the 22nd March, 2017 and transmitted to Rajya Sabha on the 23rd March, 2017. Rajya Sabha returned the Bill with recommendations on 29th March, 2017, which was laid on the Table of Lok Sabha on the same day.**

5. That at page 52, ***after*** line 40, the following proviso be ***inserted***, namely:-

"Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it".

(b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected."

HON. SPEAKER: Hon. Minister, do you want to say anything on this right now or not?

SHRI ARUN JAITLEY : Let anybody who wants to speak on this issue speak and then I will reply, Madam.

HON. SPEAKER: Motion moved :

"(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– "

CLAUSE 51

1. That at page 26, Clause 51 be ***deleted***.

CLAUSE 52

2. That at page 27, Clause 52 be ***deleted***.

CLAUSE 53

3. That at page 27, Clause 53 be ***deleted***.

CLAUSE 154

4. That at page 52, line 34, ***after*** the word "section", the words "which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years," be ***inserted***.

5. That at page 52, ***after*** line 40, the following proviso be ***inserted***, namely:-

"Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it".

(b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected."

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र हुड्डा जी आइए। फाइनेंस बिल स्टार्ट हो गया है, तारीक जी, बैठिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

जो राज्य सभा ने कल अमेंडमेंट्स पारित किए और उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है। फाइनेंस बिल, खासतौर पर इस वर्ष का फाइनेंस बिल देश में चर्चा का विषय बना है। एक बहुत वाइड स्प्रैड क्रिटिसिज्म चाहे वह मीडिया में हो, सिविल सोसाइटी में हो और चाहे पार्लियामेंट के अंदर बहस में हो। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इस फाइनेंस बिल के माध्यम से, चार अलग-अलग बिल या जो एक्ट, उनमें अमेंडमेंट लाया गया है। उनको एक तरह से फाइनेंस बिल के अंदर छिपाकर, फाइनेंस बिल में शामिल करके पारित किए गए मनी बिल और फाइनेंस बिल के रास्ते का सहारा लिया गया, जिससे राज्य सभा के अधिकारों पर भी कहीं न कहीं प्रहार हुआ है। यही कारण है, मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक चर्चा हो रही है। मैं पिछले 12-13 साल से इस सदन में हूं, मुझे याद नहीं आता है कि राज्य सभा ने फाइनेंस बिल पर इस तरह का अमेंडमेंट बिल पारित किया हो और वापस हमें अपने सदन में चर्चा करनी पड़ी हो। मैं समझता हूं मेरी याद्दाश्त में पहली बार इस तरह का वाक्या हुआ है। आज हम उम्मीद करेंगे कि वित्त मंत्री हमारी बातों पर जवाब देंगे। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में 4-5 विषय लाना चाहता हूं। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और आदरणीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।

पहली बात यह कि हमने उस समय भी यह प्रश्न उठाया था कि यह कैसी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है। जिसमें हम 40 के करीब एक्ट अमेंड कर रहे हैं। यह मनी बिल, फाइनेंस बिल की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। आपके समक्ष यह प्रश्न रखा गया था। हम चाह रहे थे कि इसमें इतने बड़े पैमाने पर, Representation of the People Act से लेकर ट्रिब्यूनल तक बदलाव आए थे। हम चाह रहे थे कि अलग-अलग लेजिस्लेशंस आएं, जिस पर यह सदन चर्चा करे, मगर संविधान के आर्टिकल 110 का सहारा लिया गया। संविधान के आर्टिकल 110 में कहा गया है कि, 'For the purposes of this Chapter, shall be deemed to be Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters'. There are sub-sections (a) to (f) to deal with taxation, to deal with Consolidated Fund of India and Appropriation etc. Section (g) deals with - the language of such deals with – 'any matter incidental to any of the matter specified under clause (a) to (f)'. आज पूरे देश में इंसीडेंटल की परिभाषा पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि इंसीडेंटल क्या होता है। यह बात सही है कि संविधान ने आपको फैसला करने का आखिरी अधिकार दिया है कि क्या चीज़ इंसीडेंटल है और क्या चीज इंसीडेंटल नहीं है। मैंने उस दिन भी यह बात उठायी थी। मैं इसमें आज एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि संविधान की हिन्दी

की प्रति में कौन सा शब्द यूज़ किया गया है। वहां इंसीडेंटल शब्द नहीं है। इसमें और भी स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है। हमें गर्व है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है। मैं समझता हूं कि उसके अंदर अंग्रेजी से भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया जा सकता है और यह हुआ है। हिन्दी की प्रति के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 110 सबसैक्शन (जी) के अंतर्गत कहा गया है कि 'उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय' आनुषंगिक का क्या अर्थ है। आनुषंगिक का अर्थ है कि एक क्रिया से जो दूसरी क्रिया घटे। …(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : आनुषांगिक का मतलब है 'उससे जुड़ा हुआ'। …(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: 'जुड़ा हुआ' से भी आगे जाइए। एक से जो दूसरी क्रिया घटे…(व्यवधान) यह सही बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने और भी स्पष्ट किया है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आप लोग शांत रहिए। आपके फाइनेंस मिनिस्टर को हिन्दी भी अच्छी तरह से आती है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, क्योंकि इन बातों पर बारीकी से इस सदन में बहस करने की आवश्यकता है। **'**जुड़ा हुआ' का मतलब यह है कि जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया घटे। यानि कि टैक्सेशन से रिलेटेड, contingency fund of India से एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो सारे विषय हैं। उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए और अगर उनसे कोई बात घटे, अगर कोई ऐसा विषय हो तो उसको मनी बिल में लाया जा सकता है। जहां तक इलेक्टोरल फण्डिंग की बात है, उसमें ट्रांसपैरेंसी लाने की बात है। हम देश पर कोई टैक्सेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं, उससे सरकार कोई टैक्स कलैक्ट नहीं करेगी। कंटिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई बजट का प्रावधान भी नहीं हो रहा है। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बांड्स को इश्यू करेगा, कंपनियां उन बांड्स को खरीदेंगी और पोलिटीकल पार्टीज को बांड्स के रूप में चंदा देंगी। यह कहीं भी टैक्सेशन, बजट, कंसोलिडेटिड फंड, एप्रोपरिएशन से घटित या उससे जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, यह केवल बैंक में एक बैंकिंग प्रक्रिया है। यह वह बात हो गई कि अगर कोई अपना बैंक एकाउंट खोलेगा तो वह भी मनी बिल के अंदर आयेगा। मैं समझता हूं कि बैंक केवल उस क्रिया को पूरा करने में पूरक का काम कर रहे हैं। मगर आप इस शब्द की भावना समझें। हम आपसे एक बार दोबारा से आग्रह करेंगे और वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि सरकार भी नरम पड़े। इस इंसिडेंटल की परिभाषा जो इतनी बड़ी परिभाषा बताई जा रही है, उस बात पर, उस विषय पर नरम पड़ें।

दूसरी बात यह है कि यह अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं, यह मनी बिल है कि नहीं, वह एक अलग बात है। फाइनेंस बिल के माध्यम से चालीस एक्ट्स अमैंडमैन्ट, बहुत से ट्रिब्युनल्स मर्ज किये गये हैं।

रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव किया गया। आई.टी. एक्ट में वाइड रेंजिंग बदलाव किये गये हैं। यह अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं।

आर्टिकल 80 राज्य सभा उसके साथ जुड़ी हुई बात है। कल मोइली जी ने सही प्रश्न उठाया कि इंसिडेंटल की परिभाषा के तले राज्य सभा को दबाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में राज्य सभा भी इंसिडेंटल हो गई है। पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 80 भी इंसिडेंटल हो गया है। आर्टिकल 80 की भावना, आर्टिकल 81, लोक सभा का गठन संविधान में आर्टिकल 81 से हुआ था, आर्टिकल 80 पहले आया था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों से, प्रदेशों से आने वाली आवाजें, हमारे देश की नीतियां बनाने में, हमारे देश के कानून, संविधान बनाने में वे आवाजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आज मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आर्टिकल 80 की भावना का भी इस सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। इसलिए सरकार इन बातों को दोबारा से कंसीडर करे।

अब प्रश्न आता है कि राज्य सभा में जो अमैंडमैंट्स हुए। श्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहला एक अमैंडमैन्ट मूव किया, वह टैक्स टैररिज्म से जुड़ा हुआ अमैंडमैन्ट है। मैं पहले भी उसके बारे में बोल चुका हूं। उस पर जो अमैंडमैन्ट सरकार लेकर आई, वह एक ड्रेकोनियन अमैंडमैंट है। आर्टिकल 132 इनकम टैक्स एक्ट की वर्बेटिम मैं पढ़ना चाहूंगा, जो अमैंडमैन्ट सरकार लेकर आई।

> "For removal of doubts, it is hereby declared that the reason to believe as recorded by Income Tax Authority under the sub-section shall not be disclosed to any person or any authority or the Appellate Tribunal."

इस अमैंडमैन्ट की भावना क्या है। इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वे कहीं सर्च, सीजर या रेड की कार्रवाई करते हैं तो फाइल पर कुछ न कुछ होना चाहिए। उन्हें अपनी मनमर्जी से काम न करने दिया जाए, इसलिए चैक्स एंड बैलेंसेज इस कानून के अंदर रखे गये थे। वे उस व्यक्ति को भी बतायें और यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट में जा सकता है, ट्रिब्युनल में जा सकता है और न्यायपालिका के सामने इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा कि किस आधार पर सर्च, सीजर या रेड की गई। इसे आपने निरस्त करने का काम किया और रिट्रोस्पैक्टिवली 1962 से सब-सैक्शन -1 में और सब-सैक्शन-1ए में 1975 से आप ये रिट्रोस्पैक्टिव अमैंडमैन्ट लेकर आए। हम दोबारा से इसका पुरजोर विरोध करते हैं, जो राज्य सभा से अमैंडमैन्ट आया है, उसे यह हाउस कंसीडर करे, उस अमैंडमैन्ट को यह हाउस पारित करे, क्योंकि कुछ न कुछ फाइल पर होना चाहिए, एक वैल सैटल्ड लीगल प्रिंसिपल है।

There has to be something objective on the file, and only then any subjective decision can be taken by the Income Tax officials. But without having anything on the file, you cannot give a blank cheque to the Income Tax officials to walk into the doorsteps of any individual or an institution and conduct search, seizure and raid and having no accountability. चलिये, हम यह मानते हैं कि आप व्यक्ति को मत बताइये, मगर कल को वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है कि मुझे बिना बात के परेशान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोर्ट में भी यह जानकारी न दें। इसलिए यह जो आपका अमैंडमैन्ट है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, इस अमैंडमैन्ट को आप वापस लीजिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि श्री सीताराम येचुरी जी ने भी इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर अमैंडमैन्ट मूव किये। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत गंभीर विषय है। इसका क्या कारण है कि हम अखबारों के पिछले तीन-चार दिनों के एडिटोरीअल देखें, 'मिन्ट' के अन्दर एडिटोरीअल आया– Body blow for Political Transparency; यह आज का एडिटोरीअल है। *'The Business Standard'* में कल का एडिटोरीअल है– Undermining Accountability. जो एक पारदर्शिता की बात, राजनीतिक पार्टियों की फन्डिंग को लेकर पारदर्शिता की बात की गई थी। जब वित्त मंत्री जी अपनी बजट की स्पीच दे रहे थे, तो आपने कहा था, एक आदर्शवादी होने के नाते मैंने भी जब आपका बजट का भाषण, वक्तव्य सुना तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है, 20 हजार रुपये से इसे घटाने की बात कह रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कह रहे हैं।...(व्यवधान) मगर क्या हुआ?...(व्यवधान) बिल्कुल आखिरी मिनट में दो अमेंडमेंट आप लेकर आए। उन अमेंडमेंट के माध्यम से आपने क्या किया? सीताराम येचुरी जी के अमेंडमेंट ने उन्हीं को निरस्त करने का काम किया है।

पहला अमेंडमेंट आप लेकर आये, हमारे समय में एक कानून बना था कि कोई कंपनी, पिछले तीन साल का जो उसका प्रॉफिट है, उसका साढ़े सात प्रतिशत से ज्यादा किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे में नहीं दे सकती। आपने इसे बदल दिया, निरस्त कर दिया। अब कोई कंपनी, जितना भी उसको मुनाफा हुआ है, वह पूरा का पूरा भी किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे सकती है। यह आपने निरस्त कर दिया।

दूसरा, आपने कहा था कि एनॉनिमस, बीस हजार रुपये से नीचे का जो कैप लगाया हुआ है, उसके नीचे एनॉनिमस, नाम डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको घटाकर आपने दो हजार रुपये किया। मैं समझता हूं कि आज उस पर भी यह चर्चा हो रही है कि बीस हजार रुपये से दो हजार रुपये करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे केवल चार्टेड एकाउंटेट्स का काम बढ़ेगा, एक की बजाय दस नाम देने पड़ेंगे, इत्यादि। मगर वह भावना यह थी कि एनॉनिमस फंडिंग पर कुछ रोक लगे।

आपने वहाँ तो किया, मगर दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया? यह सबसे बड़ा गंभीर विषय है। अब कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। हमें बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : गंभीर विषय है, लेकिन बोलना तो उतने ही समय में है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, हम अमेंडमेंट्स पर बोल रहे हैं। अगर कोई कंपनी इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है तो आपने प्रावधान कर दिया कि उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसको कितना दिया और न ही पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत है कि किससे कितना चंदा मिला।

माननीय अध्यक्ष : आप कांक्लूड करिए। अगले माननीय सदस्य को भी बोलना है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने यह पारदर्शिता के बजाय पर्दा ढकने का काम किया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि किसकी कंपनी, कौन सी कंपनी, कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है। ...(व्यवधान) मुझे बस दो मिनट का समय दीजिए। यह एक बहुत गंभीर विषय है। There is no need to declare from any company how much donations they are giving to any political party.… (*Interruptions*)

<u>12.33 hours</u> (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*.)

There is a complete opacity that has been created by this particular piece of amendment which you brought in at the very last minute. मैं इसे गंभीर इसीलिए मानता हूँ, देखिए, दो ही तरह के लोग अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको देना चाहेंगे। या तो वे शैल कंपनीज रहेंगी, कि पूरा प्रॉफिट, इस कैप को खत्म करने के पीछे क्या भावना है या फिर जो पहला प्रोविजन था कि डंडा आपके हाथ में है, इन्कम टैक्स बिना कारण के किसी कंपनी के दफ्तर में पहुँच जायेगा और कारण बताने का जो प्रावधान था, उसे आपने निरस्त कर दिया है। एक तरीके से यह तो पॉलिटिकल इक्स्टॉर्शन के दरवाजे खोलने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसको आपको बहुत सोच, समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रोविजन है, इसको मैं कहना चाहता हूँ।

माननीय सभापति : आपकी बात हो गई है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: इसमें यह बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। राम-नाम जपना, कम्पनी का माल अपना। आज जय श्री राम बोलते आये थे, अब लक्ष्मी माँ की जय कह रहे हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हमारी माँग है, हम पारदर्शिता चाहते हैं। यह आपके पास मौका है, हम माँग करते हैं कि आप एक बिल लाइए।

माननीय सभापति : क्या बात है? आपकी बात हो गई है। आप एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? आप लगातार बात रिपीट कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: आप पॉलिटिकल फन्डिंग ट्रांसपेरेंसी बिल लाइए। एक नया कानून बने, जिसमें ये सारी बातें आयें।

माननीय सभापति : डॉ0 किरीट सोमैया जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हुक्म नारायण जी। सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

माननीय सभापति : आप कितना समय बढ़ाते रहेंगे, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, एक ही बात को कितना रिपीट करेंगे? अब लास्ट पॉइंट बोलिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सभापति महोदय, ये एक नया बिल लेकर आए हैं।...(व्यवधान) इन बातों पर गंभीरता से विचार हो। हम इनकी नीयत पर शंका नहीं कर रहे हैं, मगर यह जिस तरीके से किया गया है, उसको लेकर पूरे देश में बहुत-सी शंकाएं हैं।

माननीय सभापति: अब आप समापन कीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, एक और विषय, जो पूरे देश में गंभीर चर्चा का कारण बना है, वह आधार कार्ड और पैन कार्ड के नम्बर्स लिंक करने की बात है। उस पर भी राज्य सभा में बात आई। मैं समझता हूं कि वह सही दिशा है। आधार कार्ड का उपयोग होना चाहिए, वाइडस्प्रेड उपयोग होना चाहिए, ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग होना चाहिए।

माननीय सभापति : डॉ. किरीट सोमैया जी, आप प्रारम्भ कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मगर, उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई डाटा प्राइवेसी लॉ नहीं है।...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा के माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई हैं। इसलिए राज्य सभा ने हम से पुनः विनती की है तो हम उसके ऊपर जरूर पुनर्विचार करें। लेकिन, वह करते समय, छोटे भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने का भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। राज्य सभा ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं, वे क्या हैं? वे मूलतः दो अमेंडमेंट्स हैं। दोनों अमेंडमेंट्स के जो मुख्य बिन्दु हैं, वह सुरक्षा की बात है। मैं उन दोनों अमेंडमेंट्स के ऊपर ही सिर्फ बोलूंगा।

महोदय, उन्होंने जो दोनों अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके पीछे हेतु क्या है? हेतु सुरक्षा है, तो किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? हमारे माननीय सदस्य ने या यहां पर मेरे मित्र हुड्डा जी ने सुरक्षा की बात की है। हम किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? क्या जिनके पास काला धन है, उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं? 18 लाख बैंक एकाउंट्स् में डिमॉनेटाइजेशन के कारण जो एब्नॉर्मल डिपॉजीट्स हुए, क्या उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं? जो डॉरमेंट एकाउंट्स थे, जो एकाउंट्स अचानक नवम्बर-दिसम्बर महीने में खोले गए और उनमें जिन लोगों ने लाखों-करोड़ों रुपए डिपॉजीट्स किए, क्या उन एकाउंट्स वालों को हमारे इन्कम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर एक चिट्ठी लिखते हैं तो क्या वे चिट्ठी भी न लिखें? यह अमेंडमेंट क्या है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने उत्तर में सदन को और पूरे देश को इस अमेंडमेंट के बारे में पूरी जानकारी दें।

मुझे जो समझ में आया है, उसके अनुसार एक अमेंडमेंट ऐसी चिट्ठी भेजने के बारे में है, सिर्फ चिट्ठी लिखने के अधिकार के बारे में है। वास्तव में, मैं इसे अधिकार नहीं कहूंगा, बल्कि जिम्मेदारी कहूंगा। यह जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर को दी गयी है। इस सदन में मेरे जो मित्र हैं और कुछ अन्य एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने सब अधिकार कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल, जिनके पास सर्च के, सर्वे के जो अधिकार थे, उन्हें एक छोटे-से असिस्टेंट कमिश्नर को दे दिया है। जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से एक चिट्ठी लिखना, उनके पास से एक जानकारी मांगना, एक इंक्वायरी की शुरूआत करना, यह जिम्मेदारी सदन उन लोगों के ऊपर डाल रहा है। वह भी क्या है, समझो किसी एक ने अपने एक बैंक एकाउंट में 48 लाख रुपये कैश जमा किए, पुराने नोट जमा किए। वह अपने उत्तर में लिख सकता है कि ये 48 लाख रुपये मेरी दस सालों की कमाई है। इस प्रकार मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में ये रुपये कैश-ऑन-हैंड थे। ऐसा उसे जवाब देना है और इसके लिए इतनी सारी चर्चा हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से यह भी स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी इस अमेंडमेंट के पश्चात् सर्च के, सर्वे के अधिकार अगर किसी भी नीचे के अधिकारी को प्राप्त करने होंगे, अगर उसे कहीं सर्वे करना होगा, सर्च करना होगा तो क्या उसे अपने ऊपर के अधिकारी

से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं? मेरी जानकारी के हिसाब से जो इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 है, इसमें इस फाइनैंस बिल के द्वारा उस प्रावधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

हाँ, एक बात जरूर है कि जो सो-कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके बारे में काफी उल्लेख हुआ है। हमारे यहां फाइनैंस की एक पब्लिक एकाउंट कमेटी है, जिसके चेयरमैन हमारे विपक्ष के सदस्य हैं। अभी हमने सीएजी की एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की, In the name of charitable trust, several educational organizations are purely running a non-transparent business. ऐसे अनेक एजुकेशन ट्रस्ट हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेकर अपना बिजनेस करते हैं। आपके और हमारे क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों से दस लाख रूपये, पच्चीस लाख रूपये और पचास लाख रूपये का डोनेशन लेते हैं और फिर वे इस डोनेशन को एडजस्ट करते हैं। क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? जो चैरिटेबल ट्रस्ट ईमानदार तथा प्रमाणिक है, इन चेरिटेबल ट्रस्ट से सवाल पूछना है, तो उनके ऊपर रेड डालने और सर्वे करने का अधिकार होना चाहिए। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के पास कोई इन्कम टैक्स का अधिकारी जाता है, तो इसमें क्या गलती है। हम लोग एक तरफ यह मांग करते हैं कि यह जो एजुकेशन ट्रस्ट का बिजनेस बना हुआ है, उस बिजनेस की जांच हो, उसको रोका जाए। सरकार और वित्त मंत्री जी को यह काम जरूर करना चाहिए। अगर हमारे वित्त मंत्री संसद की भावना को ध्यान में रखकर सर्वे करने का (नॉट रेड) उल्लेख करते हैं तो इस बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम किसकी सुरक्षा चाहते हैं। हम एजुकेशन के नाम पर बिजनेस करने वालों की सुरक्षा करना चाहते हैं, हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं जिन्होंने लाखों बेनामी एकाउंट खोल रखे हैं और कालाधन एवं मनी-लाउंड्रिंग करने का प्रयास करते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने कालेधन के विरूद्ध जो लड़ाई शुरू की है, हम सब और पूरा देश उनके साथ है।

एक दूसरी बात, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कहीं पर किसी ने रेड डाली, सर्च किया, सर्वे किया और सच्चाई जानने का प्रयास किया, आज इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपने सीनियर सदस्य एवं मित्रों से जानना चाहूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 1961 से वर्ष 2014 तक इनकी सरकार अनेक वर्षों तक थी, कितने लोगों को इस प्रकार के रीजन असेसी को बताए गए हैं। क्या मेरे कांग्रेस के मित्र या साम्यवादी दल के मित्र किसी एक का भी नाम लेंगे। आप कहते हैं कि इन्कम टैक्स वाले अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। आपके राज में जिनके यहां रेड डाली गई, जिनके

यहां सर्वे या सर्च किया गया, आपने उनमें से किसी एक का भी रीजन बताया है। आपने वही प्रावधान आगे भी चालू रखा।

इसी बीच कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया और इसके कारण एक मामूली टेक्निकल चीज को बदलवाने का प्रयास हुआ। हमारे वित्त मंत्री जी वास्तव में किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, एक और हम कहते हैं कि लोकपाल विधेयक लाना चाहिए, व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करनी चाहिए, तो वित्त मंत्री जी ने आपकी सहायता से जो फाइनैंस बिल मंजूर किया है, वे व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना चाहते हैं, जो जानकारी देता है, वह जानकारी देने वाला चाहे उस कंपनी का एम्पलाई हो, कोई उसका क्लायंट हो, उसका पिछला चार्टर्ड एकाउंटेंट हो या कोई एक्टिविस्ट हो, अगर वह जानकारी देता है, तो आज भी कोर्ट में जो प्रावधान रखा गया है, जब हाई कोर्ट मांगेंगी, तो बंद लिफाफे में इसके रीजन दिए जाते हैं। अब इस अमेंडमेंट के बाद भी हाई कोर्ट में इस प्रकार के रीजन दिए जाएंगे। इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा।

आप सेल कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी जो सरकार है, प्रधान मंत्री कार्यालय एवं वित्त मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेट्री के कंवेनरशिप में सेल कंपनी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। इस सेल कंपनी का जन्म आपके ही राज में हुआ था। हम इस सेल कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, Shell companies are only used for non-transparent transactions and money-laundering.

मैं अंतिम प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। दूसरा मुद्दा आया - इलेक्शन फंड, बांड। इस संबंध में मैं गुप्त ज्ञान कहना चाहूंगा। हम आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल कोई और होगा। मुझे कहो कि अगर केन्द्र में हम सत्ता में हैं, राज्य में चुनाव हो रहे हैं, अगर कोई कारपोरेट इलेक्शन डोनेशन देगा, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में पार्टी के नाम दिखाई देंगे, तो ऑटोमैटिकली जिसके पास सत्ता है, उसको दबाने का प्रयत्न करेगा। हम पारदर्शिता ला रहे हैं। हम आपको सुरक्षित कर रहे हैं कि आपको इलेक्टोरल बांड के द्वारा कोई कितना भी डोनेशन देगा, तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी ने दिया। यह कहते हैं न कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस प्रकार का इनका है। मैं सदन से अपील करूंगा कि पारदर्शिता की, कालेधन के विरूद्ध लड़ाई में नरेन्द्र मोदी सरकार जो यह अमेंडमेंट लाई है, उसका हम समर्थन करते हैं और राज्य सभा के अमेंडमेंट को रिजेक्ट करते हैं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, yesterday the Rajya Sabha took up discussion on the Finance Bill and they have sent back the Finance Bill with altogether five different amendments. What is the procedure in this case? Since this is a Money Bill, article 109(4) of the Constitution says:

> "If the House of the People does not accept any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the House of the People without any of the amendments recommended by the Council of States."

So, the House can reject the recommendations made by Rajya Sabha. There is a provision for that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 108 states:

> "If the House does not accept any of the recommendations of the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses in the form in which it was passed by the House without any of the amendments recommended by the Council and a message to that effect shall be sent to the Council."

But there is also another provision in the Rules to which I draw the attention of the Finance Minister. The Finance Minister can also accept some of the recommendations of the Council. Rule 107 says:

> "If the House accepts any amendment or amendments as recommended by the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses with the amendment or amendments recommended by the Council …"

That means, this House can also accept the amendments that have been placed by the Rajya Sabha. Now the question is whether the Government should respond to the call of the Council of States and accept some of the recommendations that have been made.

What are the recommendations that have been made? Before I speak on that, let me point out that at the time of discussion on the Finance Bill we had mentioned that many Acts have been amended through the Finance Bill which

should not have been done. Apart from 10 Acts listed in the Bill, a large number of changes in the matter of tribunals were made. We had said that this need not have been included in the Finance Bill which is a Money Bill. The Government rode rough shod over all our amendments and went ahead.

One of the provisions in the Finance Bill is to link the Aadhaar to PAN and we had objected to it. But since then, the Supreme Court has given an observation that for opening of bank accounts or for having PAN, Aadhaar can be made mandatory or can be allowed, but for any further public welfare programmes or subsidies, Aadhaar should not be made compulsory as the Government had done in mid-day meal scheme. So, I repeat the point that we had made with regard to the Aadhaar being all-powerful.

Another point has been made that whether overuse of Aadhaar is leading to leakage of data and breach of privacy of individuals. It is because Aadhaar contains all the details of an individual and if everything is linked to Aadhaar, Government will have at its fingertips any facts about the private accounts of any individual and we object to it.

Another thing we had objected at the time of passing of Finance Bill in the Lok Sabha was the matter of electoral bonds and electoral funding which has been included in this Bill. As Shri Deependra Huda eloquently mentioned, there should be a separate law for ensuring transparency in electoral funding. It should have been done but it has not been done. It has been included in the so-called omnibus Finance Bill.

Having raised these points, I would like to come to the actual amendments made by the Rajya Sabha. According to the Rajya Sabha, Clause 51 is to be deleted. Clause 51 deals with Section 132A of the Income Tax Act which gives power to requisition books of accounts etc. Now, in the Finance bill as it was introduced, it was mentioned that for the removal of doubts it is hereby declared that the reason to believe as recorded by IT authority under this Section shall not be disclosed to any person or any authority or the appellate tribunal. So, the

power to requisition books of accounts will be there and it will not be revealed to any individual. It is a direct assault on the right of the individual. The Rajya Sabha had recommended that this assault should not be there.

<u>12.54 hours</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

The Rajya Sabha has also recommended that Clauses 52 and 53, both of which deal with Sections 133 and 133A of the Income Tax Act should also be removed. Section 133 of the Income Tax Act gives the power to call for information. This power has been given to certain more officers. Section 133A is with regard to power of survey. For this, more officers have been authorized. These are vitally important points. We have to accept that it is draconian that somebody will have the power to move anything, to requisition books of accounts etc. but he does not have to disclose this. This goes against the right of an individual. In that sense, I think the hon. Finance Minister should accept the recommendation of the Rajya Sabha.

The main objection that we have is with regard to electoral funding as has been mentioned in Clause 154 of the Finance Bill as passed by the Rajya Sabha. The amendment has suggested that it shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years. The Finance Bill as placed by the Finance Minister says that every company shall disclose in its profit and loss account the total amount contributed by it under this section during the financial year. The amendment says that it shall not be more than 7.5 per cent; otherwise, as Shri Deepender Hooda has said the company may contribute the whole of its profits to the Ruling Party and that would be legally sanctionable. The Rajya Sabha amendment calls for restriction on the contribution to political parties.

The other issue is that the Rajya Sabha has suggested further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made. This is what the Rajya Sabha has suggested. There is no such restriction in the present law. You can see that after line 40, it says, "Provided that a company may make contributions through any instrument

issued pursuant to any scheme notified under any law for the time being in force for contribution to the political party." The main demand of the Rajya Sabha is that the names of those who are contributing should be revealed. I think, this is a very reasonable amendment. The Finance Minister himself belongs to the Rajya Sabha. He may once bow to the wishes of the Council of States and agree to at least one of the recommendations of the House to which he belongs. It will only be democratic. The bicameral system is there for checks and balances; just because a party has a majority in the Lok Sabha, it should not ride roughshod over the opinion of the other House. That is why this is my humble submission.

I have mentioned the different manners in which this has been done. I am again saying that the procedures of this House are being violated in the sense that we are making the Finance Bill a comprehensive compendium of different laws instead of a plain Bill to announce the tax proposals of the Government. In general, we have objected to it. Again, I support the amendments made in the Council of States towards an amendment of this matter.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, the scope is very limited. Of course, you have allowed us to participate on these amendments as a discussion. Our scope is limited to the five amendments that have been effected in the Council of States, the Rajya Sabha. But while discussing these amendments, as all political leaders do, we digress and also migrate to other issues.

HON. SPEAKER: You can avoid that.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will try to avoid but certain things come to the mind. I was in this block in the last Lok Sabha. The Congress has changed sides and so also the Bharatiya Janata Party. But at that time something else was happening outside the Sansad Bhavan, in Ramlila Grounds. A number of leaders also went to meet Anna Hazare. What was he striving to achieve? The whole conscience of the nation was against corruption. The whole nation wanted transparency in administration and that is what was reflected in 2014 elections.

13.00 hours

People sided with those political parties who vouchsafed themselves that they want transparency, they are against corruption and they want action against corrupt people. It is a different matter that the person who was next to Anna Hazare is now leading a Government in Delhi. A new political party has come into existence. But that issue remains.

When these 190 amendments were circulated, at that time I was told that in the Business Advisory Committee it was argued to give one more day so that the House can deliberate on these amendments. Time also was very limited when we deliberated on the Finance Bill. There were a number of issues. My friend, Shri Pralhad Joshi was Chairing at that time and I said that I have some more points to raise. He said every Member has certain points and certain points were also not deliberated. But, thankfully in the Rajya Sabha at least some issues came to light. One of the major issues was relating to transparency in political funding. This was also raised by BJD when the Budget was taken up for discussion.

I am grateful to the Finance Minister, at that time in his reply he said, and also कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि हम इस बारे में मिल-बैठकर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं how transparent can we make our political funding mechanism? We need a consensus on this. Those were good and wise words. But what has happened? These amendments to the Finance Bill, which were passed in the Lok Sabha, were also discussed in the Rajya Sabha and they have made certain other amendments.

Before coming to that, the first amendment that has been affected in the Rajya Sabha, as has been said, is relating to Section 51, amendment of Section 132(a) of the Income Tax Act. This was also deliberated in this House. I am not going to elaborate on it. I hold my view. I would like to ask the hon. Finance Minister, since when this provision of revealing to the person whose house is being, English is a very funny language, raided or searched? For me it may be a raid and for the officer who will be raiding my house will say, 'I am searching'. It is a very funny language as such. Raid, search or whatever name one may give… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The effect is the same.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes. But the question here is, Madam, I am not asking for the person who has reported it, since when this provision was incorporated in the Income Tax Act. Was it there since 1961? Or, was it incorporated at a later stage, which now is getting deleted? This needs to be told to the House and also to the nation.

Being a Member of the Finance Committee and also the Public accounts Committee, my experience is that this information is also with the Finance Ministry and also with many Members who are in these two Committees. The major problem lies in the fact that a large number of cases are pending at the appellate level. It takes years altogether but decision does not come. Of course, there are cases pending in the High Court and the Supreme Court but at the appellate level a large number of cases are pending for various reasons but one of

the reasons is the person against whom the case is there, is running from pillar to post and is put to a lot of difficulty.

What has been told by our good friend, Shri Kirit Somaiya? The basic idea is that जो इनफार्मेशन देते हैं, उनकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। That is the priority. I thought the Government, as an instrument of statecraft, has to protect the citizens of this country. That should be the primary objective of the Government. But, what is happening? Attempts should be made to make it minimum. The people should not be put to difficulty and should be at the minimum. But, that is not happening. I would like to understand this. I am not leading that this Clause should be included or should not be included. These two informations will reveal many things as to why there is so much of pendency up to the Appellate level and as to what steps the Government is taking to bring it down. That will also ease a lot of difficulty of the citizens who are put to difficulty. I am not insisting the other two issues.

The other issue is related to political funding. Our Party has repeatedly said that we want transparency in political funding. When the matter was there before us in the Budget, it was that till Rs.20,000 nothing should be revealed but now it came down to Rs.2000. It was just a clerical calculation that needs to be done as to how to add more vouchers into it. But, the major change that has been effected here is the amendments to the Companies Act of 2013. Shri Moily is here. He was the hon. Minister during that time. The Finance Committee had seized off the matter not only once, but twice. For two times, the Companies Bill was referred to the Standing Committee on Finance by this House. Why? It is because the first recommendation of the Finance Committee was accepted by the UPA Government to a great extent and subsequently, some more amendments were also added and again it came back. The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shri Ahluwalia is here. He was also a witness to it. So, it became another Bill. At that time, Shri Yashwant Sinha was the Chairperson of the Finance Committee. A large number of hon. Members, who are present today in this House were Members of that Committee also. There it was mentioned that any company,

which is going to donate or going to provide funds for political purpose to any political party, that should be reflected in their balance of accounts. Once it is reflected in the balance of accounts, anybody who wants to know which company has donated what and to which political party, it is there in the public domain. Now, that gets deleted. That amendment that has been effected and passed by the Lok Sabha, has been negated and another has been added by the Rajya Sabha.

Secondly, should our political system run with the finance of the corporate sector? Should we? Ours is a vibrant democracy. I remember in 1977, in Odisha, when Shri Morarji Desai and Shri Chaudhary Charan Singh asked the college students, like us, to take out their *kurtas* and move around the crowd. We collected one, two or five rupees. That was all crowd-sourcing. Now we are not going to allow individual donation and want to restrict it to a great extent. But here you are opening the flood gates for corporate funding for political purpose. At this point of time, any political party which is in Government may reap benefits but tomorrow when that Party will be out of power, will they have the same benefit? More grievous thing is that people will not know what benefit a Government does for that corporate sector in its budget making. Are you going to provide better facilities to that company? People will not be able to know it because they do not have the information. This is a very serious thing. That is why, the Biju Janata Dal Party will insist for retention of the amendment that has been effected in the Rajya Sabha relating to Clause 154 through which it seeks to insert the words' 'which shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years'. This is necessary for transparency.

I am really intrigued to know why this has happened. What was the necessity? Is it only to protect the donor for political purpose? But in a way, you are denying the general public of the information that is supposed to make the system more transparent.

I would not go into FCRA. Some Members, of course, mentioned about it. As far as I understand, I think the learned Finance Minister is aware of it that a

decision was there from the Delhi High Court. Then Congress Party or some one else went to the Supreme Court. There is a restriction on getting foreign donations from foreign companies. The FCR Act denies it. It was supposed to be deliberated in the Supreme Court but at some point in time, that was withdrawn. I would like to understand whether the decision of the Delhi High Court stands or it was deleted in the last year's Finance Bill when it was approved by Parliament. It is because that came into effect in the Finance Bill of 2016.

I am not a lawyer. I am not a student of law but sitting next to Mr. Kalyan Banerjee, as far as I understand – there may be two opinions on it – the pronouncements of the court of law has only one opinion. As far as the Delhi High Court decision is concerned, that still stands. The decision which the Government had effected in 2016 does not delete the decision of the Delhi High Court. As has been advised, there should not be any attempt to nullify that decision. We need an answer from the Finance Minister.

We insist that transparency is necessary in political funding. Every money and every rupee that comes to a political party should be open. I believe in German Law. I had mentioned about it. In regard to political funding, Germany has clear openness. Let us adopt that. If you want to expand it, let us do it. It is necessary to make our political system corruption free.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, the Telugu Desam Party supported the Finance Bill, 2017 when it was passed in the Lok Sabha last week. We reject the recommendations made by the Rajya Sabha.

Having said that, I would like to make two points. One is that TDP supports transparency in political and election funding and we look forward to working together with the Government towards legislation and electoral reforms that lead towards this transparency.

The second thing that I want to mention is that income tax returns are being filed by just about three per cent of our population. But to my understanding, only about one per cent is paying income tax. So, for a country like India to have just one per cent of our population paying income tax, we cannot sustain ourselves in this manner. If we look at China, the figure is at eight per cent. Eight per cent of the Chinese population is actually paying income tax. We need to work towards how we actually increase our tax net. While compliance is important, expanding the tax net is equally, if not, more important.

Madam Speaker, I have a couple of suggestions on how tax payers can be recognised and motivated. One suggestion is that perhaps we can consider issuing a privilege card for tax payers, who are paying tax above a certain limit. This can give them priority for railway bookings; it could give them access to airport lounges; it could give them subsidised medical facilities, such type of things, to motivate people to pay right amount of tax.

Another thing that we could offer is some type of insurance. Perhaps, two times the gross income for medi-claim, or ten times the gross income for life insurance, something of that sort. We could also think about introducing a pension scheme after 65 years on the basis of tax paid by the tax payer over his life time. So, that is another suggestion.

The second suggestion is on demonetisation. I did not have a chance to make the recommendation earlier but it is a novel idea which I would like the hon. Finance Minister to consider. We have already suggested from the Telugu Desam

Party that 2000 rupee notes be withdrawn and perhaps 200 rupee notes can be introduced in its place. We still make that recommendation. But in addition to that, why do we not consider the idea of an expiry date on large currency bank notes? We can have an expiry date so that hoarding of cash can be eliminated and there will be on-going demonetisation on a regular basis. That could be considered. So, I would like the hon. Finance Minister to kindly consider expiry date for large currency notes.

Madam, with those few suggestions, we reject the recommendations made by the Rajya Sabha.

Thank you.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. Yesterday I did not get a chance to speak on the GST Bills. I also submitted amendments, but since yesterday it was the Ugadi day, I had to be there and I could not move my amendments.

However, today, on the five amendments that have been proposed by the Rajya Sabha, I would not like to elaborate much on that, but I know that the amendments would be rejected on a voice vote. But I would like give my views on this. So, one amendment that says that the ceiling shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years is also a progressive step as this is a process to cap political funding to only 7.5 per cent of net profit of companies of the last three financial years. The cap will enable efficient and effective utilisation of resources by the parties and reduce unnecessary harassment of business in our country and will bring a structure to political funding. This is what I feel on that.

The amendment number 5 says: "provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of political parties to which contributions have been made". It is a progressive step forward in the domain of political funding by business. This step, in my opinion, will bring transparency in the process of contributions to political parties and will enable both the parties and companies to disclose the funding information and boost accountability. So, this amendment can be incorporated for greater good and it will be a step forward towards cleaning up political funding. This is my submission. It may be taken into consideration.

Thank you.

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरी और मेरी पार्टी की यह सोच है कि कोरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग बंद होनी चाहिए। देश में आज भी कोरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग होती है, लेकिन छुपकर होती है। कभी भी किसी का नाम सामने आ जाता है। हमारे प्रधान मंत्री जी का नाम भी आता है कि इतना पैसा लिया।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी का नाम आया है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो लीगलाइज हो जाएगा। पहले छुप कर आता है, अब सीधे आएगा और घूस तथा डोनेशन के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे ब्लैक मनी को वॉइट मनी में बदला जाएगा। कुछ कम्पनीज खोली जाएंगी और ब्लैक मनी वॉइट मनी में बदल कर पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगी। इससे पॉलिटिकल पार्टियां कोरपोरेट सैक्टर के लिए काम करेंगी। अगर ऐसा कर दिया गया कि कोरपोरेट फंडिंग होने लगे और कोई अपर लिमिट नहीं है, किसी का नाम सामने नहीं आएगा कि किसने किसे पैसा दिया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर जो पार्टी पॉवर में है, वह कोरपोरेट्स के लिए काम करेगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार by the people, for the people and of the people होती है। इस बिल के पास होने के बाद सरकार by the corporates, for the corporates and of the corporates होगी। हम इस गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बार-बार यह मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश की है।...(व्यवधान) पिछले लोक सभा चुनावों में अखबार में आया था कि 35 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ और बीजेपी का 21 हजार करोड़ रुपये और विपक्ष का 14 हजार करोड़ रुपये खर्चा हुआ। यह पैसा पब्लिक का नहीं था। यह पैसा कोरपोरेट्स का था, इसलिए आप इसे लीगलाइज करने जा रहे हैं।

महोदया, ऐसा नहीं होना चाहिए और ब्लैक मनी को वॉइट मनी में नहीं बदलने देना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि 'न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा', लेकिन इस तरह से गेट खोला जा रहा है, जिससे ब्लैक मनी फिर से वॉइट मनी करने का रास्ता खोला जा रहा है। मेरा और मेरी पार्टी का ओपीनियन है कि राज्य सभा में इस बिल को कंसीडर किया गया है, वह सही है और इसे यहां रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, on 21st March when I was on my legs to raise a Point of Order and making an objection to the consideration and passing of the Finance Bill, my voice was very feeble and I got only little support from this House. But now I am very proud to say that the entire country is discussing and debating the Finance Bill and the proposed amendments made by the hon. Finance Minister that are being rushed to the House and being well discussed.

Today we are getting this opportunity to discuss about political funding by the corporates only because the Upper House, the Rajya Sabha, has made some amendments to the Finance Bill passed by this House.

I would like to quote some news. As rightly said by Shri Deepender Singh Hooda, it is mentioned in almost all the main newspapers of our country including *The Times of India*. *The Times of India* has put an editorial. They have used the same word which I have mentioned in the House that it is a backdoor legislation. As regards bulldozing the legislation, yesterday hon. Minister, Shri Venkaiah Naidu was speaking that it is unparliamentary and it is not heard of.

But I would like to say that it is a backdoor legislation because on the pretext of the Finance Bill, so many other legislation are being amended behind this legislation. That is also being accepted.

I would like to quote one line. The editorial written by *The Times of India* is "Making the Finance Bill a grab bag of legislations runs counter to Government accountability" on 24th March, 2017. Since I do not have the time, I am not going to read the editorial of *The Times of India.* It is very important and this back door legislation is well enunciated in the *Times of India*, dated 24th March, 2017. That is applicable to this case also.

Eminent citizens, including noted jurist ... * has written to Vice President, ... * expressing concerns over the classification of the Finance Bill as a Money Bill. These eminent citizens also include ... * and 200 other citizens have

* Not recorded.

expressed their concerns over the way by which the Finance Bill is being introduced in the House.

I am coming to the amendments.

HON. SPEAKER: The names will not go on record.

... *

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Shri Fali S. Nariman is an eminent jurist in our country.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: It is part of the news. I am not quoting the proceedings. I am only saying Vice President. I am not even saying Vice Chairman of the Rajya Sabha.

We discussed this on 21st. Why now is it being discussed? I have already said that it is because the Rajya Sabha has made some amendments. So, the right of the Members of the Lok Sabha is being denied by the Government. The way in which the Finance Bill is being brought to the House should never happen in future and we are seeking protection from the hon. Speaker.

Coming to the amendments, it is a very important matter. I will not repeat the matters which have already been mentioned by Shri Mahtab, Prof. Saugata Roy, etc. I am fully supporting what they have said.

Totally five amendments have been made by the Rajya Sabha. The first one relates to Clause 51. I would like to make only one point. In Clause 51, that is the right of the citizens to be protected, in which Section 132 (a) of the Income Tax is being amended. The amendment will be having retrospective effect from 1st October, 1975. We are making an amendment regarding the disclosure to the income tax authorities, that is being given effect from 1st October, 1975. What is the meaning or what is the impact of giving such retrospective effect?

I am coming to the next amendment. It is very important. That is regarding the Section 182 of the Companies Act which relates to political funding by the

---

* Not recorded.

corporates. We are always speaking of transparency and accountability in our democratic system. Transparency and accountability are the essential features of a good democratic system. Section 182 of the Companies Act is being amended incorporating a new sub-section 182 (3) (a) and taking away two provisos of the original Section 182. What does sub-section (3) (a) say? If a corporate wants to finance there was a ceiling. The maximum amount that a corporate can donate to a political party is limited to 7.5 per cent of the total or the average of the net profit of the last three financial years. That ceiling has been taken away. It means the corporate houses in our country will have absolute freedom to finance as much as they want to without any limit. Along with it, another Section is also being added. They need not disclose which political party is being funded. It is not required.

I would urge upon the hon. Finance Minister to accede to our request. You leave all other amendments. We will support you. We will negate all the amendments made by the Rajya Sabha. We will support. But accept the fifth amendment. The Prime Minister always speaks against corruption, against black money. … (*Interruptions*) So, my submission is that the Government must accept at least the last amendment made by the Rajya Sabha regarding the political funding by the corporate houses.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमने जो फाइनेंस बिल पास किया था, उस पर राज्य सभा ने कुछ सुझाव दिए हैं। हम उस पर बहस कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा एक सवाल पैदा होता है। हम लोगों द्वारा चुनकर इस लोकसभा में आते हैं। इसे लोअर हाउस बताया जाता है। जो लोगों का सामना नहीं करते हैं, उसे अपर हाउस कहा जाता है। उसे विद्वानों का हाउस कहा जाता है। ऐसा क्यों है, यह मेरी समझ में कभी नहीं आया है।

महोदया, हमारे हाउस में भी विद्वान लोग हैं। मैं नहीं हूँ, लेकिन मेहताब जी हैं, प्रेमचन्द्रन जी हैं और कई लोग हैं, जो यहाँ बहस में हिस्सा लेते हैं। ये लोग अपने विषय रखते हैं, लेकिन हमारे पास मेज्योरिटी होने के कारण हम इसे इग्नोर कर के बिल पास करते हैं।

महोदया, यही मुद्दे राज्य सभा में उठते हैं। वे अमेंडमेंट के तौर पर फिर यहाँ आते हैं। संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिए, तो उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। आज ऐसे कुछ मुद्दे हैं। सरकार का हिस्सा होने के कारण मैं सरकार के साथ हूँ। यह एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, जिसका जिक्र हुड्डा जी ने किया, भृतहरि महताब जी ने किया। मैं बैठा हुआ था और इसमें हिस्सा नहीं लेने वाला था, लेकिन बैठे-बैठे मुझे लगा कि इस बात में दम है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसने कितना फंड दिया और कितना फंड दिया जाना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। हुड्डा जी ने यह सजेशन दिया था कि आप पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी बिल लाइए। इसके साथ ही राज्य सभा ने इस पर जो अमेंडमेंट्स दिए है, उन्हें हमको मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

महोदया, मैंने अपनी बात यहाँ रखी है। बाकी जो भी सजेशंस और अमेंडमेंट्स हैं, उनका मैं भी विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी जी।

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam Speaker, at the outset I thank you for giving me an opportunity to speak on the subject and my Party supports the various initiatives taken by the Government in expanding the formal economy. Reducing the cash in daily transactions is also a welcome move. In the Budget, an idea has been incorporated to ensure economic growth and prudent fiscal management. This will certainly help in the development and improvement of social security.

There is also a need to rethink about the Government's decision to link *Aadhaar* with the opening of bank accounts and filing of income tax returns. This may have serious consequences on the data theft. It can jeopardize the privacy and security of citizens.

The Government has said that the tax regime will be user friendly and non-adversarial. In this country, only 1.5 lakh people declare income of over Rs. 50 lakh and only around 20,000 people declare income above Rs. One crore. How many of these high net worth individuals are scrutinized? I am asking this question because what happens is that here the security rate goes up to 30 to 50 per cent and that is where corruption begins. The Government needs to address the issue.

Then, political funding should be made more transparent so that corruption can be totally avoided.

Lastly, I request the hon. Finance Minister to accord Special Category Status to the State of Andhra Pradesh as promised in this august House. Thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.

Madam, on Clause 154, I have an apprehension that we are heading towards a conflict wherein the Speaker would be in conflict with the Supreme Court. Please allow me to say, Madam, unfortunately this Government has reduced this Lok Sabha to a sausage making machine. Elections will come and go. But elections should be vibrant and political funding should be transparent. I can quote you an example wherein this Government allowed foreign funding to political parties where both the Congress and the BJP agreed to rectify their mistake. Now, a person sitting in US, may be in Pentagon, can fund a political party in India. But an NGO cannot get funding from any foreign country. Madam, Rs. 2000/- is the limit. But here, you have corportes, who can give unaccounted money to political parties.

Madam, may I know?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please, do not disturb.

… (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, about removing the 7.5 per cent limit, may I know the rationale behind it? How is that a corporate would definitely fund the Congress and BJP only? The biggest sufferers would be the regional parties. Why? It is because, they know for a fact, somewhere they will be in power. Now, nothing comes free. Lunch will not be free anymore. So, why is it that this Government is insistent, and that too, Madam, no mention should be made about the corporate company who has funded what?

When you are ready for transparency, why do you not accept this Rajya Sabha Amendment?… (*Interruptions*)

Madam, Rajya Sabha is a House of Reason… (*Interruptions*) ... * भी हमारे गांव में बैठकर फण्ड करेगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। आप वही चाहते हैं ना? Now, I know that

* Not recorded.

you want ... [*] to fund you. मुबारक हो आपको । You want ... * to fund you. I am quoting them.

Madam, you see 7.5 per cent ceiling. The Government wants to delete it. Why?

Moreover about clause 51, for six months, the property would be seized; and the High Court also should not know. The Finance Minister has been an eminent lawyer. Then, Tribunals would be formed; you would appoint them; you would give them the terms of qualification. Is it not a clash?

I agree, Madam Speaker, that you have classified it as a money bill, but I am of the opinion that this is unconstitutional and illegal. We are sacrificing political transparency.

I hope that the Government would once again apply their mind, because they are bringing in this Amendment; tomorrow they will not be in power; power is not eternal. Believe me, any Government, who wants to take away this legislation, will have to get your type of majority, which I am sure, in 2019, you will not get; no Government will take that kind of majority in 2019.

What you are doing now, is that you are creating a precedent, by which everyone will suffer. You are acting in haste; and the people of India will repent in leisure. Thank you.

---

[*] Not recorded.

अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मुझे खेद है कि राज्य सभा ने जो पांच संशोधन सजेस्ट किए हैं। मैं अपनी और सरकार की स्वीकृति उनको नहीं दे सकता। इसका कारण मैं स्पष्ट बता दूं कि कई बार विषय के संबंध में जो प्रचार होता है, उस प्रचार को हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके पीछे जो तर्क होता है, उसको नहीं समझते हैं। सैक्शन 132 (ए) की सबसे अधिक चर्चा हुई, यह क्या है। वर्ष 1961 से लेकर आज तक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवीजन है कि अगर कोई व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड इनकम रखता है और उसकी जानकारी टैक्स विभाग के पास होती है तो उसके ऊपर इंटेलीजेंस होती है, वह सूचना कहां से आयी इसकी जानकारी होती है। यह सब लिखित रूप में एक सैटिस्फैक्शन नोट बनता है। उसमें इन्फार्मेंट की आइडेंटिटी, नेचर ऑफ इनफॉर्मेशन, इंटेलीजेंस इनफॉर्मेशन, उस व्यक्ति के बारे में जो-जो वैरीफीकेशंस हुए। उसके बाद विभाग का उच्च स्तर का अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति के यहां सर्च होनी चाहिए। यह कानून वर्ष 1961 से लेकर आज तक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।

There still will be a Satisfaction Note. It still will be, in writing. So, let us not give these fictional arguments there would not be a piece of paper, you can barge into any property. You cannot do that.

वर्ष 1961 से लेकर आज तक एक भी उदाहरण नहीं है। कोई भी पार्टी सरकार में रही हो कि जो टार्गेट ऑफ इनवेस्टीगेशन है, इस नोट की कॉपी उसको दी जाए। It would be disastrous to do that. जिस व्यक्ति पर हम सर्च कर रहे हैं, उसे पहले बतलायें कि तुम्हारे खिलाफ क्या इंफार्मेशन है, क्या इंटेलिजेंस इंफार्मेशन है, अनडिसक्लोज्ड इनकम के बारे में क्या-क्या जानकारी है, किस-किसने दी है और हमने क्या-क्या वेरिफिकेशंस दिये हैं। किसी ने बिना इस विषय की गंभीरता समझते हुए एक लेख लिख दिया कि यह ह्यूमैन राइट्स इश्यु है और इसीलिए यह राइट्स ऑफ ए सिटीजन नहीं है। जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, जिसके खिलाफ विभाग के पास जानकारी है, यह एक सैटिस्फैक्शन नोट में है। जो आज तक उस व्यक्ति को कभी एक बार भी नहीं दी गई। वह किसे दी जाती है, अगर कोर्ट हमसे मांगता है कि मुझे दिखलाओ, आपके पास क्या कारण थे। How did you achieve this satisfaction? So, we give it to the court. It has always been the position. That will continue to be the position.

लेकिन यह परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई बार कोर्ट अपने जजमैन्ट्स देते हैं। एक जजमैन्ट कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दे दिया और यह भी कहा कि उसे कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। उसमें कोर्ट ने एक ऑबिटर वाक्य लिख दिया, जो उस केस से संबंधित नहीं था। जिससे कंफ्यूजन फैल गया कि असैसमैन्ट स्टेज पर वह व्यक्ति इस कापी को मांग

सकता है। व्हिसिल ब्लोअर प्रोटैक्शन हो, व्हिसिल ब्लोअर इंफोर्मेशन क्या दे रहा है, उसकी प्रोटैक्शन हो, यह पूरी दुनिया में चल रहा है। महताब जी, वह व्हिसिल ब्लोअर भी सिटीजन है। उस इंफार्मेशन की भी एक वैल्यू है। Why do we say that journalist must not disclose their source or the information that they get from their source? It is because if sources dry up, if sources are exposed, then information will never come. That is the rational. There is a larger public interest. As far as an economic offender is concerned, a hue and cry is being raised by some people that that economic offender must be told as to what is the source or what is the content of the information. This has never been done and only so that this judgement of the court's observation should not be misunderstood, this amendment has come only as a matter of abundant caution.

अभी ओवैसी साहब ने कहा कि आपने सीजर और छः महीने के लिए अटैचमैन्ट का प्रावधान कर लिया। किसी के सर्च होती है और अनऑथोराइज असैट मिलती है तो There is a power to seize it. आप वहां से ज्यूलरी ले जा सकते हैं, गोल्ड ले जा सकते हैं, कोई असैट है, कोई पेंटिंग है, कोई वैल्युएबल है, उन्हें विभाग ले जा सकता है। अगर उसे लेकर नहीं जाना है तो आप उसे अटैच कर दीजिए और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे दीजिए कि इसे यहीं रखिये, आगे बेचिये मत, जब तक असैसमैन्ट पूरा नहीं हो जाता। Now, this additional power is being taken so that you physically do not take it away. It remains with the assessee with one limitation that it remains attached. He will not sell it. So, this is to the benefit of a person who is being searched.

अब यह दूसरा सुझाव है कि आपने यह पावर क्यों रखी। मुझे खेद है कि राज्य सभा के जो ये दो सुझाव हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

अभी ट्रिब्युनल्स के संबंध में इतनी चर्चा हुई, 40 एक्ट्स है। आज वास्तविक स्थिति क्या है, हम जितने कानून बनाते हैं, हर कानून में या तो रेगुलेटर होता है, उसका अपील प्रावधान होता है या उसके साथ-साथ कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसकी अपील ट्रिब्युनल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है तो सरकार नियुक्ति करती है, रेग्युलेटर होता है तो सरकार बनाती है। अगर जज अपाइंट होना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बनाते हैं। This is the existing position. This will remain the position. So, nobody is going to chose judges. They will be appointed on the advice and recommendation of the Supreme Court.

आज स्थिति क्या है, आज इतने अधिक ट्राइब्यूनल्स हो गये हैं कि हर ट्राइब्यूनल में, कुछ ट्राइब्यूनल्स में काम है और कुछ में काम नहीं है। अब मान लीजिए पेट्रोलियम विभाग का एक ट्राइब्यूनल है, प्राइसिंग के लिए, टैरिफ्स के लिए है या एयर की टैरिफ अथॉरिटी है। हर एक के लिए आपको हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, स्टॉफ, सेलरीज आदि के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू में से पैसा देना पड़ता है। अब यह स्थिति आ गयी कि इन सबके लिए इतने रिटायर्ड जजेज चाहिए और रिटायर्ड जजेज के पास भी अब आर्बिट्रेशंस करने के ऑप्शंस हैं।

SHRI KALYAN BANERJEE: The more the merrier…. (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: The more the merrier; Kalyan is right and that is lucrative. Public service is not lucrative. Private business is always more lucrative.

There are important tribunals where retired judges have to be appointed. I am in receipt of communications from the Judiciary that nobody is agreeing to join this. So, under these circumstances, what does the Government do? So, for a long time, the Government has decided, let us start amalgamating two-three of them so that each tribunal has sufficient work and the number can be curtailed.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Why this belongs to the Finance Bill?

SHRI ARUN JAITLEY: It is because, it involves money; it involves expenditure; it involves saving of expenditure. Shashi, this is not the first time that merger of tribunals has taken place in the Finance Bill. There are precedents.

Let me tell you the point that Deepender raised just now, even on electoral reforms, in 2001 when Mr. Vajpayee's Government did it and in 2010 when the UPA Government did it, took some steps, they were under the Finance Bill. I will just explain to you when. So, those tribunals are under different Acts. So, you have only one amendment and that one amendment is that a number of tribunals are being merged into one. So, instead of doing the work of one tribunal, one tribunal will have to do the work of two or three tribunals. There will be uniform salary conditions. There will be uniform perquisites and services. That one

amendment will be in all those parent Acts under those tribunals have been created. So, there is just one amendment merging multiple tribunals into lesser number of tribunals, saving on Government expenditure. And mind you, most of these tribunals are in the business of tariff fixation. So, they deal with revenue matters, squarely within the definition of Article 110. So, all that has been done is – there is a hue and cry – 40 Acts have been amended. Actually it is an administrative exercise for good governance which has been done.

Now, let us come to your last and big question on electoral funding. महोदया, इलेक्टोरल फंडिंग की क्या स्थिति है। इस देश में एक सरल काम है, एडीटोरियल लिखना या भाषण करना। यह काम बड़ा सरल है, क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसी है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यह बहुत सरल है और ये दोनों अच्छी कल्पनायें हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके लिए थोड़े ही बोला है। इट इज नॉट फॉर यू।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It goes with responsibility and accountability. You are responsible to your readers; you are accountable to your readers. That is how you survive. I am talking about writing editorial. Of course, giving *bhasan* is one thing.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : इनका सवाल जायज है। कुछ भाषण देते हैं, कुछ एडीटोरियल लिखते हैं और कुछ लोग दोनों करते हैं।

श्री अरुण जेटली : महताब जी, एकांउटिबिलिटी पर चर्चा हम किसी दूसरे संदर्भ में करेंगे। At the end of the day, it is only elected institutions who are accountable. The level of accountability of others is always limited.

श्री कल्याण बनर्जी: आप लॉ मिनिस्टर को थोड़ा बोल दीजिएगा। आज सुबह ही हम यह बात बोलकर आये हैं, साढ़े नौ बजे कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में, आप थोड़ा लॉ मिनिस्टर को वह बात बोल दीजिएगा।

श्री अरुण जेटली : मैं आप सबको, आपको ही नहीं, बाकी बाहर भी कोई कहे, एडीटोरियल राइटर्स और कॉलम राइटर्स भी कहें, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, please suggest a better system. What is the present system? The present system has two features - unclean money and total non-transparency. आज प्रेजेंट सिस्टम यह है कि अधिकतर पॉलिटिकल फंडिंग कैश में हो रही है।

टैक्स इवेडेड मनी है और ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई डिसक्लोज नहीं करता। न कैंडीडेट चुनाव में कितना पैसा मिला, डिसक्लोज करता है, न पॉलिटिकल पार्टी पूरा डिसक्लोज करती है।...(व्यवधान) आप यह मान लीजिए कि आज के सिस्टम की वास्तविकता यह है कि न तो ट्रांसपेरेंसी है और न क्लीन मनी है।

वर्ष 2001 में हमने पहल की और उस पहल में यह था कि क्लीन मनी आए और ट्रांसपेरेंसी भी हो। हमने एक प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी राजनीति दल को पैसा देता है और चेक से देता है, तो टैक्स में उसको भी छूट मिल जाएगी, राजनीतिक दल को भी छूट मिल जाएगी।

Deepender Ji, this was done under the Income Tax Act and the Finance Bill and corresponding changes were made to the Representation of People Act and in the Companies Act.

अब उसका असर क्या हुआ। कुछ लोगों ने देना शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में आपको सफलता मिली। देने वालों ने यह कहा कि अगर हमारा नाम आ जाएगा और यह बैलेंस शीट पर स्पष्ट होगा कि हमने दिया और किस पार्टी को दिया तो उस ट्रांसपेरेंसी के एडवर्स कान्सिक्वेन्सेज मेरे ऊपर होंगे।

हम यह समझ लें कि व्यवस्था, शासन और देश इस सदन को चलाना है। केवल मुहावरों का प्रयोग किसी लेख में कर लें, उससे यह देश नहीं चलने वाला। We felt the problem और उसका असर था कि मैं डिसक्लोज करूंगा, कोई दूसरा राजनीतिक दल पॉवर में आ जाएगा तो वह कहेगा कि आपने तो पिछली बार दूसरी पार्टी को दिया। यही नहीं, एक दूसरा कान्सिक्वेन्स था, मान लीजिए हरियाणा में आपकी राज्य सरकार थी, उसने कांग्रेस पार्टी को दे दिया। दो साल बाद उसको कोई हाइवे बनाने का हरियाणा में ठेका मिल गया, तो फिर पीआईएल भी होती थी कि चुनाव में पैसा दिया, इसलिए यह मिला है। ऐसा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह क्लेन्लीनेस और ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। इसलिए वे उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे जो न क्लीन थी, न ट्रांसपेरेंट थी। जब यूपीए की सरकार थी तो यह disclosure of name न हो, आज आपको ट्रांसपेरेंसी से लगाव हो गया, इसमें हमें हिपोक्रेटिकल होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा राष्ट्रपति जी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि यह जो समस्या है, कि जिसका नाम आ जाता है, वह देने को तैयार नहीं, तो फाइनेन्स बिल में एक संशोधन लाये कि अगर कोई पैसा देने वाला किसी इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देता है और वह इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट पास-थ्रू बन जाता है, तो फिर उसकी बैलेंस सीट में आयेगा पेड टू इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट और ट्रस्ट कम्पनी नहीं है तो इसलिए डिसक्लोजर नहीं होगा। यह आप लाये और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। यह उम्मीद थी कि इसके बाद चेक से देने की व्यवस्था और बढ़ेगी। जब वर्ष 2001 में हम लाये थे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जब वर्ष 2010 में आप लाये, हमने सपोर्ट किया। इसके पीछे नीयत यह थी कि लोग चेक से देना शुरू करें,

उस आदत को डालें। बहुत ज्यादा सफलता उसमें भी नहीं मिली। इसलिए इस बार हमने चार प्रोविजन्स दिये, जो कम्पलीट ट्रांसपेरेंसी और क्लेन्लीनेस चाहते हैं, वे चेक से दें, अपना नाम डिसक्लोज करें, आज भी यह प्रोविजन है, किसी ने रोका नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड से तकलीफ़ है तो आप केवल इसी तरीके से लीजिए। फिर देखते हैं कि कितने लोग आपको देते हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अब तो वे आपको दे रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI ARUN JAITLEY: Deepender Ji, it is one thing--and I have used this phrase repeatedly--to have a problem for every solution. So, do not get into that mould. Give a solution. The second is, the Election Commission said कि दो हजार रुपये तक कैश में ले सकते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसी गांव में कोई कार्यक्रम करते हैं और अगर वे छोटे-छोटे डोनेशंस लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस दो हजार रुपये को समाप्त करना है तो सबकी राय बने तो उसे कर सकते हैं। पर, चुनाव आयोग की सिफारिश थी, हमने उसे माना।

तीसरा, यह भी कहा कि आप छोटे एमाउंट की मास डोनेशंस ऑनलाइन लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कल्पना इसलिए की कि आज की जो व्यवस्था है, वह अनक्लीन्ड भी है और नॉन-ट्रांसपैरेंट भी है। उसमें बॉन्ड खरीदने वाला क्लीन मनी से खरीदेगा। जिस पार्टी को मिलेगी, वह क्लीन मनी होगी। पार्ट ट्रांसपैरेंसी होगी। किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे, यह बैंक को मालूम है और चूंकि इस पार्टी का एकाउंट प्रि-डिक्लेयर्ड एकाउंट होगा, कांग्रेस पार्टी या बी.जे.पी. या बी.जे.डी. पार्टी केवल एक एकांउट में ले सकती है, जो चुनाव आयोग के पास होगा, तो इससे यह भी डिक्लेयर होगा कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिले। उस बॉन्ड के खरीददार ने खरीदने के बाद उसे कैसे बांटे, यह उसकी जानकारी में होगा।

So, this system will ensure clean money. I concede it is only partly transparent. But those who want full transparency have the cheque option but that full transparency and clean money option is a tried, tested and failed system. It has not worked in this country.

इसलिए यह कहना कि आप ने ये अमेंडमेंट्स क्यों किए, महताब जी ने एफ.सी.आर.ए. का विषय उठाया। पिछले साल मैंने यह किया और महताब जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ देने की कोशिश की गयी। उसका कारण समझ लीजिए कि यह क्या है। आज अगर कोई इंडीविडुअल डोनेशन देता है, उस पर कोई कैप नहीं है। पार्टनरशिप डोनेशन देता है, कैप नहीं है। एच.यू.एफ. देता है, कैप नहीं है।

लेकिन, तरह-तरह की कैप्स दूसरी कंपनियों पर थीं। If we want clean money, should we narrow down and restrict the constituency of donors? … (*Interruptions*)

I will tell you. It is not foreign. That is the misconception, and that is where Mr. Owaisi was totally wrong. The FCRA defined the words 'foreign source', and in the foreign source, they said it includes a company where current shareholders could be non-residents. Majority 51 per cent could be non-residents. Now, as economic liberalization took place and sectoral caps of FDI in each sector were liberalized, companies registered in India doing 100 per cent business in India, Indian companies, because they had an FII investment or a foreign fund as an investment, became foreign sources, and prosecutions were being filed. Now somebody, let us say, gave to the Congress Party a donation by cheque. It was an honest donation. They took it. अब कांग्रेस पार्टी ने यह तो नहीं पूछा कि अपने शेयरहोल्डर्स की लिस्ट बनाओ। पता चला, उस दिन 49% फॉरेन शेयरहोल्डर नहीं था, बल्कि 50.2% था, क्योंकि 50.2% था और यह स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता है तो किसी ने पी.आई.एल. डाल दी और कहा कि केसेज बनाइए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There is a Delhi High Court decision.

SHRI ARUN JAITLEY: The decision is in this context. Do I now get a sadistic pleasure and say, well, they have been prosecuted? Tomorrow my Party will be prosecuted. Yours will be prosecuted. I can name to you. You name any 10 Indian companies which are capable of giving a donation, and eight out of them will come within that defective definition. So, you take a cheque donation for clean money.

<u>14.00 hours</u>

The ultimate thrust of your argument is – debar all these companies; put a cap on all these companies; if somebody gives, disclose his name. So, at the end of the day, the net effect of all this is that you go back to the present *status quo,* which is, cash is the safest means, no question will be asked, nobody will come to know. Let

us take an honest and bold decision whether we want to clean up political funding or not.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, after withdrawal of the case from the Supreme Court, Delhi High Court decision stands.

श्री अरुण जेटली : देखिए, वह केस अपने आप चलेगा। हम लोगों ने कुछ साल पहले एफ.सी.आर.ए. की परिभाषा केवल इतनी बदली कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी अमेरिकन डोनेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि वह फॉरेन सोर्स है। अगर कोई हिन्दुस्तानी कंपनी सौ फीसदी अपना कारोबार हिन्दुस्तान में करती है और किसी पॉलिटिक्ल पर्पस के लिए चेक देती है, तो वह क्रिमिनिल ऑफेंस नहीं है और यह एकदम जायज अमेंडमेंट था। हम कंसिटिट्यूंसी ऑफ डोनर्स को छोटा करते जाएंगे और कोई देने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर ह्र्स-रियलिटी यह है कि हम अन-डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करते रहें, क्योंकि डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे तो जिस प्रकार से मैं श्री दीपेन्द्र जी को कहा कि, 'somebody will write an editorial and he will have a problem for every solution we offer.'

Today we have given the option – receive it by cheque. There is total transparency and it is clean money. Then, there are options such as receive small donations by cash of less than Rs.2000; you can receive donations online and do it by bonds, which is clean money…. (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Then, what is 7.5 per cent?

SHRI ARUN JAITLEY: Again, the same rational, Deepender ji. Today there is no restriction on individual partnership. If a donor wants to give a donation, if we continue to restrict the constituency and the number of people, who can donate, the quantum they can donate, then the tendency to move towards cash donations will always be higher. So, let us take a bold decision whether we want a tendency where people are incentivised and encouraged to give by check.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: But why is it not getting reflected in their balance sheet? How will anyone know as to who is donating?

SHRI ARUN JAITLEY: The balance sheet will always reflect the amount of electoral bonds that he has purchased. मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चेक से देगा, वह

बैलेंसशीट में डिसक्लोज होगा और जो बॉड्स से देगा, the quantum of bonds he has purchased will be reflected in his balancesheet. That will be the factual position. तो मुझे लगता है कि इसमें हिपोक्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से सबको एक साथ प्रश्न करने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : मो.सलीम साहब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। आपकी तकलीफ मैं इसलिए समझ सकता हूं कि बाकी पार्टिज़ को वैचारिक आधार पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पार्टियाँ रिफलेक्ट करती हैं कि हमें डोनेशन मिली है, लेकिन आपको तो आइडिओलॉजिकल प्रॉब्लम है।...(व्यवधान) आपको अपने बैलेंसशीट में लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन बाकि पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो आइडिओलॉजी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप वर्ष 2001 से इसका विरोध कर रहे हैं।

I have an open invitation to all, please suggest to me a better system which can ensure clean money and transparency to the extent possible. I am yet to receive a single suggestion in this regard. I am only hearing adjectives like – it must be clean, it must be transparent. Please give me the ideal combination of the two. We are willing to consider it. But the fact is, under the circumstances, these are four options which we had, these are four options which emanate from a scheme, which will be drawn under the Income Tax Act. I once again tell the Congress Party or the Biju Janta Dal or others, if you can think of a better system, please suggest to us.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Many people, including the Election Commission, have suggested government funding. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is not yielding.

… (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I will wait for a specific suggestion, which I am still to get.

Madam, with these few observations, I commend to this hon. House that the amendments suggested by the Rajya Sabha be rejected.

HON. SPEAKER: The question is:

"(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– "

CLAUSE 51

1. That at page 26, Clause 51 be ***deleted***.

CLAUSE 52

2. That at page 27, Clause 52 be ***deleted***.

CLAUSE 53

3. That at page 27, Clause 53 be ***deleted***.

CLAUSE 154

4. That at page 52, line 34, ***after*** the word "section", the words "which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years," be ***inserted***.

5. That at page 52, ***after*** line 40, the following proviso be ***inserted***, namely:-

"Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it"."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: We shall now take up the amendments recommended by Rajya Sabha.

The question is:

"**CLAUSE 51**

1. That at page 26, Clause 51 be ***deleted***.

CLAUSE 52

2. That at page 27, Clause 52 be ***deleted***.

CLAUSE 53

3. That at page 27, Clause 53 be ***deleted***.

CLAUSE 154

4. That at page 52, line 34, ***after*** the word "section", the words "which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years," be ***inserted***.

5. That at page 52, ***after*** line 40, the following proviso be ***inserted***, namely:-

"Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it"."

The motion was negatived.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

"That the amendment Nos. 1 to 5 recommended by Rajya Sabha be rejected."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the amendment Nos. 1 to 5 recommended by Rajya Sabha be rejected."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: In accordance with clause (4) of Article 109 of the Constitution, the Bill is deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by Lok Sabha without any of the amendments recommended by Rajya Sabha.

HON. SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet again at 3.05 p.m.

14.08 hours

The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past Fifteen of the Clock.

15.10 hours

The Lok Sabha reassembled at Ten Minutes past Fifteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*.)

DISCUSSION UNDER RULE 193
Sustainable Development Goals
Way forward for Health and Well-Being for All

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी हम नियम 193 के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा आरंभ करेंगे, उसमें विशेष रूप से "वे फार्वड फॉर हेल्थ एंड वेल-बिइंग फॉर ऑल" स्वास्थ्य के विशिष्ट विषय लेकर है। इस पर स्पीकर को बोलना नहीं होता है, लेकिन मैं सदस्यों से चर्चा करना चाहूंगीं। आप सभी जानते हैं कि सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र में सभी राष्ट्रों ने एकत्रित होकर एक मिलेनियम समिट किया था, उस मिलेनियम डेवलपमेंट समिट में आठ गोल्स तय किए गए थे, जिसे वर्ष 2015 तक पूरा करना था। जब यह बात आई, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और जेंडर इक्वलिटी विषय पर बात करना। वर्ष 2015 में फिर से इस विषय को देखा, परीक्षण किया। यह ध्यान में आया कि जो भी उपलब्धियां हुई हैं, उसमें विभिन्न राष्ट्रों की असमानता है और इस पर अभी काम करना आवश्यक है इसलिए 1 जनवरी, 2016 में हासिल उपलब्धि को टिकाए रखना भी आवश्यक है। वह कैसे निरंतर चलता रहे, यह भी आवश्यक है, इसलिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने ले लिया।

वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्य रखे गए, उस पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा है। सभी राष्ट्र अपनी पद्धति से इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, योजनाएं बनाएं, ये सारी बातें शुरू हो गईं। हम विकास के बाद अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाना, समाज में लाना, मानव जीवन में लाना, यही उसका उद्देश्य है। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सरकार की सभी यांत्रिकीय चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय संस्थाएं हों, पार्लियामेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद सदस्यों का भी अपना दायित्व माना गया, इस दृष्टि से जब एजेंडे को स्वीकार किया गया। आप भी देखते होंगे कि सतत् विकास लक्ष्य, जब अपने यहां कोई चीज करनी होती है तो उसे परिवार में कहते हैं। सात पीढ़ी तक इतनी सम्पदा होगा या हम चाहते हैं कि संस्कार भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, किसी के एक जीवन की बात नहीं है, it is continuity. इसमें भी वही अपेक्षा है। मंत्री स्तरीय बैठकें होती रहती हैं, राष्ट्र अपनी बैठक करता है, स्पीकर लेबल पर भी एक इंटर पार्लियामेंट यूनियन में भी इस पर चर्चा होती

रहती है। एशिया के जितने कंट्रीज हैं जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, वह भी अपने लेबल पर चर्चा करते हैं। सभी को मिला कर एक विचार बना था कि पार्लियामेंट भी इस पर विस्तृत चर्चा करे क्योंकि इसे लेकर सरकार ने अनेकानेक योजनाएं बनायी हैं।

मैं आज आपसे इसलिए बात कर रही हूं कि हमारा दायित्व क्या है? एक पोजीटिव चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह बात किसी एक सरकार की नहीं है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की नहीं है। हम सबने मिलकर राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकास की तरफ जाना है और विकास को टिकाये रखना है, यह हम सबका कहीं न कहीं दायित्व है। अलग-अलग बैठकें होती रहती हैं, मगर ऐसा तय किया गया, जब सरकार ने विचार किया, संसदीय बैठक, बिजनेस एडवाइजरी बैठक में भी सबने मिलकर सोचा कि संसद के प्रत्येक सत्र में एक बार हम इस विषय पर चर्चा करें, कि हम में भी एक प्रकार से वह जागृति आ जाये कि हमारा कर्त्तव्य क्या है? What we can do. हमारे अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे अपने स्टेट में क्या हो रहा है? कौन से प्रोग्राम्स लागू करने चाहिए और कौन से प्रोग्राम लागू नहीं करने चाहिए। कौन से प्रोग्राम में खामी है और हम इसे आगे कैसे बढ़ायें, ऐसी एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। केवल हम एक संपूर्ण विषय लेकर चर्चा करें, तो आपको मालूम है कि 17 गोल्स हैं और उसके आगे कई सारे छोटे-छोटे लक्ष्य उसके अनुसंग में रखे हैं। यह बहुत विस्तृत हो जायेगा, तो यह तय किया गया कि अगर हम एक-एक लक्ष्य लेकर चर्चा करें, तो वह चर्चा ज्यादा सकारात्मक भी होगी और ज्यादा उपयुक्त होगी।

इसलिए आज जो चर्चा का विषय रखा गया है, जो हमारा तीन नम्बर गोल है, वह स्वास्थ्य को लेकर है। आज हम स्वास्थ्य के गोल पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको इसलिए बोला है कि हम इस दृष्टि से चर्चा करें। It is not a criticism. एक बात कहूं, तो यह अपने आपका परीक्षण है कि हम कैसे करें, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। हमारे देश को आगे बढ़ने या इस लक्ष्य को हासिल करने में हम क्या कर सकते हैं और सरकार ने क्या किया है, how we can supplement. इस योजना में कौन सी बातें हो सकती हैं, मैं चाहूंगी कि इस बारे में हम थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें। आप सबको मालूम है कि हमने स्पीकर रिसर्च इनीशियेटिव स्थापित किया है। आप सब उसमें सहभाग लेते रहते हैं। हमने इस पर किताबें भी दी थीं। हम इसमें चर्चा भी करते हैं। कहीं न कहीं सदस्यों को विषय की विस्तृत जानकारी मिले, इसलिए प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगी कि आज यहां सृजनात्मक चर्चा हो, इस दृष्टि से हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, इसमें भी आपको कुछ कहना है?

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I must appreciate you lavishly because after a long time we have heard your speech from the Speaker's Chair. We have got the privilege to hear the Speaker's mind on this issue.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, जैसे अभी अधीर रंजन जी आपका स्वागत कर रहे थे, वैसे बहुत दिनों बाद, यानी तीन सालों के बाद इस लोक सभा में, इस सत्र में आपकी मधुर वाणी सुनने का मौका पूरे हाउस को मिला है। वह भी ऐसे एक विषय के बारे में सुनने को मिली है, जिसके बारे में यूएनए ने पूरी दुनिया के सामने सस्टेनेबल डेवलपमैंट गोल्स, यानी विकास के लक्ष्यों के बारे में रखा है। हम इस बारे में पहली बार चर्चा कर रहे हैं। आपने इसकी प्रस्तावना रखी है। सदन का हर सदस्य, हर पार्टी इसका स्वागत करती है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि हर पार्टी इस विषय के बारे में, यानी विश्व के इन लक्ष्यों को हासिल करने में हमारे पार्लियामैंट का भी योगदान रहे, इस हेतु सकारात्मक चर्चा में हम भाग लेंगे और इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। खासकर इस बार आपने जो स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय रखा है - "Healthcare and Well Being for All." यह सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए आप जितनी उत्सुक हैं, उतने हम सब भी हैं।

एक बार फिर हम आपकी इस प्रस्तावना का तहे दिल से स्वागत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं बाकी समय भी डांटती नहीं हूं, मधुर ही बोलती हूं।

ठीक है, अब हम इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले पूरे सदन की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर, न केवल आज, बल्कि पिछले तीन वर्षों में जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और बाकी विषयों पर नियम 193 के तहत चर्चा करने की बात आई, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा करने के बारे में आपकी ओर से प्रमुखता से यह बात रखी गयी कि हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तभी पूर्ति हो सकेगी, जब गोल नम्बर-तीन, जो हम सभी हर वर्ग के भारतीयों के स्वस्थ जीवन के लिए है, की प्राप्ति करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए आपके प्रति जितना आभार व्यक्त किया जाए, कम है।

आपने कहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए, समुचे भारतीयों के स्वस्थ जीवन के लिए, हम सभी को आज इस पर चर्चा करनी चाहिए। Because Goal 3 of the Sustainable Development Goals is to ensure healthy life and promote well-being for all at all ages. This goal is essential for achieving overall sustainable development. To some extent, global efforts have been successful in increasing life expectancy, and reducing the spread of HIV/AIDS, Polio and other diseases, which were major causes of infant and maternal mortality. हालांकि उनमें जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि हमें इसके अलावा, न केवल मृत्यु दर को कम करना है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन, एक क्वालिटी लाइफ और हेल्दी लाइफ देने के लिए भी बहुत प्रयास करने हैं। इसके लिए जरूरी है कि फैमिली प्लानिंग जैसी बातों पर भी विचार किया जाए, जिस पर अक्सर हम लोग राजनीतिक तौर पर बंट जाते हैं। जब परिवार नियोजन की बात आती है तो धर्म, जाति और राज्यों को लेकर बातें उठनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कितने हजार लोगों के ऊपर कितने डाक्टर होने चाहिए, हमारे यहां वह संख्या बहुत कम है। आबादी लगातार बढ़ती चली गयी, लेकिन उस तरह से डाक्टर्स एवं स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बन पाए। नशे पर रोक लगे, उसका उपचार हो, युवाओं को नशे के प्रति बढने से रोका जाए, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

दुनिया भर में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स कहीं होते हैं, तो उन देशों में भारत का नाम आता है। दुनियाभर की सबसे ज्यादा बीस पोल्यूटेड सिटीज में से आधी भारत में हैं। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वर्ष 2015 में दस लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल प्रदूषण के कारण हुई है। रोड एक्सीडेंट्स भी प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत बढ़ रहे हैं, जिनके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। वर्ष 2015 में लगभग डेढ़ लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। तम्बाकू के सेवन की वजह से भी लगभग दस लाख लोगों ने अपनी जिन्दगी गंवाई है। इसके अलावा, हानिकारक केमिकल्स के कारण, हवा और पानी के कारण भी लाखों लोगों की जिन्दगी पिछले कुछ वर्षों में गयी है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर भारतीय के लिए साफ हवा और पानी का प्रबन्ध कर सकें और स्वच्छता अभियान की ओर हमारा ज्यादा ध्यान हो। सैनिटेशन फेसिलिटीज भी हमें उपलब्ध करानी चाहिए। आजादी के 70 वर्षों बाद, कम से कम एक गरीब, असहाय, पिछड़े वर्ग या किसी भी वर्ग से आने वाला व्यक्ति सरकार से इतनी उम्मीद रखता है कि मुझे साफ वायु, साफ पानी, दो वक्त की अच्छी रोटी और अच्छा जीवन जीने की उम्मीद मिले।

हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया भर की अगर बीमारियों का बोझ देखें तो India accounts for more than 20 per cent of the global disease burden which is one-fifth of the total. India accounts for 27 per cent of the neo-natal deaths and 21 per cent

of all the child deaths. यानी कि 28 साल से कम दिनों में मरने वालों की 27 प्रतिशत और 5 साल से कम समय में मरने वालों की आबादी 21 प्रतिशत भारत में है। ये बहुत परेशान करने वाले आंकड़े हैं। अगर हम देखें कि टी.बी., डायरिया, मलेरिया जैसी कम्युनिकेबिल बीमारियों की वजह से भी लाखों लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है, जिसका प्रमुख कारण क्लीनलीनैस और सेनीटेशन है, लेकिन जब इस देश के प्रधान मंत्री हाथ में झाडू लेकर देश की सफाई की बात करते हैं, देश के कोने-कोने में गरीबों के लिए शौचालय बनाने की बात करते हैं तो उस पर भी कई बार प्रश्न-चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रधान मंत्री जी सफाई से लेकर अच्छे स्वास्थ्य तक के लिए चिंतित हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल इस सरकार ने की है, जिसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए।

यहीं नहीं, जो नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, वे भी 52 प्रतिशत हैं और 60 प्रतिशत मौतें नॉन-कम्युनिकेबिल डिजीजेज के कारण होती हैं। चिंताजनक बात यह है कि जो मधुमेह की बीमारी है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, लगभग साढ़े छ: करोड़ हिन्दुस्तानियों में उसे पाया गया है। ये वे आंकड़े हैं जो डायगनॉज आधारित हैं और जो अभी तक डॉयगनॉज नहीं किये गये हैं, उसकी भी एक बड़ी तादाद है। इसके कारण क्या हैं और यह जो नॉन-कम्युनिकेबिल डिजीजेज हैं, इनका कितना बोझ आने वाले वर्षों में हमारे ऊपर पड़ने वाला है। यह भी चिंताजनक बात है।

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक 6.2 ट्रिलियन डॉलर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, यानी लगभग 6 लाख करोड़ डॉलर का प्रभाव पड़ेगा। हमारी जी.डी.पी. का तीन गुना ज्यादा पड़ेगा और यह हम सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन एक और बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि जहां हम ब्रिक्स नेशन्स में बाकी देशों के बराबर अपने आपको देखते हैं, वहीं पर भारत बहुत पीछे रह जाता है। जब हम लाइफ एक्सपैक्टेंसी, आई.एम.आर., एम.एम.आर., अंडर फाइव मॉर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, इन पैरामीटर्स में भी हम पीछे हैं। यहां तक कि जो बच्चे जिनके कु-पोषण की बात करें या जिनकी आयु के हिसाब से उनका वजन कम है, 5 साल से जो कम उम्र के हैं, उसमें तो हम सब-सहारन-अफ्रीका से भी पीछे रहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं हमारी आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं और हमें इस पर चिंता करने की आवश्यकता है।

बांग्लादेश को जहां पर हम जी.डी.पी. ग्रोथ रेट में अपने बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मापदंडों में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में वे हमसे आगे हैं। जहां तक हैल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की बात हिन्दुस्तान में की जाए, वहां भी भारत और इंडिया का जो अंतर है, जो हुक्मदेव जी कई बार कहते हैं, वह अंतर देखने को मिलता है। There is a strong bias between rural India and urban India. 80 प्रतिशत डॉक्टर और 75 प्रतिशत डिस्पेंसरी और 60 प्रतिशत अस्पताल केवल शहरों में हैं, लेकिन 70 फीसदी

आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। शायद इसीलिए जो माइग्रेशन है, वह गांव से शहर की ओर ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां आज भी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी है। क्या कारण है कि कई सरकारें जो राज्यों में डॉक्टर्स की नियुक्ति करना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी रहती है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में भी लम्बे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इनका अपना अनुभव है। उस समय भी हमारी सरकार के समय में प्रयास किये गये कि ज्यादा इंसेंटिव्स देकर, ज्यादा डॉक्टर्स को यहां पर बुलाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। हमें इंसेटिव देने का लाभ मिला लेकिन हमारी जितनी अपेक्षायें थी उतना लाभ नहीं मिला। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल कर ऐसे कौन-से कदम उठाना चाहती है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके, ऐसे आप कौन-से इंसेंटिव देने वाले हैं? As per recent studies, there is a high shortfall of doctors, specialists and surgeons. उसमें 83.4 प्रतिशत सर्जन की कमी है, 76.3 प्रतिशत गाइनोकोलॉजिस्ट की कमी है और 83 प्रतिशत फिजिशियंस और 82.1 प्रतिशत पेडीट्रिशियंस की कमी है। गांव और शहरों में स्वास्थ्य केन्द्रों को लेकर भी असमानता है। हेल्थ इंस्टिट्यूशंस में जो आउटकम है, उसमें भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अतर है, एक शहर से दूसरे शहर में अंतर है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अंतर है। क्योंकि इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि केवल बिल्डिंग ही नहीं बल्कि उसमें कितने सारे डॉक्टर्स, नर्सेज एवं मेडिकल प्रैक्टिसनर्स हैं। इसी वैरिएशन के कारण यह लगातार पूरे देश में देखने को मिलता है।

जब हम इंफैंट मोर्टलिटी रेट की बात करते हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार इसमें प्रयास हुआ है, यह 58 से कम होते-होते 38 पर आया है। केरल में यह केवल 12 है, वहीं कई बड़े राज्यों में यह 52 और 54 तक है। राज्य की सरकारें इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं? क्या नवजात शिशुओं को बचाने की जिम्मेदारी उन सभी की नहीं बनती है? स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास किये गये हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जिनको बीमारू श्रेणी में रखा जाता है, जैसे ओड़िशा, यूपी, बिहार या छत्तीसगढ़ हो। अभी टीवी पर एक विडियो दिखाया गया कि एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु ओडिशा में हो गयी, वह अपनी पत्नी को कंधे पर उठा कर घर ले जा रहा है। आखिर हम ऐसी व्यवस्था भी न कर पायें कि एक व्यक्ति अपने परिवार के मृतक शरीर को अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहा है, हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। कोई भी राज्य हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो,...(व्यवधान) इसका बड़ा कारण यह है कि हमारी ओर से स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च किया जाता है। यह पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। वर्ष 2009 से 2016 तक इस पर हमारी जीडीपी का

मात्र 1.3 फीसदी खर्च होता रहा है, लेकिन वर्ष 2017-18 के बजट में बजट का 2.2 फीसदी पैसा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2016-17 के रिजवाइज्ड एस्टिमेट से 23 प्रतिशत ज्यादा पैसा इस बार के बजट में हमारी सरकार ने रखा है, उसके लिए मैं मोदी सरकार के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने 48,853 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए रखा है, लेकिन यह अभी भी कम है। चीन में इस पर 3.1 फीसदी खर्च किया जाता है, ब्राजील में 4.7 फीसदी खर्च किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमने वर्ष 2025 में इस पर ढाई प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है लेकिन यह उस समय के लिए कम है। अगर देश की विकास दर ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो हम इसके लिए ज्यादा खर्च नहीं कर पायेंगे, इसलिए देश का विकास जरूरी है। अगर देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और जनता को स्वस्थ रखना है तो हमारी जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए। हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य विभाग पर खर्च हो, हमें ऐसा भी प्रयास करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ खराब चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए पहले की सरकार और आज की सरकार को क्रेडिट देना आवश्यक है। We have eradicated small pox and Guinea worm; WHO has declared India polio free and free of maternal and neo-natal tetanus; the spread of HIV AIDS has been contained; life expectancy has gone up from 32 years in 1950 to 67 years in 2014. वर्ष 1950 में जहां केवल 32 साल की जीवन आयु की बात सोचते थे, आज 67 साल जीवन आयु की सीमा है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस दिशा में काम हुआ है, लेकिन इस बारे में भी मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि our focus has been on the literacy rate rather than the quality of education. साक्षरता की ओर हमारा ध्यान ज्यादा रहा है और गुणात्मक शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान कम रहा है। क्या यहां भी हम मृत्यु दर को कम करने के लिए काम कर रहे हैं या हम असल में स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन देने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि इस संबंध में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है।

महोदया, हम देख सकते हैं कि देश में कुपोषित बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं। जब मैं सब-सहारन अफ्रीका की बात करता हूं कि हम उससे पीछे रह जाएं, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं चाहे वह व्यस्क हों या बच्चे हों, मोटापे की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या हमारी जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी है कि एक ओर हम कुपोषण का शिकार हैं और दूसरी तरफ मोटापे का शिकार हैं। एक तरफ हम शुगर या हार्ट अटैक से मर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग भूख के कारण मर रहे हैं। इस विषय पर इसलिए चिंता और चर्चा

करने की जरूरत है, क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य विभाग से ही संबंधित नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को एचआरडी मिनिस्ट्री, स्किल मंत्रालय, इंडस्ट्री आदि विभागों से भी बात करनी चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली में कैसे बदलाव लेकर आएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करें। हमें खेल से लेकर स्वास्थ्य के बारे में आम जनता को जागरुक करने की जरूरत है, ताकि सभी लोगों को स्वस्थ और सफल जीने में सक्षम कर सकें। मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्रालय इस दिशा में कोई क़दम उठाने वाला है?

महोदया, मैं युवा होने के नाते कहना चाहता हूं कि एचआईवी, एड्स विषय को लेकर पिछले आठ वर्षों से हमने नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन में काम किया है। देश के सांसदों ने लोगों के बीच जाकर जागरुकता अभियान चलाया है। मालन्यूट्रीशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। सुप्रिया सुले जी, शाहनवाज हुसैन जी, सचिन पायलट जी, जयपांडा जी, कलिकेश जैसे कई युवा सांसदों ने 14वीं-15वीं लोक सभा में हमने आपस में एक ग्रुप बनाया, कुपोषण विषय पर हमने कुछ और लोगों के साथ बैठकें करनी शुरू कीं तथा एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लेकर आए, ताकि कुपोषित बच्चों के लिए किस तरह से हम काम कर सकें और उस समय की सरकार और अब की सरकार ने उस विषय में काम किया, क्योंकि सांसदों ने दो क़दम आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था।

मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा है कि टी.बी. मुक्त भारत वर्ष 2025 तक हो, इसके लिए भी भारतीय सांसद आठ अप्रैल को बालीवुड की टीम के साथ क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं, ताकि एक जागरुकता अभियान पूरे देश में चलाया जा सके और भारत को टी.बी. मुक्त किया जा सके। इसके लिए भी हम आपका सहयोग चाहेंगे। अमिताभ बच्चन जी ने इस बारे में ट्वीट किया है कि मैच होने वाला है। यदि इसके लिए सभी जागरुकता फैला रहे हैं और आप भी अगर करें, तो इसका लाभ जागरुकता फैलाने में हम सभी को मिल पाएगा। महोदया, आज परिस्थिति यह है कि शहरों में ज्यादातर 80 प्रतिशत डॉक्टर, अस्पताल, डिस्पेंसरीज हैं, गांवों में नहीं है और कई जगह तो नीम-हकीम तथा वैध से इलाज कराना पड़ता है। कहीं न कहीं शहर और गांव के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है, इस खाई को कम करने की जरूरत है। अर्बनाइजेशन के कारण माइग्रेशन होता है और उसमें लोगों का दर्द देखने को मिलता है। दिल्ली वाले कहते हैं कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर आकर बसने शुरू हो गये, मुम्बई के लोग कहते हैं कि उत्तर भारतीय ज्यादा आने शुरू हो गये। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में होंगी, तो गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में कौन रहेगा। एक पढ़ा-लिखा नौजवान, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, वह डॉक्टर बनने के बाद भी गांवों में इसलिए नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। इसलिए हम उन

लोगों के लिए सुविधाएं दें, इंसेंटिव्स दें, ताकि वे वहाँ पर जाकर सेवाएं दे सकें और गांवों में रहने वालों को भी उचित लाभ मिल सकें। दोनों चीजों को देखते हुए, हमें इसे एक इंसेंटिव बेस्ड कार्यक्रम बनाने की जरूरत है।

आज भी आठ करोड़ ऐसे परिवार हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हर वर्ष लगभग पाँच करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे आने का एक बड़ा कारण यह है कि जब उनको किसी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार कराने के लिए जाना पड़ता है, तो डॉक्टर पहले कहता है कि आप फीस जमा कराओ, तो आपका इलाज किया जाएगा, नहीं तो इलाज नहीं किया जाएगा। उस गरीब असहाय व्यक्ति का क्या कसूर है, जो अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता है, दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है और जब वह इलाज कराने जाता है, तो उसे उसके राज्य में और यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर बहुत-से सांसद हैं, जिनका अधिकतर समय इसलिए जाता है और वे सदन में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्रों से लोग आते हैं कि एम्स में उनके लिए एक बेड मिल जाए। उनको बेड नहीं मिल पाता है और उनका जीवन चला जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। हम अपने आप को इतना असफल और असहाय महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्रों से व्यक्ति उम्मीद लेकर पूरी रात बस में बैठकर, ट्रेनों में दो-दो दिन बैठकर यह सोचकर देश की राजधानी में आते हैं कि यहाँ मेरा इलाज हो ही जाएगा और मैं तंदुरुस्त होकर वापस चला जाऊँगा। लेकिन कितने लोग स्वस्थ होकर वापस जाते हैं। मुझे लगता है कि अन्य सांसदों की भी यही समस्या होगी।

माननीय सदस्यगण : सभी के साथ यह समस्या है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: शायद यही कारण है कि बार-बार हर सेशन में यह दबाव आता है कि मेरे यहाँ या तो पीजीआई खुले या एम्स खुले। मैं अपने मित्र निशिकांत जी को देख रहा था, पिछले तीन वर्षों से अपने क्षेत्र में एम्स के लिए भाग-दौड़ कर रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार गुजरात और झारखण्ड को भी एम्स मिल गया है। वर्ष 2014 में, जब मैं सांसद बनकर आया, तो तीन महीने तक बहुत भाग-दौड़ की, ताकि सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के लिए एम्स ले लूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश में मेरे लोक सभा क्षेत्र में एम्स अस्पताल दिया। मेरे लिए उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि कुछ महीनों के बाद मेरे अपने प्रदेश से श्री नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन तीन वर्ष बीत गये और वह एम्स अस्पताल केवल कागजों में ही चल रहा है, वास्तविक रूप से वह नहीं चल पा रहा है।

इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का कोई कसूर नहीं है। राज्य सरकार की ओर से भूमि नहीं मिलना और उसका क्लियरेंस नहीं आना, उसके पीछे कारण हैं। यह केवल एक ही प्रोजेक्ट की बात नहीं है। चाहे

सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स अस्पताल हो, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए केन्द्र सरकार ने बजट में तीन-तीन बार प्रावधान कर दिया, लेकिन राज्य सरकारें सोयी रहेंगी, तो केन्द्र सरकार क्या करेगी? यह कहते हुए मुझे इसलिए दुख होता है क्योंकि शिमला, जो अंग्रेजों के समय समर कैपिटल मानी जाती थी, हमारे प्रदेश की उस राजधानी में आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। साल भर पहले वहाँ सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने की नौबत आ गयी, तो वह गन्दे पानी के कारण आयी थी। हम गरीबों की बात करते हैं, लेकिन एक प्रदेश की राजधानी में भी साफ पानी नहीं दिया जा सका। अंग्रेजों के समय से चलती हुई पानी की स्कीम वहाँ आज भी चल रही है। इस चर्चा के दौरान मैंने पहला शब्द कहा कि इस चर्चा को राजनीतिक तौर पर न बांटे, मैं भी देश के सभी सांसदों और सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ विकास की बात आती है, जहाँ सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है, वहाँ पर राजनीति को पीछे छोड़कर राष्ट्र हित में हमें निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम कम से कम विकास में राजनीति न करें। वह अस्पताल न मेरे लिए बन रहा है, न ही किसी और के लिए बन रहा है। मैं कभी यह नहीं देखता हूँ कि कौन सी विचारधारा का कौन सा व्यक्ति मेरे पास अपनी एप्लीकेशन लेकर आया है। वह व्यक्ति गरीब है, जिसको मेरे माध्यम से सहायता चाहिए है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने अपने सहायता कोष के माध्यम से सैकड़ों लोगों का जीवन बचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

महोदया, 'यूनिवर्सल एक्सेस टू हैल्थ' के बारे में भी यहाँ कहा गया है। जेटली जी जी.एस.टी. बिल के विषय पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिल्टी के बारे में बहुत बड़ी बात कर रहे थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लोगों को कौन सी सुविधाएँ देना प्रैक्टिकल है। क्या हमारे देश में इतना पैसा है कि लोगों को यह सब दिया जा सके? हमारे यहाँ प्लानिंग की कमी है। क्या हम सिस्टम को अकाउंटेबल बना पा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके मंत्रालय को जितना पैसा दिया गया, मंत्रालय ने उतना पैसा खर्च किया है। इसी कारण से इस बार के बजट में इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें अभी भी बहुत ज्यादा वृद्धि की आवश्यकता है।

महोदया, केंद्र से जो पैसा जाता है, उस पैसे से बिल्डिंगें तो बन जाती हैं, लेकिन केंद्र की सरकार दूसरी जिम्मेदारियाँ राज्यों के ऊपर छोड़ देती है। केंद्र सरकार कहती है कि डॉक्टर, नर्स, कपाउंडर, मेल और फीमेल हैल्थ वर्कर राज्य अपने स्तर पर रख ले। राज्य ऐसा करने में विफल हो जाते हैं। केंद्र की बहुत सी योजनाएँ इसलिए विफल हो जाती हैं, क्योंकि केंद्र से पैसा जाने के बाद भी राज्य सरकारें उन योजनाओं में पैसा नहीं डाल पाती हैं। देश के हित में केंद्र और राज्य की सरकारें इकट्ठी होकर जी.एस.टी.

पर एक अहम निर्णय लेती हैं, तो क्या 'यूनिवर्सल एक्सेस टू हैल्थ' के लिए देश और प्रदेश की सरकारें इकट्ठी नहीं हो सकतीं हैं? क्या आधारभूत ढाँचा बनाने के साथ-साथ हम डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी जिम्मेदारियों को इकट्ठे होकर नहीं उठा सकते हैं?

महोदया, इकोनॉमिक सर्वे में 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' के बारे में कहा गया था। उस पर माननीय मंत्री जी का क्या विचार है? क्या सरकार इसकी ओर कोई विचार कर रही है? क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर व्यक्ति की कम से कम इतनी आमदनी हो, कि वह अपने पैसे से अपना हैल्थ इंश्योरेंस करवा सके ताकि जब वह किसी भी अस्पताल में जाए, तो इस देश में किसी डॉक्टर की इतनी हिम्मत न हो कि वह कहे कि पहले पैसा जमा कराओ, तब तुम्हारा इलाज करूँगा। इस दिशा में हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि पहले इलाज हो, पैसा बाद में आता रहे। यह सब करने के लिए हमें 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' की ओर जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज कितने लोगों का इंश्योरेंस है? 80 प्रतिशत लोगों का इंश्योरेंस नहीं है। 80 प्रतिशत वे लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।

महोदया, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन में 10 हजार रुपये डी.डी.टी. के छिड़काव के लिए दिए जाते थे। मुझे नहीं पता कि कितने सांसदों ने जाकर यह पूछा होगा कि कितनी पंचायतों में डी.डी.टी. का छिड़काव हुआ है। 'दिशा' की मीटिंग में जाकर यह अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बीमारियाँ पानी, हवा और गंदगी के कारण होती हैं। यदि हम आज भी नहीं जागेंगे और लोगों को जागरुक करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। हमें यह चिंता करनी चाहिए कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह खर्च भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 2022 में हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे और नड्डा जी अगले 5 वर्षों के बाद भी हैल्थ मिनिस्टर होंगे, तो अगले 5 वर्षों के लिए हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, उन्हें हम पूरा कर सकेंगे।

महोदया, 2022 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वे सबको सर ढकने के लिए छत देंगे। हमने सबको बिजली देने का जो संकल्प लिया था, हमने उसे भी पूरा किया है। निश्चित तौर पर हमें आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से युवा डॉक्टर्स हैं, जो विदेशों से पढ़कर आए हैं। उनके लिए यहाँ एक टैस्ट रखा जाता है, जिसको पास करने पर ही उनको नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। एक तरफ हजारों लोग डॉक्टरी की डिग्री लेकर खड़े हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो विदेशों से पढ़कर आए हैं, दूसरी ओर हजारों डॉक्टर्स की कमी है और हर लोक सभा क्षेत्र में है। क्या सरकार इस ओर देख रही है कि उनको ग्रामीण भारत में सेवा करने का मौका

दिया जाए और पांच वर्षों के बाद उनका अध्ययन किया जाए कि उन्होंने कितना अचछा काम किया ताकि उनको रेगुलर प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया जाए, क्या आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया जी, बहुत सारी स्कीम्स कागजों पर ही रह जाती हैं। नीचे लागू नहीं होती हैं। मैं सांसदों से भी पूछना चाहता हूं। ऐसा होता है कि हैल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम्स की इतनी लम्बी लिस्ट है, जब हम उसको मीटिंग्स में लेते हैं। कई सांसदों को अधिकतर स्कीम्स का पता भी नहीं चल पाता। दिशा से अलग भी हैं, मैं उसको दिशा के साथ ही लेता हूं। मैं सबसे पहले हैल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम्स को लेता हूं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि स्कीम्स की जानकारी नहीं मिल पाती, अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता नहीं हैं। लोगों को मुफ्त में इलाज के लिए जो कार्ड बने हैं, आप उसका आंकड़ा मंगवाकर देखें तो मात्र 10 फीसद लोग ही उसका लाभ उठा पाते हैं। वो भी अच्छे राज्यों में लाभ उठा पाते हैं। उस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने वाली है कि जागरूकता अभियान और अच्छा हो। मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपने टीकाकरण का काम शुरू किया। मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उसमें 5 प्रतिशत कवरेज ज्यादा हुई है, उसमें ढाई करोड़ से ज्यादा बेनीफीशियरी हैं। The Government has also introduced many new vaccines into the UIP such as the Inactivated Polio Vaccine, Japanese Encephalitis Vaccine and Measles Rubella Vaccine. ऐसे भी बहुत सारे प्रयास सरकार की ओर से किए गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका प्रभाव जमीन पर देखने को मिलता है। वह प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। जिसमें शिशु मृत्यु दर को कम करने में इस स्कीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसके लिए विभाग को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 3200 प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इसमें स्वयं को रजिस्टर्ड किया है। इसके अंतर्गत 11,000 से ज्यादा सुविधाएं मिल पायी हैं और 33 लाख एन्टी नेटल चेकअप इस पर कंडक्ट किए गए हैं। जिसके माध्यम से पहले गर्भवती महिला को 4 हजार रुपये मिलते थे, अब उस गर्भवती महिला को 6 हजार रुपये मिलते हैं। इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

नेशनल डायलैसिस सर्विसेज़ प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2016-17 के बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण की गई, क्योंकि देश में गरीब ऐसे थे, जिनको डायलैसिज़ की सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसमें हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, एक लाख से ज्यादा पेशेंट्स को इसका लाभ मिला है और 11 लाख डायलैसिज़ सैशन हुए हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह भी चाहता हूं कि आगे भी ऐसे कार्यों को किया जाए। स्टेंट की जो सुविधा थी, उसके जो प्राइसेज़ थे। अभी इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इसलिए

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। कि इस पर सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। पहले लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, आज वह ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट और बेयर मेटल स्टेंट केवल 29,600 रुपये और 7,260 रुपये में मिलता है। इसके लिए मै देश की गरीब जनता की ओर से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैडम, हमारे यहां पर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिल इंडस्ट्री है। हमारी लोक सभा की कॉमर्स कमेटी ने, जब माननीय शांता जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस कमेटी की रिपोर्ट में सारी पार्टी के सांसदों ने कहा है कि हमें डॉक्टर्स को यह कहना चाहिए कि वे जेनेरिक ड्रग को रिकमेंड करें, ताकि गरीब आदमी पर महंगी दवाई खरीदने का बोझ न पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे देश में व्यवस्था बनाई जाए और राज्य सरकारों से भी कहा जाए कि सभी डॉक्टर्स को कहा जाए कि वे जेनेरिक ड्रग को ज्यादा रिकमेंड करें, ताकि गरीब आदमी पर ज्यादा से ज्यादा बोझ न पड़े, उन पर कम से कम बोझ पड़े, उनको सस्ती दवाई मिल पाए।

हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं। एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रिडिएंट, जिसे ए.पी.आई. कहते हैं, वह साठ प्रतिशत हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारी सरकार ने इसमें एक प्रयास किया है कि यह भी अब यहीं पर बनाया जाए, ताकि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का अवसर मिले। बहुत सारी अनाउंसमैन्ट्स इस साल के बजट में की गई हैं। टी.बी. को एलिमिनेट करने से लेकर एक्शन प्लान, कालाजार, लेप्रोसी, मीजल्स जैसी बीमारियों को 2017 से 2020 के बीच में खत्म करने के लिए प्रयास और डेढ़ लाख हैल्थ सब-सैंटर्स को भी हैल्थ एंड वैलनैस सैंटर में ट्रांसफोर्म करना है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। पांच हजार पी.जी. की सीट्स को मैडिकल कोर्सेज के लिए प्रति वर्ष और ज्यादा क्रिएट करने की बात कही गई है, यह भी एक बड़ा कदम है।

महोदया, आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड की बात कही गई है, ताकि उससे सीनियर सिटीजन्स को भी लाभ मिल पाये। मुझे लगता है कि डाटा और टैक्नोलोजी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एक व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ उसका पूरा डाटा रखा जाए कि उसे क्या बीमारी है और उसका पूरा हैल्थ कार्ड रखा जाए तो देश के किसी भी कोने में वह जाए तो वह केवल अपना आधार नम्बर दे दे तो उसकी पूरी जानकारी जब उसे मिल जायेगी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में बैठकर कंप्यूटर लगा देंगे तो डिस्पेंसरी में बैठा एक व्यक्ति उसकी छोटी से लेकर बड़ी बीमारी को एम्स जैसे अस्पताल के डाक्टर के साथ जुड़कर ई-मैडिसन से लेकर उसका लाभ उठा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह ई-मैडिसन की तरफ ध्यान दें, ताकि उसका लाभ मिल सके।

नेशनल हैल्थ पालिसी, 2017 यह बहुत बड़ा विषय है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी पिछले एक-डेढ़ वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि नेशनल हैल्थ पालिसी आए और लम्बे इंतजार के बाद अब नेशनल हैल्थ पालिसी आई है और इसमें बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसमें हैल्थ सिस्टम के बारे में होलिस्टिक व्यू लिया गया है।

The Policy will help in achieving better health outcomes by ensuring accessible, affordable and quality healthcare to all. The Policy looks to increase access to care by expanding coverage to the under-privileged and under-served.

मोदी जी ने कहा था कि गरीब, असहाय की मेरी सरकार होगी, सबका साथ, सबका विकास होगा, अंत्योदय के बारे में सरकार सोचेगी तो सही मायने में अंत्योदय को दिमाग और लक्ष्य में रखकर इस हैल्थ पालिसी को बनाया गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने 28 प्रतिशत पैसा जी.डी.पी. में 2025 तक खर्च करने की बात कही है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। Free drugs, diagnostics and emergency services would be provided to all in public hospitals. यह एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जब तक यह नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्राइमरी हैल्थ सैटर्स की ओर सरकार ने जो फोकस किया है कि दो-तिहाई पैसा वहां पर खर्च किया जायेगा तो मुझे लगता है कि जब सबसे पहले डायग्नोस होना शुरू हो जायेगा, उपचार प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स पर होना शुरू हो जायेगा तो उसका दबाव बड़े अस्पतालों पर भी कम पड़ेगा, यह भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।

The Policy also envisages coordinated action on seven priority areas for improving overall health. उसमें स्वच्छ भारत अभियान, balanced healthy diets and regular exercise, addressing issues of tobacco, alcohol and substance abuse यात्री सुरक्षा जो ट्रैफिक और रोड एक्सिडेंट्स के कारण मौतें होती हैं और निर्भया नारी, Action against gender violence, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, reduced stress and improved safety in workplace. हम सांसदों से ज्यादा कौन जानता है कि अगर काम का बोझ ज्यादा रहे तो गुस्से के कारण कितनी बीमारियां होती हैं। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए खेलों की अच्छी सुविधाएं यहां बनाई गई हैं। ...(व्यवधान) आप टूर्नामैन्ट में नहीं आईं, हमने बैडमिंटन में आपको बहुत मिस किया, लेकिन स्पीकर मैडम ने वहां पर हम सबके लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई है, उसके लिए मैं स्पीकर मैडम को धन्यवाद देता हूं। The idea is to create a social movement for health. हमें स्वस्थ नागरिक अभियान चलाने की

आवश्यकता है, ताकि स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो और स्वच्छ, स्वस्थ और आरोग्य भारत के लिए सरकार ने नेशनल हैल्थ पालिसी के माध्यम से यह अचीव करने का प्रयास किया है। Healthy people live longer and more productive lives and can contribute more to nation's prosperity. अगर हम स्वस्थ, तंदुरुस्त होंगे तो हमारा उतना ही योगदान इस राष्ट्र निर्माण में होगा।

16.00 hours

Helping the nation's citizens stay healthy, will help nation be healthy and grow healthy. ठीक ही कहा है कि Health is wealth. जब हमारे देश के 65 प्रतिशत लोग युवा हैं तो युवाओं को तो हमें और तंदरूस्त रखना होगा। माननीय मंत्री जी मैं यहाँ पर युवाओं की भागीदारी चाहूँगा। Youth being the largest stakeholder should be involved in creating more awareness about the National Health Policy; should be involved in leading a healthy lifestyle; should be involved in creating a new, healthy and strong India और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आज के युवाओं को यहाँ पर इसके लिए जोड़ा जाये। यह जो आपका अर्ली इन्टरवेंशन, timely intervention, timely screening, comprehensive health care के बारे में आपने कहा है और पॉलिसी बहुत क्लियरली कहती है, The shift from sickness to wellness, I think, it indicates very clearly what the intention is and I think, that is the right intention to tackle the challenges from HIV to TB and to help in managing chronical condition such as hypertension, diabetes and common cancers.

महोदया, यह इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो डायबिटीज और कार्डियो की बीमारी है, मधुमेह और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को हमें कैसे रोकना है, यह केवल स्वास्थ्य केन्द्रों से नहीं होगा, अच्छे लाइफ स्टाइल से इसे रोका जा सकता है। खेलों में भाग लेना, वातावरण प्रदूषित न हो, साफ पानी पीने को मिले, साफ वायु मिले, हमें इसकी ओर प्रयास करना है। मैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी और पीपीपी मॉडल की बात करता हूँ।...(व्यवधान) मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। हमने देखा है कि सीएसआर के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक कॉल दी कि देश के हर स्कूल में, जहाँ पर हमारी बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, वहाँ पर शौचालय बनें, एक वर्ष के अन्दर लाखों शौचालय बने, जो 70 सालों में नहीं बन पाये थे। देश की इंडस्ट्री का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री का भी उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे किसको लाभ मिला है, मेरी बहनों को लाभ मिला है। 5वीं

कक्षा के बाद अधिकतर लड़कियाँ इसलिए स्कूल जाना छोड़ देती थीं कि वहाँ शौचालयों की कमी होती थी। अधिकतर महिलाएँ इसलिए कम खाती और पीती हैं कि खुले में शौच में न जाना पड़े। इससे उनकी सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। जब शौचालय बन गये तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देखी गयी। साथ ही साथ जिन्हें एनिमिक कहते थे, जिनमें खून की कमी थी, आज उस आँकड़े में भी कमी आयी है, तो इसका बहुत बड़ा कारण शौचालयों का बनना और सैनिटेशन की सुविधाओं का है। इसलिए हमें लगता है कि स्वच्छ भारत के साथ-साथ स्वस्थ भारत की ओर भी देखना बहुत जरूरी है।

श्री करादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल) : ठाकुर साहब, जरा हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

महोदया, आयुर्वेद एवं नैचुरोपैथी के बारे में मैं मिनिस्टर साहब का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिएगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, मैं चाहता हूँ कि इन सबके बारे में माननीय मंत्री जी बतायें कि आखिर इनको अलग-अलग करके क्यों देखा जाता है। आप आयुष से लेकर, आशा वर्कर से लेकर डॉक्टर्स तक, इन सबके लिए एक समूचा प्लान बनाइए कि पीएचसी में कम से कम यह सुविधा होगी। डिस्पेन्सरी में यह सुविधा होगी। वहाँ पर इन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्स या बाकी अस्पतालों के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि जो मरीज वहाँ पर जायें, वह इंटरनेट पर ही उसे देखकर बता दे, बड़ा डॉक्टर अगर एम्स में बैठा है तो वह ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए डॉक्टर को बता सके कि इस मरीज का आप यह इलाज कर दीजिए। क्या इस दिशा में सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से भविष्य में कुछ करने वाली है? जो डब्ल्यू.एच.ओ. के नॉर्म्स हैं कि 23 हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज और मिड वाइफ्स होनी चाहिए दस हजार की पॉपुलेशन पर, हम उसमें बहुत पीछे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करने वाले हैं, क्या इसके लिए कोई प्लान है? पिछली सरकार ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए 3.5 साल का मेडिकल कोर्स चला दो, क्या उस पर कुछ हुआ, चार साल का कोर्स चला दो, क्या उस पर कुछ हुआ? नीट की बात उस दिन डॉ0 संजय जायसवाल जी ने कही, मैं तो कहता हूँ कि उसमें भी जूडिशियरी ने इन्टरफेयर कर दिया। सरकार से पहले जूडिशियल इन्टर्वेशन क्यों हो? क्या हम पीछे रह जाते हैं? मैडम,

जिन मेडिकल कॉलेजों को सैंक्शन दी गयी, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और कई टी.वी. चैनल्स ने भी दिखाया कि उनमें स्टिंग ऑपरेशन हुए कि उनको मान्यता दे दी गयी एक एडहॉक कमेटी के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा बनाई गयी। वहां पर न फर्नीचर है, न डॉक्टर है, न कुछ है और उनको मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति दे दी गयी। किस तरह के डॉक्टर्स वहां से बन कर निकलेंगे? रिटायर्ड जजेज़ की जो कमेटी बनाई गयी,

क्या उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्या सोच कर यह निर्णय लिया? उसमें कोई धांधली हुई, करप्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ, क्या उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा? क्या मीडिया भी इसके बारे में लिखने से डरता है कि एक रिटायर्ड जज की कमेटी है, इसके बारे में सोचना चाहिए? इसके ऊपर बड़े-बड़े आरोप लगे हैं।...(व्यवधान)

न्यू इंडिया के अन्दर सरकार की जो नई हेल्थ पॉलिसी है, वह बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मैं तो यही कहूंगा कि जो 'हाइज़ीन और सैनिट्री कंडीशंस' हैं और 'पर्यावरण', स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। प्रधान मंत्री जी के इसी सोच के साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो डिजीटल मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कृपया आप उसे 'आधार' के साथ जोड़िए। युवा पीढ़ी को भी इसके जागरूकता अभियान के साथ जोड़िए। क्या हम अपने स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक चेकलिस्ट दे सकते हैं, जहां पर विद्यार्थी साफ-सफाई और हेल्दी लाइफ स्टाइल से जीने की अपनी जानकारियां वहां पर रख सकें। इसके अलावा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या हम इसे केवल सरकारों तक सीमित न करके, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी लें, चुने हुए पंचायत के प्रधान से लेकर, मां-बाप और एक डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी ले? हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी ले कि जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं कर पाए, वह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में करेंगे। वर्ष 2030 में भारत वह कर के दुनिया के बाकी देशों को दिखाएगा कि हम किसी से कम नहीं हैं।

मैडम, आपने इतना लम्बा समय इस पर बोलने के लिए दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अपना-अपना काम करके भी दिखाइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, अन्त में मैं यही कहूंगा कि महाराष्ट्र और देश के कई कोनों में डॉक्टर्स पर जो हमले हुए, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया डॉक्टर्स पर हमला न करें। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए। उनके ऊपर इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि वे एक बजे खाना खाने के बजाए चार बजे खाना खाने जाते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को दर्ज़ा दिया जाता है और प्रधान मंत्री जी के बाद हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी को दर्ज़ा दिया जाता है। आपकी जिम्मेदारी जो हमने आज़ादी के 75 वर्षों तक, सन् 2022 तक लगाई है, वह आप वर्ष 2022 तक अगले पांच वर्षों में देश के लिए क्या-क्या और करने वाले हैं?...(व्यवधान) केवल आधारभूत ढांचा ही नहीं बनाकर देना, बल्कि टी.वी. और एड्स की दवाई को अगर बीच में ब्रेक लग जाए तो मल्टी ड्रग रेसिस्टैंट का प्रभाव और पड़ता है, इसलिए उन दवाइयों की कमी न आए। इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इसमें बजट की कमी न हो।

मैडम, हमारे देश में एंटीबायोटिक्स हर दुकान पर ऐसे मिलती है कि कोई भी खा सकता है। यह जो सुपरबग्स और ड्रग रेसिस्टैंट बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, 'राइज़-ऑफ-सुपरबग्स एण्ड एंटीबायोटिक्स रेसिस्टैंट' की जो हम बात करते हैं तो इस पर सरकार क्या करने वाली है, आपकी क्या नीति है? बाकी देशों में एंटीबायोटिक्स ऐसे ही नहीं दी जाती। यहां पर तो कोई भी चला जाए, किसी को भी मिल जाती है। इस पर आप क्या रोकथाम लगाएंगे ताकि शरीर कम से कम इस लायक तो न बने कि कल उसके ऊपर वह काम ही न करे।

अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मुद्दा है। ऑर्गन डोनेशन की बहुत जरूरत है। मैं अपनी ओर से अंगदान करने के लिए तैयार हूं। मैं आप सब को भी कहता हूं कि आप भी अंगदान करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी कई और लोगों को जीने का अवसर मिले।...(व्यवधान)

मैडम, एम.एम.आर. में भी हम लोग 167 नम्बर पर आए हैं। यह कुछ राज्यों के कारण हुआ है, जो 15 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने किया है। जो बाकी राज्य पीछे रह गए हैं, हर साल उनका डाटा लिया जाए, ताकि वे इसे कर सकें।

मैडम, आपने इस पर बोलने के लिए लम्बा समय दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सरकार की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का लाभ हर भारतीय, हर राज्य उठाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल - 2030 का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे।

आपका बहुत-बहुत आभार है, क्योंकि आपने इस विषय को लेकर चर्चा भी करवाई और सरकार को जवाबदेह भी किया कि हमें वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त करना है। इससे पहले जब वर्ष 2022 में आजादी का 75वां वर्ष होगा तो इस अवसर पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहीं सभा पटल पर जानकारी देंगे कि किस तरह से हमारी सरकार और राज्य की सरकारों ने मिलकर सस्टेनेब्ल डेवलपमेंट गोल्स में उचित कदम उठाया है।

मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया है। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Today we have witnessed that the Discussion under Rule 193 on Sustainable Development Goals has virtually been initiated by you, Madam Speaker. So, it is a new precedent. We are all enthused by your emotional appeal to all the Members of this House.

On 14th March, 2017 one Question was asked in this House. In the reply it has been stated that a study titled 'Measuring the Health Related Sustainable Development Goals in 188 countries : A Baseline Analysis from the Global Burden on Health Study 2015' published recently in the Lancet placed India in 143rd position below Syria and Iraq. The Study provides an analysis of 33 health related Sustainable Development Goal indicators. That means the Government has acknowledged the fact that we are seriously lagging behind the objective of Sustainable Development Goal.

Madam, you have exhorted us to dwell on this issue dispassionately. I am not here to heap the blame upon this Government or that Government. But from the statement it has been established that we are lagging even behind the war-ravaged Iraq and Syria. The entire world knows the cruelty and the devastation that is being perpetrated by the *jihadists* and by various other forces resulting in the death and depredation of those two countries. However, they are ahead of us. It is really a disgraceful fact which we are observing that one out of two children is anemic, one out of two children is malnourished and under-weight and one out of five children is wasted.

The Delhi Declaration was signed by Secretaries of Health of States, UTs wherein they committed to work collaboratively towards achievement of the SDG -3 acknowledging that health and well being are core pillars of happier society, economic growth and sustainable development. That means already the Government has taken initiative to achieve this SDG. All the stakeholders have been included in this Mission. We have already negotiated the Millennium Development Goals. Now, we have been undergoing the phase of Sustainable

Development Goals which has fixed 17 targets. Out of 17 targets, here we have singled out Goal No. 3, that is to ensure health and well-being.

According to the latest Sample Registration System Statistical Report released by the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, under five mortality rate of India was 43 in 2015 indicating thereby that the country was very close to achieving under five mortality rate. That means everything is not adverse to us. We are also progressing towards the objective. However, we have to navigate miles after miles to reach the destination. In the answer, it has also been mentioned that the total health expenditure as a percentage of GDP is 4.02 per cent, Government's health expenditure as a percentage of GDP is 1.15 per cent, out of pocket health expenditure as a percentage of total health expenditure is 64.20 per cent, which is quite untenable, and the Government's health expenditure as a percentage of total health expenditure is 28.6 per cent.

हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हेल्थ की चर्चा करें। हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सबके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। We are all aware of diabetes, cardiovascular diseases, TB etc. A number of issues have been raised by my esteemed colleague, Shri Anurag Singh Thakur. He has raised various pertinent points and I must appreciate his observations in this House.

But, Madam, have you ever heard that India is a country which has been suffering from sleep deprivation? Yes, 93 per cent of our population has been suffering from sleep deprivation. So this is a new phenomenon which we have to confront in future. Due to this sleep deprivation, various diseases are caused namely, diabetes, Alzheimer's disease, cardiovascular diseases, cancer, obesity, mental health etc. Children need 9 to 11 hours sleep, teenagers need 8 to 10 hours sleep, and adults need 7 to 9 hours sleep. This is a new situation which we are facing. So we have to innovate ourselves, we have to explore various innovative approaches in order to reach the goal.

16.18 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

Madam, it is stated that to achieve the goal, we need Rs. 55 lakh crore. A number of issues are related with Goal 3 which mentions about reducing maternal mortality and preventable deaths of new-born and children under five years of age, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria by 2030, because Sustainable Development Goals are set to achieve the objectives, as has been fixed, within a duration of 15 years, that is, by 2030 we have to achieve 17 Goals. Out of them, one is, strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse, harmful abuse of alcohol, and halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents by 2030.

Madam, today, we are registering the death due to road accidents to the alarming number of 1,50,000. It has to be reduced by half. It is a very strenuous job that has to be done by this Government.

Madam, the Goals say:

"By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care "

"Achieve universal health coverage."

"By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water soil pollution and contamination "

"Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries. "

"Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases. "

"Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries. "

> "Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks "

Madam, first of all, I would appeal to this Government. As the earlier national Government had taken the initiative for offering the constitutional right to the people of India, and a number of Acts were conceived and implemented under various nomenclatures, such as 'Right to Food', 'Right to Education', 'Right to Information', and 'Right to Work', in the same way, I would demand that the Government should come forward with a legislation, which may be called 'Right to Health'. That means, 'Right to Health' should be given a constitutional status, a Fundamental Right, to all the people of our country. I think, that will be a great initiative to achieve the desired goals.

Madam, the health outcomes of India have made a substantial progress over the last two decades with improvement in living conditions, public health interventions, progress in medical healthcare. There is no dispute of it. But despite this progress, the health indicators are far from desirable benchmark.

Life expectancy as was stated by Anurag-ji, has been raised to 67 years. However, it is 14 years lower than OECD average of 80.2 years. India's infant mortality rate at 43.2 deaths per 1,000 life birth in 2012 still lags behind the average of low and middle income countries at 33 per 1,000 in 2015.

Healthcare infrastructure and system form a foundational basis for access to and availability of healthcare services for all. The availability of healthcare facilities in India is comparatively much lower. Bed and population ratio is meager 1:1000. In the developed nations, it is 7:1000.

Similarly, the number of allopathic doctors, nurses, midwifes in India is less than quarter of the World Health Organisation Benchmark.

Madam, according to the facility survey conducted by the International Institute of Population Science, the healthcare spending in India accounts for five per cent of the country's GDP, of which public spending is around one per cent of GDP. Public expenditure on health accounts for 33 per cent of the total health

expenditure in the country. Only a few countries have such lower ratios of public to total expenditure on health. The word's average is 63 per cent, and even the average of Sub-Saharan Africa is 45 per cent. It has clearly exposed the lacunae and deficiencies of our health management system.

Madam, India need to increase the health index, which includes health check up of population, quality of healthcare institution and financial instrument for access to healthcare. Health outcomes of population are closely linked with the access to an availability of nutritional food, – Madam, you are also a doctor; you are well versed with this issue – clean drinking water, healthy and hygienic environment. What I would like to mention is that Goal 3, which is related to health, is, therefore, closely related to India's position of food security, water and sanitation for all and green infrastructure system that is under Goal 6, Goal 11, Goal 2, Goal 12, Goal 13, Goal 14 and Goal 15. All are to be kept abreast with the progress of the healthcare system. Therefore, we need a holistic approach and we need a comprehensive mechanism in order to reach the destination.

Madam, here we know that in our country there is a severe shortage of doctors. It has been mentioned by my colleague also. मैं बंगाल से आता हूं, आज बंगाल में डॉक्टर और मरीज के बीच अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है। महाराष्ट्र में डॉक्टर के ऊपर हमला करना सही नहीं है, इसे मैं भी मानता हूं लेकिन आज A section of this fraternity has become so indifferent, so casual or so supercilious to the plight of the patients that sometimes patients or their families used to get agitated.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There may be exception. All doctors are not the same.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, I have mentioned it by saying 'A section of'. That is why I told: "I section of doctors." हम इन्सेन्टिव दें या क्या करें, यह अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स से हमें कहना पड़ेगा, We have to say to our doctors that you have to pay back something to the society. डॉक्टर को हम लोग अपनी जेब से पैसा निकाल कर शिक्षा देते हैं, सब्सिडाइज्ड रेट में डॉक्टर लोग डॉक्टर बनते हैं। इसका

मतलब हुआ कि आम लोगों की जेब के पैसे से डॉक्टर डॉक्टर बनते हैं। जब डॉक्टरी पास कर जाते हैं तो ओथ ऑफ हिप्पोक्रेट्स लेते हैं।

HON. CHAIRPERSON: They have no right to take leave in the hospital. Do you know that?

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, I am not criticizing you. ओथ ऑफ हिप्पोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? आम लोगों को सर्विस देना, लेकिन डॉक्टर कॉलेज से निकलने के बाद सब खो देते हैं और धंधा शुरू कर देते हैं।

HON. CHAIRPERSON: They have been permitted to do the private practice. They have been allowed and that is why they are doing the private practice.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: My colleague Anuraj Thakur ji has also said that in our society doctors are considered as a demi God. डेमी गॉड से हम लोग कुछ उम्मीद रखते हैं लेकिन डेमी गॉड हमें कुचलना शुरू कर दें तो हम कहां जाएंगे। आप कहते हैं कि I have simply mentioned my friend's observation.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: एक उदाहरण विधान चन्द्र राय जी का भी है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रति दिन दो घंटे बगैर कोई पैसा लिए लोगों का उपचार करते थे। ऐसे डॉक्टर भी रहे हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं वही कह रहा हूं कि एक सैक्शन ऑफ डॉक्टर हैं। मैं फ्रेटर्निटी के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं कह रहा हूं कि सैक्शन ऑफ डॉक्टर सारे फ्रेटर्निटी को खराब कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स सभी फ्रेटर्निटी की छवि धूमिल कर देते हैं। अभी आप स्टेंट के बारे में कह रहे थे। स्टेंट मरीज के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, लेकिन डॉक्टर्स अगर एन्जियोप्लास्टी करने लगें, दूसरे खर्चे भी उसमें जोड़ने लगें, तो यह स्टेंट लगाना बेकार हो जायेगा। इन सब चीजों के मद्देनजर ही हमें अपनी पालिसी तैयार करनी चाहिए। जैसे मैंने स्लीप डिप्राइवेशन के बारे में कहा। आज हिन्दुस्तान में एयर पॉल्यूशन की वजह से एक बड़ा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज लेनी पड़ती है।

Madam, 1.1 million deaths happen in India as estimated by US-based Health Effect Institute. The rate of increase in early deaths in India is alarming. While early deaths due to PM 2.5 in China have increased by 17.2 per cent since 1990, in India these have increased by 48 per cent. Similarly – again I am referring

new phenomena Nadda *ji* – early deaths due to ozone in China have stabilised since 1990, but India has registered astounding 148 per cent increase highlighting the need for urgent action. Can you imagine that we are destined to be suffered by ozone, by air pollution in a mind-boggling way? In 1990, ozone related deaths in India were far less than in China. Today the country stands at 33 per cent higher than those recorded for China. India also recorded a faster rate of increase in ozone related deaths than China. On an average, cases of early deaths due to ozone rose by 20 per cent in India since 1990 as opposed to 0.50 per cent in China. Ozone deaths in India are 13 times higher than in Bangladesh and 21 times higher than in Pakistan. Population increase and aging are partly responsible for the increase in ozone related deaths in India. हमें अगले दिन सिर्फ हैल्थ ही नहीं, बल्कि पानी, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी आदि सबके मद्देनजर सोचना चाहिए। अगर अलग से हैल्थ को सिंगल आउट किया जाये, तो हमारा यह मकसद पूरा नहीं होगा।

Madam, I would like to refer to a few observations made by the Standing Committee on Health. The Standing Committee on Health has stated that India's health care is falling way below the global benchmark and the country is lagging behind on health goals such as maternal and infant mortality and is having a lowly ranking even than the developing countries on health care parameters. Our level of public spending on health is one of the lowest in the world which has further exacerbated the dismal state of health care sector. Despite of all key policy documents like the National Health Policy of 2002, the Draft National Health Policy of 2015, the 12th Five Year Plan and the Report of the High Level Expert Committee emphasising the need to reach 2.5 per cent of the GDP, India's total Government expenditure on health languishes at 1.15 per cent. As per the National Health Accounts, 2013-14, a rigorous estimate on health expenditure in the country is way less than the world average of 5.99 per cent. The squeeze of public finances has resulted in the appalling state of our health care system and has given birth to impoverishing out of pocket health care expenditure which is as

high as 64 per cent of the total health expenditure due to which about seven per cent population is pushed below poverty threshold every year.

इसका मतलब है कि सेहत ठीक कराने के लिए हमारे देश के लोग अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए मजबूर होते हैं, इसलिए 70 फीसदी लोग बीपीएल श्रेणी में चले जाते हैं, इसलिए फूड के लिए, अनाज के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, सभी के लिए सोचना पड़ेगा। मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी कम है, इसमें ग्रासरूट लेवल पर जो सर्विस है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश की 72 प्रतिशत आबादी अगर गांव में रहे तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम जानते हैं कि सारे डाक्टर्स अर्बन एरिया में रहना पसन्द करते हैं, इसलिए बेयर फुटेड डाक्टरी को लागू करने की मैं सलाह देता हूं। हम बेयर फुटेड डाक्टर्स को इस्तेमाल करें। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Will you go to a barefoot doctor for your treatment?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Yes, if it is effective, why not? If we resort to AYUSH, if we resort to Homeopathy, then why should not I resort to barefoot doctor? The health infrastructure in the rural India is basically dependent on the quackery.

Madam, is it right or wrong? Basically, rural India is largely dependent upon the quackery. So, quacks are ruling the roost in stead of doctors in the rural India. Quacks are ruling the roost. You cannot say anything against them because if you say, then the entire rural population will get agitated. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Quacks are working under a renowned doctor or physician in the rural area.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Committee observed that acceleration in economic growth by itself will not translate into higher public spending on health. The Government will also have to demonstrate a strong political will to value health as societal imperative for development and alter the Government health financing landscape in a fundamental way of providing a much larger resource envelope for health financing. If countries like Thailand and Brazil are close to achieving universal health coverage for their population, there

is no reason why India cannot accomplish this role. But for that to happen, the urgency of raising public health expenditure to 2.5 per cent should not be lost sight of. In this context, the Committee would like to draw the attention of the Government to its draft national health policy, 2015 which states that global evidence shows that unless a country spends at least five to six per cent of GDP on health and major part of it from Government expenditure, health care needs are seldom met. The Government should address this critical policy challenge of raising the Government health expenditure to 2.5 per cent of GDP and chalk out a solid roadmap for earmarking more financial resources for the health sector. हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का आधा हिस्सा सूबों के हाथ में है और आधा हिस्सा केन्द्र सरकार के हाथ में है। इसका मतलब है कि एक सबजेक्ट स्टेट लिस्ट में आ गया और दूसरा कनकरेंट लिस्ट में आ गया। इसलिए जब हम मंत्री जी से कुछ पूछते हैं तो वह कह देते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इसे स्टेट को देखना चाहिए और जब हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमें केन्द्र सरकार से पैसा नहीं दिया जाता है, अगर केन्द्र सरकार पैसे नहीं देगी तो हमारा काम कैसे होगा। हमारे लिए यह बहुत तकलीफ की बात है कि इन सारे चक्करों में घूमते हुए आम लोगों की परेशानियां दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इसलिए हमारे देश में नर्स, डाक्टर्स और हॉस्पिटल्स का रेशियो बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में डाक्टर्स को एक सर्विस के नाते, देश के लिए कुछ करने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। इसलिए सरकार को अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए कानून भी ला सकती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि यह कोई ड्रैकोनियन कानून हो।

मैं चाहता हूं कि कोई कोअर्सिव पॉलिसी नहीं बल्कि परसुएसिव पॉलिसी अपनाये नहीं तो डॉक्टर्स खुद एजीटेट हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि परसुएसिव पॉलिसी अपनाते हुए हिन्दुस्तान के डॉक्टर को अगर गांव में भेजा जाए और गांवों को हम सर्विस देने में कामयाब रहे तो हम अपने sustainable डवलपमेंट के गोल को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी इंफेंट मॉरटेलिटी रेट कहिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहिए, इसमें हम काफी पीछे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार एक हॉलिस्टिक कदम उठाए।

नड्डा जी, एक कम्प्रीहेंसिव तर्ज पर इस विषय को संज्ञान में लेते हुए आप आगे चलिए। य़दि कोई खड्डा आता है तो लांघकर उस खड्डे को पार कर दीजिए। हम आपके साथ हैं।

'न संघर्ष, न तकलीफ, मजा क्या है जीने में,
बड़े-बड़े तूफान थम जाएंगे, सिर्फ आग लगा सीने में। '

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, we are discussing a Motion under rule 193 brought by Shri Anurag Thakur on Sustainable Development Goals—way forward for the health and wellbeing for all. We have already heard two speakers.

Before I begin, I must thank the hon. Speaker that she has been pursuing this issue of Sustainable Development Goals with persistence. Not only in Delhi but she had a Commonwealth Women MPs meeting at Jaipur in August, 2016 where this was highlighted. Then, again in Indore, she had an ASEAN Speakers' Summit in this year where she highlighted these sustainable development goals. So, here, through the intervention of the hon. Speaker, we have made progress.

Madam, you know the issue of sustainable development goals came up during the Presidentship of Jo Harlem Brundtland, the Norwegian Prime Minister who provided the definition of sustainable development that was used for the next 25 years. This intergenerational concept of sustainable development was adopted at the 1992 UN Conference on Environment and Development at Rio in 1992. The definition of sustainable development has evolved to capture a more holistic approach linking the three dimensions of sustainable development, economic development, social inclusion and environmental sustainability. This three-part vision of sustainable development was emphasized at the 2012 Rio+20 Conference. So, Rio Conference was in 1992 and Rio+20 Conference was in 2012.

I need not speak what are the 17 goals for sustainable development. They are, (1) no poverty, (2) zero hunger, (3) good health and well-being, which we discuss today, (4) quality education, (5) gender equality, (6) clean water and sanitation, (7) affordable and clean energy (8) decent work and economic growth, (9) industry and infrastructure, (10) reduced inequalities, etc.

You will notice that all the 17 goals are interlinked. For instance, the goal of good health and well-being is linked to clean water and sanitation. Even gender equality is linked to this. Unless women get equal attention in health matters, how

will maternal health improve? All this is linked again to economic growth. So, the point is to have a holistic view on the whole matter. That is why, it is necessary to discuss the goals at length.

Let us see as to how progress has been made in this matter. In child health, throughout the world, 17,000 fewer children die each day than in 1990 but more than 6 million children still die before their fifth birthday every year. So, around 60 lakh children are dying before their fifth birthday.

Maternal mortality has fallen by almost 50 per cent since 1990. In the Eastern Asia, Northern Africa and Southern Asia, maternal mortality has declined by about two-thirds. But, the proportion of mothers who still do not survive childbirth compared to those who do is still 14 times higher in under-developed regions than in the developed countries. Only half of women – we are talking of gender equality – in developing regions receive the recommended amount of health care. Lastly, the Maternal Mortality Rate (MMR) from 437 per lakh live births in 1991 came down to 167 in 2009. In 2009, 72 per cent deliveries were institutional. So, there has been a big progress.

The next big challenge to our health is HIV/AIDS. By 2014, there were 13.6 million people accessing antiretroviral therapy, which is an increase from just 800,000 in 2003. India has made significant strides in reducing the prevalence of HIV/AIDS across various high risk categories. Adult prevalence has come down from 0.45 per cent to 0.27 per cent in 2011. So, we have made progress in bringing down the number of those affected by HIV/AIDS.

HON. CHAIRPERSON: The number of new cases is 28 lakh.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I will give you the figure. The new HIV infections, in 2013, were estimated at 2.1 million which is about 38 per cent lower than in 2001. Newer cases are also coming down with antiretroviral therapy. At the end of 2013, around 2,40,000 children in India were infected with HIV through their parents.

Having said that, let us judge as to what are the big goals for 2030 for India. One goal for India and the world by 2030 is to reduce Global Maternal Maternity Rate to less than 70 per lakh child birth. The second goal, by 2030, is to end preventable deaths of newborns and children under-5 years of age. The third goal is to end the epidemic of AIDS, Tuberculosis, Malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases. To reduce one-third pre-mature mortality from non-communicable diseases is our next goal. One other target to achieve by 2030 is to strengthen the prevention and treatment of substance abuse including narcotic drug abuse and alcohol.

Another Sustainable Development Goal is to ensure universal access to sexual and reproductive healthcare services, including for family planning, information and education. Then, the target for 2030 is to achieve universal health coverage, including financial risk protection, strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases, substantially increasing health financing, to strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks.

Madam, I have more or less tabulated or formulated the big problems today. Healthcare is not about doctors only. Madam, I know that you are a reputed paediatrician yourself and a dedicated person, who still does a lot of *pro bono* work for poor children. We admire you for that. But as has been stated earlier, doctors are considered demi Gods by the patients and their relatives, but they do not act as demi Gods.

In India, especially in my State of West Bengal, 90 per cent of the people are still dependent on government hospitals and public healthcare. The big hospitals and nursing homes, like Apollo, Fortis, MAX, have all come up in big cities and they are money punching machines. They are not giving people

treatment; they are sucking money out of the system. Madam, you know that in West Bengal, the situation became so bad that there were several attacks on hospitals after patients died and huge bills were imposed on them. The West Bengal Government enacted a Clinical Establishment Act according to which there will be a commission to go into the bills raised by the hospitals. I think, it is very essential for the Government to keep a check on their bills. I ask Naddaji also. Delhi is the centre of the big fish of the medical industry. It is time that some control may be brought on them.

Still, in Delhi, people come from all over India to AIIMS or to Safdarjung Hospital. Such people constitute 90 per cent of the patients coming to these hospitals. You can see people lining up in AIIMS from 2.00 a.m. in the night just to get a ticket because most people cannot afford these big hospitals. They are only related to big hospitals if you say that you have got health insurance which allows you for cashless treatment. Then, your bill is raised. So, this is the condition of hospitals today. That is why, I feel that there should be prescribed some standard practices as to in which condition, what investigations can be done, whether a patient should be put on ventilator without any reason or whether a patient should be sent to ICU. A standard protocol should be devised to control this.

Madam, you know that we have discussed in this House how Government has controlled the prices of stents. The stents actually costing Rs. 40,000 were being charged at from Rs. 1.5 lakh to Rs. 2 lakh. Government has taken some steps to control that. You know that because of WTO regulations, price of drugs has gone up very much. We have to pay for the patent of the foreign drugs and they are abnormally costly. The Government has the Drug Prices Control Order. I want that to be implemented strictly so that the prices of drugs, especially those manufactured by multinationals, are suitably brought down.

HON. CHAIRPERSON: Now, we have very good pharmaceutical companies in our country.

PROF. SAUGATA ROY: Yes, we have Sun Pharma, Dr. Reddy's Laboratories … (*Interruptions*)

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Prof. Roy, already the prices have been brought down by this Government with the introduction of *Jan Aushadhi*. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: I do not know about Shri Narendra Modi, but there has been an effort by the Government to bring down drug prices, which I appreciate. … (*Interruptions*)

SHRI SHIVKUMAR UDASI: In the name of *Jan Aushadhi* the prices of drugs have come down as a result of the efforts of this Government. … (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is talking about generic medicines. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I will tell you. You are from West Bengal. You know about the main effort that the West Bengal Government has done in the field of medical treatment. Altogether, 100 Fair Price Medicine Shops have been opened in West Bengal where generic medicines are being distributed at 66 per cent lower cost.

HON. CHAIRPERSON: In some cases, it is up to 70 per cent.

PROF. SAUGATA ROY: Yes, Madam, you are very right. Madam, you also know that in West Bengal in the Government hospitals all treatment is free including renal transplantation, cardiovascular surgery and open-heart surgery. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot judge by seeing only one hospital.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Mr. Supriyo is a 'flying visitor' to Bengal. He does not belong to Bengal. He stays in Mumbai. He does not know the ground realities in Bengal. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, he has taken my name. So, I need to give the answer. … (*Interruptions*)

I would love to be a 'flying visitor' in West Bengal because it is important that someone from the Ruling Party gets a bird's eye view while flying from above. … (*Interruptions*) I get a bird's eye view of what exactly happening in West Bengal is. Whatever he is saying is half-true and not correct. … (*Interruptions*)

I thank you so much for allowing me to speak. He is a senior Member. I will not say anything else, but please do not call me a 'flying Member' because my voice probably rings in every house in Bengal, which *dada* also knows. My songs are there in his mobile as well. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: It is okay.

… (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: बाबुल जी की आवाज़ का इनको दर्द होता है, एक सांसद चुनकर आये हैं, तो आपको इतना दर्द है, यदि एक और बाबुल हो गया, तो बहुत भारी पड़ने वाले हैं।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: बाबुल जी की यह समस्या है कि बाबुल जी अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सातों विधान सभा क्षेत्र चुनाव में हार गये। कारपोरेशन के चुनाव में भी हार गये। वे ही ऊपर में रह गये और नीचे पूरा तृणमूल हो गया। ...(व्यवधान) मैं अनुराग जी से कहूँगा कि वे पश्चिम बंगाल में जाएं और वहाँ चुनाव लड़े।...(व्यवधान)

SHRI BABUL SUPRIYO : Madam, he has taken my name. I would love to have his comments go on record because what he is saying is absolutely right. If he has taken my name, then please allow me *dada* and if you could please sit down for a while. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: How many times should I yield? … (*Interruptions*)

SHRI BABUL SUPRIYO : No, you have taken my name and you have said certain things. So, please let me answer. I am a newcomer and if I make a mistake, then you can reprimand me. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Okay, answer to it.

SHRI BABUL SUPRIYO : Madam, what he has said is absolutely right. What I need to say is that taking a leaf out of what he said earlier that I am a 'flying Member' in West Bengal. It is a true fact that the … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: There are no 'true facts'. There are only facts. Let us correct the English.

SHRI BABUL SUPRIYO : No, taking a leaf out of what you just now said about hospitals, there are true facts and there are facts. So, I would just say that the seven Assemblies are definitely not with us, but I need to be a 'flying visitor' in West Bengal to get a bird's eye view to ensure that if I cannot get it, then I at least put in a very good fight and that is all that I am doing with every respect to him. I think that a man or a politician is defined by the fight he puts in against anything that he feels is wrong that is being done with him or with his Party. As long as I am a warrior, I do not mind being a bird because as a singer I have always been a bird and I have sung like a bird. Thank you so much.

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, now that the irrelevant talk is over, I can get back to the issue.

17.00 hours

Madam, now I will slowly conclude. One thing is that here in this House while pursuing Sustainable Development Goals let me condemn all attacks on doctors anywhere. Doctors are human beings. They are the ones who save us. They are humans, they make a mistake. But I do not believe that any doctor would let a patient die willingly.

What happened in Maharashtra, in Dhule, was that an orthopaedic surgeon was beaten up. He is fighting for his life. I wish for his quick recovery. In Bengal also, whenever such attacks happened, our Chief Minister has taken the strongest possible action. We are ready to pull up doctors and to punish doctors through legal means, not by these types of attacks.

Lastly, I will end with your father Dr. Gopal Das Nag who was also a high class GP. We are forgetting the concept of GP or the family doctor. Madam, nowadays, there are only specialists and super-specialists. There are no family doctors who advise a person on his health status. I think we need such people. In my childhood, I once went to see Dr. B C Roy for an ailment that I had with my father. You know what he prescribed? He said, "take a green coconut in the morning every day for a month, you will be cured". I was cured. Doctors those days were not greedy for prescribing costly medicines. Doctors like Dr. Bidhan Chandra Roy and your father prescribed simple medicines. They prescribed mixtures. Now, mixtures are altogether forgotten. They prescribed ways in which people could recover quickly without spending too much money. We need specialists and super-specialists, but not every disease needs a super-specialist.

Secondly, you know, there is an adage called 'prevention is better than cure'. It is necessary to educate people on health habits. When I was in the Ministry of Urban Development, we started a competition called 'handwashing competition'. There was just one simple thing that wash your hands before you eat which may prevent many diseases.

I have differences with the ruling party. Swachh Bharat Abhiyan that is preventing open defecation is one of the main sources of preventing diseases like hookworm and other diseases which have spread. So, we must pursue clean habits.

Lastly, I want to say one thing that women are neglected. You are a woman yourself. 65 per cent of women in India suffer from anaemia. Why does the Government not give them iron tablets like Fetol free of cost? That is something which is most essential. Our women are all anaemic. We have recently passed the Mental Health Bill. It was a debate in which you also participated, Madam.

HON. CHAIRPERSON: In the government hospitals, mothers are getting Ferric Acid tablet of 5mg, Folifer. In all the government hospitals, mothers are getting Ferrous Sulphate tablet of 5mg for free.

PROF. SAUGATA ROY: Fe3SO4.

HON. CHAIRPERSON: Folic Acid, Folifer.

PROF. SAUGATA ROY: Folic Acid is very iron rich.

HON. CHAIRPERSON: You cannot give Folic Acid to a thalassemic patient.

PROF. SAUGATA ROY: Then that is a problem. There is no cure to thalassemia.

HON. CHAIRPERSON: You cannot give iron to a thalassemic patient but they are supplying mixture of the iron and Folic Acid.

PROF. SAUGATA ROY: That you prescribe, Madam, as and when thalassemic patient comes to you.

Lastly, that day, the Health Minister while replying said that he was not in favour of psychotherapist. I do not think that. In villages, we find in every *mohalla*, there are some mad people and people with mental problems. What we need is to train the ASHA workers in curing mental health and in meeting mental health challenges. We need people with a healthy body and a healthy mind. Let it be our sustainable development goal.

HON. CHAIRPERSON: How many works they will do? They are already overburdened.

PROF. SAUGATA ROY: Asha workers should be given more work and more money. In West Bengal, all Asha workers have been given Rs. 500 rise by the State Government. Let the Centre give us more money and they will work more; we are prepared. You should give them some responsibility. You should make drugs cheap; you should make the hospitals approachable; and they should not be butcher houses where poor patients' families are murdered. Let us march towards a disease free, and healthy (physically and mentally) India.

With these words, I thank you for giving me the time.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, at the outset, first of all, I would like to express my gratitude to our most valuable colleague, Shri Anurag Singh Thakur, who has in the BAC, at least, for the past two years had been at it that we must discuss the Sustainable Development Goals (SDGs). SDG is a major issue. In a country like India where the population is burgeoning -- every year we see millions of children being born and thousands dying every day – his effort is extremely laudable. There are MPs like him, maybe, very few because others may not actually grasp all subjects, who are taking things very seriously. I thank you Anurag Ji for this effort of yours.

I thank Madam Speaker and the present Chair for your patience and Madam Speaker's persistence and support to Anurag Ji to bring about this Discussion under Rule 193 and make it a reality.

It is not that a lot of change will happen just because of all these talks that we are giving. My colleagues – senior colleagues, junior colleagues and respected colleagues – starting from Anurag Ji to the Congress speaker to Saugata Babu have given a lot of data. I would not like to delve into that again. We all, more or less, are aware of what the goals are pertaining to health sector in the SDG window and everybody knows how India has fallen far behind, apart from statistics and juggling of data -- which is now the domain of Anurag Ji's Party and nobody else dares to get into that and that is going to be your private limited property – in reality, at the ground level, we see that in the sector of health, India has not fared as successful or as well as all of us in this House would like it to do.

Now, there are many problems; there are some which are inherent, some which are our customs, our religion, our attitude to life and some which are man-made which have come into lifestyle over a period of time. For instance, I have seen and in my family I try to go against that, my son who is about 11 years old and goes to a school in Bhubaneswar, the pressure there on him is to study. His mother is in half a mind because all his other classmates are proud that somebody has come first, somebody has come second, or somebody has scored very high

marks. He does well in studies. But we also insist, since he likes basketball, since he likes roller-skating, we tell him, “You skip studies today. Go and play basketball.” I am surprised and I am happy that other kids in the school, seeing him, are telling their parents, ‘that let us go and play when they are under pressure to study.” It might be a little mischievous, but in some ways, I think it is good. We are not an outdoorsy race. Indians as such have never been outdoorsy. If we would have been outdoorsy, I would not be sitting in this air-conditioned Chamber of Lok Sabha the whole day expecting potbelly to grow. If I was in any western country or in the US, I would probably be taking my child mountain hiking, snow skiing, or mountain climbing, or doing something outdoorsy, which we do not do. That is an inherent customary or a custom or a societal drawback which we have to deal with. That is why, it was said, `all work and no play makes Sam Goodring Junior a sick person’. Go and google to know who is Sam Goodring. When we are not outdoorsy, we have other problems such as obesity, goitre.

Many middle Indians, in the middle ages, have stiff joints. That is because movement is extremely limited. So, ill-health settles in very early in life. You would not be bothered because you are a doctor. You see this happen every time, and you would be resisting to that. But I have to admit that it is a very sad thing that I am going to say now. All of us in this House - nobody should get angry with me - are going to die one day. It is a terrible news that I am breaking in this House. I beg pardon for that. Keeping that as the ultimate goal that all of us will die, what is our effort? Our effort is not only what kind of lifestyle that I lead, but what kind of a lifestyle I am able to offer to my people who look up to each one of us as an example. Have we failed as examples? Or we successes in examples?

It is not only giving out the MPLAD fund for community centres. It is not only cutting down thousands of trees to build highways because everybody talks about infrastructure.

17.13 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

This Government is so keen on economic reforms but Nadda *ji,* who has done yeoman's service - I mentioned about him once when he was not in the House – the kind of work that he, his Ministry and his Secretary has done, is something that needs praise.

Are we actually considering any laws for social change where children will not be burdened with too much of studies and they will have time to play? I went to a school in Pondicherry, Sri Aurobindo International Centre for Education. There, if we bunk the class, the teachers never reprimanded us; but if we bunk what was called `Group', which started at 4 pm, and it was physical activity till 6 pm, then, we were pulled up in school the next day. That was `physical activity', you cannot miss. So, we learnt swimming, we learnt hiking, we learnt football. We were not keen on `*memsahib ki* game' of cricket. So, medicine and healthcare is something that is evolving.

I remember when I was younger, there were people who used to tell us that if children have diarrhoea, do not give them water; if they have fever, do not give them rice. But today, the doctors tell us that if we have fever, the first thing to be done is this. We, who have progressed in age – I am not saying ageing – we ask them, what can I eat, and what can I not eat? What is that question? You can eat anything you like. Just take your medicines on time. So, medicine also, like all of us, is evolving.

Since our young colleagues are so worried, please remember one thing. Generic medicines which were started much earlier, I do not want to name a party that I never wish to blame, was something that a lot of people had high hopes on.

But, since the Modi Government has come to office, the stress on supply of generic medicines to States has gone down. Believe it or not, I am not making this a political issue. But, please go back to your constituencies, please check with Government hospitals where they have outlets for generic medicines, mostly none of the important medicines are available today. That is a sad part. I am not

reprimanding anybody; I am not pulling up anybody. I would insist the hon. Minister for Health that he should ensure that supply of generic medicines continue unabated and in full quantity to all the States that require it. Maybe, somewhere a commercial name, a pharmaceutical name and the corresponding generic name could be put up on a board where, if the doctors do not prescribe generic medicines, the educated patients at least can help somebody else that this is an alternative that one can purchase. Somewhere it could be done like that.

Now, all of us are aware about clandestine agreements being made with US pharma companies. The less said the better because US is US. … (*Interruptions*) He is aware about it. Those agreements are eventually going to cost us very dear. Medicine prices will go up and in about a year or so, we will see as to how, if we are alive, how negative these things will be.

I would like to address the question of population. I remember, during Emergency, there was the five point programme of the then Prime Minister's son, the late Sanjay Gandhi. … (*Interruptions*) I think, his history is messed up. He does not know.

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Yes, Sir. You are my inspiration. He had made family planning mandatory. As usual, like today also, we are passing laws. We do not know as to how they are going to be implemented at the ground level. Similarly, he might have had a good reason. I do not know. I do not vouchsafe for anybody. But what happened was that there was misuse, compulsion and forcible sterilization campaigns which were carried out. Where were they mostly? They were in Uttar Pradesh – where today, you cannot eat meat, you cannot have so many other things. That is what is of concern. What is of concern is that which puts scare in the minds of the average politician of India. When Shri Raj Narainji came as the Minister of Health defeating Shrimati Indira Gandhi, the first thing he did was to change the name of the Ministry of Health and Family Planning into the Ministry of Health and Family Welfare. So, what has 'welfare' led us to?

'Welfare' has led us to allow women to have 26 weeks of pregnancy leave after the second child, after the third child, and after the fourth child. That means, we are encouraging women of this country by force of their family or social pressures from their in-laws to have more children. By that, we are encouraging the growth of the population.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I have quite a few points to make. There is enough time. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go ahead.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I am a very nervous kind of a person and my heart starts beating harder when you say this. So, I will only request you that I will not take unnecessary time. I will quickly run through my points. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are wasting time in talking to them. Please address the Chair.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: I am talking to you. I heard it somewhere. I am getting distracted.

Sir, we are talking about cleanliness. The whole country was excited. Everybody in this House thought that this is a great move, that this is a move which all of us wanted. You do not have to go far, you do not have to go to Karnataka or to Odisha or to Kolkata. All you have to do is go four kilometres from the Parliament building near New Delhi Railway Station. That side or this side, no matter where you come out from, it is full of filth. I thought about it when I came by train month before last from Bhubaneswar.

I wondered what is wrong with our population! When a Prime Minister, such a beloved Prime Minister, so popular, so liked, is giving a call, why is society not responding to him? Is he not being heard by society? Is it somehow that they manipulate votes but the social acceptance is not there? Then I realised that the problem is very deep seated. The problem is, if I tell you to have a bath everyday

and then … (*Interruptions*) The problem is, if I tell somebody that you please come clean everyday when you come to Parliament and then I put a tax on him for his cleanliness, the common man's mindset says, 'I am paying. If I am paying, then it is your responsibility. You clean up this place."

It is a good move, it is a welcome move. On one hand we want that the country should develop but on the other hand by putting a tax, by putting a cess on Swachh Bharat we are also giving out a message, a very subterfuge message, that it is not necessary for you to do anything, the Government will do something. …(*Interruptions*) This is not criticism. I am not criticizing anybody. I am talking about a flawed mindset.

Similarly, in my Constituency I see how NTPC is creating toilets. I am naming the company. I went to some of the rural areas. One of my voters, an old lady, had a toilet built in her backyard by NTPC. The lady had gone to use it and when she got up, because she is old she put her hand on one of the walls. Those are like little cubicles. She put her hand on the wall, that wall collapsed and the lady fell, the wall on the other side fell on her, and she was hospitalized for two months because she was such an old lady. This is not a general thing.

When we started we said we will give them Rs.9,500, then we said we will give them Rs.12,000 per toilet. And when we saw the budget we saw that if you divide the number of toilets with the amount sanctioned, it comes to barely Rs.8,000.

Then the question is of doctors. Why do doctors not go to rural areas? There are two reasons that I find why doctors do not go to rural areas. The first is that there is no attractive infrastructure. By infrastructure I mean they do not have homes in rural areas first of all where they can stay. In a government hospital in a rural area there is no place to stay, no running water, no electricity. That is something that puts them off. Secondly, because of lack of education facilities their children do not get a future. So, to maintain two establishments doctors have a problem to go to rural areas. That is one problem.

The second problem is there is a general feeling that if I leave an urban area, my private practice will go, I will not be in touch with the Ministers, the Health Minister or the Secretary and so my transfer and posting will be a problem. This is there all across in every State. So, they prefer to be in the urban areas so that they have access and they can give favours. When the Minister falls ill, there will be a flock of doctors attending upon him. They do not allow space for the nurses. They do not give a walkway also for the nurse to go and give an injection. The doctors want to do everything.

In a country where the MCI says that we have only 9.29 lakh doctors registered, some 7 lakh doctors at any given point of time are actually available for Government jobs. So, it is easy to criticize Government doctors; it is very easy to say they are callous, they are bad, they are cold, they do not care when we fall ill. One thing I have noticed even in Odisha is that doctors get assaulted. Shri Anurag Singh Thakur was right when he appealed to every citizen not to assault doctors. I would like to join my voice with him. Hon. Chairperson, Shri Anurag Singh Thakur is the initiator; he is the fire starter. You always have to pay due respect to the fire starter. What happens is that when you criticize a doctor, you have to think of the background. They go to very many quacks and very many half-demented practitioners. When they fail with everything, they come to a Government hospital.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. सुनिए, अभी जीरो आवर है और बहुत से लोग बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपका भी तो जीरो आवर ही है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I am always ready to conclude. The relatives take the patient to a Government doctor. At that time, the patient is in terrible condition and is about to die. So, if the death occurs, which one day will occur even to us, the hon. Members of Parliament, it incites the relatives to commit violence and to do things that we would really not like to do even in the case of our great grandmother also.

Sir, I thank you for giving me this opportunity. I thank the initiator; I thank hon. Speaker Madam for allowing this discussion on SDG and I am sure that no matter which political party is in power, the citizens of this country are above all of us. They will become conscious and they alone will change this country and change it very soon.

HON. CHAIRPERSON: The discussion on SDG will continue.

Now we will take up 'Zero Hour'.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। कल हमने इस पवित्र सदन में जीएसटी बिल पास किया और इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, वित्त मंत्री जी एवं पूरे सदन को अभिनंदन करती हूं। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं देती हूं।

इस जीएसटी बिल से हमारे देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या हैवी ट्रैफिक जाम की है, इस बिल से यह समस्या भी दूर होने वाली है और लोगों की आवागमन की सुविधा सरलता से होगी। मैं अपने संसदीय क्षेत्र भावनगर तथा बोटाक के लोगों की आवागमन की सरलता के लिए माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मैं भावनगर क्षेत्र से आती हूं। हम सब गुजरातियों के लिए अहमदाबाद एक केंद्रीय शहर है और इसी तरह से हमारे भावनगर तथा बोटाक के लोगों का भी यह एक केंद्रीय शहर है। हम लोग ट्विन सिटी की तरह अहमदाबाद के साथ जुड़े रहते हैं। यहां से हजारों की संख्या में लोग प्राइवेट बसों एवं व्हिकल के द्वारा अहमदाबाद आते-जाते रहते हैं। भावनगर तथा अहमदाबाद को जो रोड है, उस पर हैवी ट्रैफिक सदा ही बना रहता है। हैवी ट्रैफिक की वजह से भारी मात्रा में एक्सीडेंट भी वहां होते रहते हैं।

माननीय सभापति: कृप्या, आप अपना डिमांड बता दीजिए।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: सर वहां पर हमने बहुत सारी अमूल्य मानव जिंदगियाँ भी गंवा दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहती हूं कि मैं कई सालों से भावनगर-अहमदाबाद के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन की मांग करते आ रही हूं, पूर्व में हमारी कुछ वायदे भी पूरे किए गए थे, लेकिन अभी तक इंटरसिटी ट्रेन का वायदा पूरा नहीं हुआ है। हमारे भावनगर के लोगों के आवागमन की सुविधा एवं डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए एक भावनगर-अहमदाबाद इंटरसिटी ट्रेन चलवाने के कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तीन वर्ष पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने का निर्णय लिया और एक अच्छी घोषणा उन्होंने की थी। ग्रामीण इलाके में कई गांव ऐसे हैं कि गांव का विकास करने के लिए कुछ न कुछ योजना निर्माण करने की आवश्यकता थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से कई दुर्गम और जहां कुछ साधन और विकास नहीं पहुंचे थे, ऐसे गांवों का

सिलेक्शन करके उनका विकास करने का एक बहुत बड़ा मौका इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से मिला था।

महोदय, कई मायने में इस योजना को अच्छी सफलता मिलने लगी। कई राज्यों ने इस योजना का अमल सही तरीके से करने के लिए सही तरीके से प्रयास किया। प्रधान मंत्री जी के कहने से दूसरा गांव लेने के लिए समय तय किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे गांव का चयन आज तक कई राज्यों ने नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र राज्य ने भी ऐसा नहीं किया है।

मैं शून्य काल में इस महत्वपूर्ण योजना के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की एक आदर्श योजना है, आदर्श निर्णय है। उसे सही तरीके अमल में लाने के लिए सारे राज्यों को निर्देश दें और प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना का सही अमल, सही योजना निर्णय के लिए व्यवस्था करे।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you.

My ‘Zero Hour’ submission is regarding the return of land to the people of Chavara village in my constituency taken over by the Indian Rare Earths Limited. Many decades ago, land of the poor fishermen was taken for beach sand mineral mining. Even after mining was completed, the land was not returned to the honest, poor fishermen in Chavara Village as well as Nendakara Village, Karithura and Kovilthottom in Chavara Village and Vellanathuruth in Alappattu in Kollam district of Kerala. The mining has been completed but the fishermen have not been given back their land. There is a specific agreement with the people of that locality that land would be given back after mining. Even a decade after completion of mining, land has not been given back. To my knowledge, it has to be decided by the Cabinet. The Union Council of Ministers has to decide about it. For every public sector undertaking if a transaction involving a property has to be done, the opinion or approval of the Union Council of Ministers is required and it is pending. I urge upon the Government to expedite the process so that the poor

fishermen of this area will get their land back. So, immediate steps have to be taken by the Government for this. This is my demand and submission.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं आपके माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों हम सभी एक ऐड सुन रहे हैं, "मेरा देश बदल रहा है और तरक्की कर रहा है।" यह ऐड अच्छा है और देश को तरक्की भी करनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में हम बदल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। नारा अच्छा है और प्रधानमंत्री जी की भूमिका भी अच्छी है, पर क्या हम इस घोषणा के मुताबिक कुछ करते हैं? यह एक सवाल है।

आज कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। महाराष्ट्र के महैसाल में जो कुछ हुआ, उससे हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। रिद्रापुरे नाम के एक डाक्टर ने हैवान का रूप लेकर जो निंदनीय काम किया है, उससे यही सवाल पैदा होता है कि क्या सचमुच हम तरक्की कर रहे हैं? डॉ. रिद्रापुरे से पहले भी महाराष्ट्र के बीड में डा. सुदाम मुंडे ने ऐसा ही कारनामा किया था। ऐसे ही बहुत से डाक्टर देश भर में जगह-जगह पर हैं। डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं। ऐसे डॉक्टरों ने हैवान जैसा काम करके अपनी प्रोफेशन को बदनाम किया है।

महोदय, कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही मांग है कि इसको रोकने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान हमारे कानून में करना चाहिए।

धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent public importance related to my constituency.

Out of the Support Price of paddy fixed at Rs.22.50 per kg. for the year 2016-17, Rs. 14.70 was to come from the Central Government and the rest would come from the State Government. No decision has been taken in this regard for the year 2017-18.

In Kuttanad, Kerala, 46,840 lakh tonnes of paddy has been procured so far which comes to 70 per cent of the total production. About 9512 farmers are engaged in paddy cultivation in Kuttanad. The price of Rs.22.50 per kg., which farmers are getting, is not sufficient. Recently, the Government of India enhanced the price of Copra but the Support Price of paddy was not increased.

In open market in Kerala the price of rice has shot up to Rs.50 per kg. but the farmers are getting very low price for their produce. Presently, the State of Kerala is facing severe drought and there is alarming water scarcity everywhere. The climatic change has adversely affected the farmers in Kuttanad. Besides, the labour charges have gone up and other miscellaneous expenses have increased. I am talking about the farmers… (*Interruptions*) I am concluding, Sir.

Due to severe drought in Kuttanad, paddy crop is affected by *munja* disease. Other diseases like *Pattlapuzha* and *Varinellu* have adversely affected the paddy crop. Due to spread of disease to thousands of acres of cultivable land under paddy, the farmers have suffered heavy losses. The Government of Kerala has not given any assistance to face this calamity.

Thousands of paddy farmers have suffered heavy losses as sea water has entered their fields. The Government of Kerala has not given any assistance to mitigate the loss.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका प्वाइंट आ गया है। आप अपनी डिमांड बताइए।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am concluding, Sir.

The paddy farmers in Kuttanad have suffered huge losses due to rains during the harvesting season.

HON. CHAIRPERSON: You are reading. You just place your demand.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, because of the extraordinary situation being faced by paddy farmers, they are suffering serious financial crisis.… (*Interruptions*)

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Thank you, Sir. It was the long pending request of the people of my State, West Bengal to set up Ruplal Nandy Memorial Cancer Research Centre at Chandernagore, Hooghly district, West Bengal. Since it has been closed, a lot of people are put to hardships.… (*Interruptions*)

It is to be noted here that this Centre is a unit of Chittaranjan National Cancer Research Centre, Kolkata. Before its closure, it was taking care of a large number of below poverty line people in and around Howrah, Hooghly and 24 Parganas. Since its closure they are forced to travel 50 kms. to get themselves treated for a dreaded disease like cancer.… (*Interruptions*)

Sir, let me make my request to the hon. Minister. Under these circumstances, I would like to urge and plead the hon. Minister to come to the rescue of the large number of people of West Bengal and reopen the Ruplal Nandy Memorial Cancer Research Centre at Chandernagore, Hooghly district, West Bengal.

HON.CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Ratna De (Nag).

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the chilli farmers in my constituency of Guntur are on the roads again. India is the major producer and dominant player in the world chilli market due to its superior quality. AP tops the list in the country and Guntur tops in AP with 26 per cent share as far as production of chilli is concerned.

Sir, chilli production has gone up by 40 per cent in the last one year from 1.56 lakh hectares in 2016 to 1.86 lakh hectares. Looking at the price my farmers have got last year, they have extended their crop in anticipation of getting a better price. But, the prices of bright, medium and low grade chillis have fallen steeply. Last year, the chilli farmers got Rs.14,000-15,000 per quintal, but now they are

forced to sell it for just Rs.6,000 to Rs.8000 per quintal resulting in substantial losses to them. It is not just happening in AP. But, the case is the same in other chilli producing States like Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh and a few others as well.

The second problem that the chilli farmers are facing is due to the failure of the Government of India to capitalize the market and export more chillis to other countries. It is all due to unorganized way of production, storage, marketing, R&D, etc.

HON. CHAIRPERSON: Place your demand.

SHRI JAYADEV GALLA: In view of the same, I demand Rs.12,000 to be fixed as a Minimum Support Price for chillis. Special attention should be paid on small and marginal farmers. Cold storage facilities have to be provided exclusively for small and medium farmers. The Government of India should implement market intervention scheme and purchase chillis from farmers at Rs.12,000 per quintal. There is a need to develop new market avenues, promotion of exports, capacity building of the stakeholders, access to post harvest technology and infrastructure and also to regulate the market.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Heena Vijaykumar Gavit and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Jayadev Galla.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं देश भर और विशेषकर झारखंड में एक ऐसी समस्या पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और गृह मंत्रालय से मांग करता हूं।

देश भर में धर्मांतरण के कार्यक्रम चलते हैं। लोग अपने सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में धर्मान्तरित होते हैं। उस पर किसी प्रकार की रोक की बात नहीं है। एक समस्या आती है, धर्मांतरित लोग, जो एससी/एसटी या दलित वर्ग या आदिवासी समाज के लोग ईसाई समुदाय में धर्मांतरित होते हैं या दूसरे समुदाय में धर्मान्तरित होते हैं। उनको आदिवासी और अल्पसंख्यक होने का दोहरा लाभ मिलता है। इसी सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कार्तिक उरांव जी संसद के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने प्राइवेट बिल लाकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन तब उस प्राइवेट बिल को कांग्रेस के शासन काल में लौटाया गया था और उसे अभी तक जारी रखा गया है।

आज झारखंड में आंदोलन चल रहा है, सरना धर्मावलम्बियों के सामने यह समस्या है। सरना धर्मावलम्बियों का आंदोलन है कि उन्हें कोई एक लाभ मिले, वे सरना में रहते हैं तो सरना आदिवासी का लाभ मिले या धर्म परिवर्तन करते हैं तो अल्पसंख्यक का लाभ मिले लेकिन उनको दोनों लाभ मिल रहा है, इस पर सरकार लगाए या इस पर विधेयक लाए और कानून बनाकर इस पर रोक लगाए। आज देश में अराजक स्थिति पैदा हो रही है उसको रोकने का काम करें।

धन्यवाद, वन्देमातरम।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Pashupati Nath Singh, Shri Laxman Giluwa, Shri Rameshwar Teli and Shri Harish Chandra Meena are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Ray.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र कोकराझार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि असम के दिमा हसाऊ में एक हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लगने के जैसा बीटीसी में भी भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता का आरोप असम की जनता के जुबान पर हैं। वहां बहुत सारी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं और यह कागजों में सिमट कर रह गई है।

उसी प्रकार कोई वित्तीय अनुमोदन अधिकार न होने के बावजूद हजार करोड़ रुपये की सप्लाई अथवा निर्माण कार्य ने बीटीसी को वित्तीय संकट में ला खड़ा किया है। हजारों टेट और ओबीबी शिक्षकों को सालों से वेतन नहीं मिलने के कारण बिना वेतनों से ही शिक्षा कार्य करना पड़ रहा है।

उनके आरोप के अनुसार उन लागों के वेतन में धांधली कर इसे अन्य कामों में खर्च किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा आबंटित की गई स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फंड की बीच-बीच में सटीक निगरानी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। खासकर मेरे कार्यकाल में तो एक बार भी नहीं हुआ है, इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित किए गए प्रत्येक फंड को किस तरह से खर्च किया जाए, इसे 'दिशा' के अंतर्गत लाना चाहिए, साथ ही बीटीएडी के चारों जिले में सीबीआई या संसदीय संयुक्त कमेटी द्वारा जांच करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री दशरथ तिर्की (अलीपुर द्वारस) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का उत्तर बंगाल तराई डुआस पड़ता है। मेरा लोक सभा क्षेत्र अलीपुर द्वारस है। वहां कई बड़ी-बड़ी नदियां हैं जो मानसून के समय भारी बारिश होने की वजह से किसानों की जमीन के कटाव से भारी मात्रा में जमीन की क्षति होती है, चाय बगानों की क्षति होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भारी आर्थिक हानि से बचाने के लिए क्या प्रावधान किये जा रहे हैं?

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दशरथ तिर्की द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों देश के कई राज्यों में इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर रोक लगाने को लेकर मीडिया में काफी चर्चा चल रही है। इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर रोक लगे, इसका हम सब स्वागत करेंगे, क्योंकि अनहाइजनिक कंडीशन स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी भी ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। परन्तु इल्लीगल स्लॉटर हाउस की आड़ में लीगल यूनिट्स को फ्लिम्सी ग्राउंड पर परेशान किया जाना भी उचित नहीं होगा। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकारें इसमें एक ब्लू प्रिंट तैयार करें और इस व्यापार को आधुनिक ढंग से चलाया जाये, इसकी कोशिश होनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह मीट व्यवसाय लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है। अगर हमें इसे भय और डर के माहौल में रखेंगे, तो इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। मेरी राय है कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सब राज्यों को इस बात का निर्देश दे। इससे पहले कि माहौल खराब हो, हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक ब्लू प्रिंट बनाकर इसका समाधान निकालना चाहिए।

माननीय सभापति: श्री के.सी.वेणुगोपाल, श्री जितेन्द्र चौधरी और श्री पी.के. बिजू को श्री तारिक अनवर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के अति व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। एएआई के अनुसार वर्ष 2035 तक करीब 30 लाख पैसेंजर्स का दबाव यहां रहेगा। अभी यहां से करीब 35 हवाई जहाज आपरेट हो रहे हैं, परन्तु इतनी क्षमता इस एयरपोर्ट की नहीं है। इस एयरपोर्ट पर एयर बस ए-320 और बोइंग विमान की लैंडिंग भी नहीं हो सकती। हवाई अड्डे के एक तरफ चिड़िया घर और दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। इसके अतिरिक्त चारों तरफ घनी आबादी होने के कारण हवाई अड्डे का विकास भी संभव नहीं है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के जो प्रस्ताव नालंदा और बिहटा के लिए आये हैं, उन्हें अविलंब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं झारखंड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि यूरेनियम की जननी के रूप में जादूगोड़ा को जाना जाता है। इसमें तुरमड़ीह, भाटीन, नरवा और महुलड़ीह आदि सब माइन्स हैं। वन पर्यावरण विभाग द्वारा लगभग तीन साल से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण जादूगोड़ा माइन्स बंद हैं। पिछले दिनों परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री शेखर बसु जी उस क्षेत्र में आये थे। इसका आटोमिक मिनरल्स डिवीजन, एमडी द्वारा सर्वेक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि वहां 700 साल से लेकर एक हजार साल तक यूरेनियम का डिपोजिट है।

इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूसीआईएल में मजदूरों का पे रिवीजन विगत् तीन साल से पेंडिंग है। लगभग 5 हजार मजदूर इससे प्रभावित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण यूरेनियम का उद्योग, जो वन पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण बंद पड़ा है, उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाये और मजदूरों का जो पे रिवीजन पेंडिंग है, उसे जल्द से जल्द दिलाये।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Through you, I would like to draw the kind attention of the Government towards the problems being faced by workers who have been working for more than 10 years in the MES who are outsourced at Air Force stations at Kalaikunda and Panagarh. They are not getting their salaries through the banks. They are not getting Government approved labour benefits like Provident Fund and ESI. Most of the outsourced workers, although they work as plant operators, are not getting their salaries due to them as per the Labour Commission. The contractors are also giving different wages to different people for doing the same job. In 2016, ever since contracts have expired, these people have not been getting any remuneration and they are having to work without any duty rosters.

My demand is that the contractors be given or be compelled to give labourers their pay through banks and they should be given Provident Fund

benefits. They should be given rates as prescribed by the Labour Commission and they should also ensure that they work as plant operators and not as housekeeping staff of officers of that Department. This is taking place particularly at Kalaikunda and Panagarh. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri George Baker.

श्री जनक राम (गोपालगंज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के एक अतिमहत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए समय दिया है।

महोदय, गोपालगंज, बिहार में पिछले कई दिनों से समान वेतन के लिए माध्यमिक शिक्षक एवं नियोजित शिक्षक संघ, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, वित्तरहित शिक्षक और बिहार गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड जवान) अपनी मांगों को लेकर शान्तिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, नवजात शिशुओं की देखभाल, ग्रामीण विकास आदि कार्यों की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर टिकी हुई है। समान कार्य और समान मानदेय को लेकर बिहार सरकार की लचर व्यवस्था के विरूद्ध कई लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन चल रहा है। अनशनकारियों से बातचीत करने के बावजूद, बिहार सरकार लाठीचार्ज एवं बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी मांगों को दबाने का प्रयास कर रही है।

मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की मांगों को मानने के लिए बिहार सरकार को तत्काल आदेश दिया जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, फिर भी बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन सभी कर्मचारियों के बच्चे एवं परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार सरकार को इस बारे में तत्काल निर्देश दिया जाए कि इनकी मांगों को तत्काल पूरा करें। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Janak Ram.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): सभापति जी, उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में 21 मार्च, 2017 को दोपहर में अचानक मौसम परिवर्तित होने के नाते भारी बारिश तथा भयंकर ओलावृष्टि हुई। जनपद में सदर, निचनौल एवं नौतनवा तहसील में हजारों गांवों में भारी तबाही हुई। हजारों एकड़ खेतों में लगी गेहूं, सरसों, दलहन, सब्जियों की फसलें एवं आम के बगीचों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे

देश में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक ढंग से एजेंसी तय न होने के नाते अभी भी बहुत से लोगों का फसल बीमा नहीं हो पाया है। वर्तमान प्रदेश सरकार सर्वे करा रही है, लेकिन इस ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय दल भेजकर, वहां ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करवाकर, किसानों को आर्थिक मुआवजा देने की व्यवस्था करे।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Pankaj Chaudhary.

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, हाल ही में हमारे एक साथी सांसद ने रेलमंत्री जी से पूछा था कि क्या हम सांसदों को ट्रेन के प्रस्थान के समय, अंतिम क्षण में, कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलने की व्यवस्था है? जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी के यात्रा कार्यक्रम अचानक ही बनते हैं, ऐसे में वर्तमान व्यवस्था में हम सभी सांसदों को वरीयता क्रम में, चार्ट तैयार होने से पहले तक सूचना देने पर उच्च श्रेणी में कन्फर्म टिकट मिल जाता है। रेल यात्रा के दौरान एवं अपने सैनिक परिवारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी मिली कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तैनाती और अंतिम समय पर छुट्टी मिलने की वजह से उनकी यात्रा के कार्यक्रम भी अचानक ही बनते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर सैन्यकर्मियों को मिलिटरी वारन्ट पर रियायती टिकट प्रतीक्षा सूची में ही मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में कश्मीर या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात, जब कोई सैन्यकर्मी दो-तीन दिन की यात्रा के बाद, निकटतम रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न कोनों में अग्रिम यात्रा के लिए पहुंचता है, तब उसकी बर्थ कन्फर्म न होने की स्थिति में उन्हें काफी दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार सैन्यकर्मी एवं सामान्य यात्रियों के बीच हिंसा और मारपीट तक की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं सरकार से, विशेष रूप से रेल मंत्री जी एवं रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे सैन्य कर्मियों को उनकी मांग पर कन्फर्म आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराई जा सके। ऐसी स्थिति में हमारे सैनिकों के जौहर को पूरा देश जब सलाम कर रहा है और पूरी दुनिया में हमारे सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का डंका बज रहा है तो देश की सेवा में अपने घर से दूर रहते हुए ड्यूटी पर तैनात अपने वीर सैनिकों के लिए यह एक सम्मान भरा कदम होगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय. सिक्किम में लिम्बू और् तवांग दो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2002 संसद में पास किया गया था, जिसे 8 जनवरी 2003 को अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन जब 2004 में विधान सभा का चुनाव होता है तो उन समुदायों को विधान सभा में आरक्षण नहीं मिलता है, फिर वे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पैटीशन डाली गई और जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि गृह मंत्रालय इसे यह एनश्योर करे कि जो अनुसूचित जनजाति लिम्बू और तवांग सिक्किम में हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में चार महीने के भीतर शामिल करें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और संसद में भी पारित किया गया विधेयक है, वह सिक्किम में लागू किया जाए और तवांग और लिम्बू को अनुसूचित जनजाति को जो विधान सभा में अधिकार दिया जाना चाहिए, वह सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Sir, I would like to draw the attention of this House to the suicides being committed by the handloom weavers especially in Kurnool parliamentary constituency where weavers constitute a sizeable population of around 2 lakhs.

The basic reason for these tragic incidents is poverty. The handloom weavers are not able to sell their products and are not getting remunerative prices. There is a dire necessity to include handloom sector in MNREGA. Unable to survive in this industry, many are diverting to other activities and converting as labour.

There is a need to entrust marketing of handloom products to National Textile Corporation so that these products can be marketed throughout the country.

I strongly request this Government to re-introduce house-cum-work shed scheme for handloom weavers. Further, the weavers shall be encouraged to use modern equipment for weaving.

In the light of the above, I strongly urge upon the hon. Prime Minister of India and hon. Minister for Textiles to take immediate steps and come to the rescue of handloom weavers by devising necessary schemes to bring them out of poverty and take suitable steps for the upliftment of handloom weavers.

HON. CHAIRPERSON: Shri P.K. Biju is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Butta Renuka.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि हमारा जो चुरु लोक सभा क्षेत्र है, वहां पर पानी का क्षेत्र बहुत ही कम है। उस क्षेत्र के अंदर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो पौधों की किस्म है, जो सरकारी एजेंसी से हम बागवानी का पौधा लेते हैं, उसमें कई बार सही रूप में उनको सब्सिडी नहीं मिलती। मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है कि प्राइवेट सैक्टर के जो विभाग हैं, उनको भी सरकार को एलाउ करना चाहिए ताकि उन लोगों को वहां से पौधे लेने में फायदा हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

<u>17.58 hours</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 31, 2017/Chaitra 10, 1939 (Saka).